द्वितीय माला, खण्ड १८—अंक ५

१६ अगस्त, १९५८ (शनिवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(Fifth Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड १८ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

९२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

134 LSD

विषय-सूची

पृष्ठ

(द्वितीय माला, खण्ड १८, अंक १ से १०—११ अगस्त से २२ अगस्त, १९५८)

अंक १—सोमवार, ११ अगस्त, १९५८

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण । १

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ७, ९ से १२ और १४ से २१ . १—२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८, १३ और २२ से ३७ . . २५—३४

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ७५ . . ३४—६७

स्थगन प्रस्ताव . . . . . ६८—७८

१. केरल में स्थिति . . . . ६८—७३

२. भारत-पाकिस्तान सीमा की घटनायें . . . ७३—७८

श्री रायजादा हंसराज का निधन ७८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ७९—८२

प्रक्रिया नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये निदेश . . ८२

संसदीय समितियां—कार्य का सारांश . . . ८२

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ८२

केन्द्रीय बिक्रीकर (दूसरा संशोधन) विधेयक . . ८३

प्रवर समिति का प्रतिवेदन ८३

तारांकित प्रश्न संख्या २०३७ के उत्तर की शुद्धि . . ८३

रेलवे की बड़ी दुर्घटनाओं के बारे में वक्तव्य . . ८३—८६

केरल तथा मद्रास में विषैले भोजन के मामलों सम्बन्धी जांच आयोग के सम्बध में वक्तव्य—

प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया . . . ८६—८८

वाणिज्यिक नौवहन विधेयक ८८

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की उपस्थापना के लिये समय का बढ़ाना . ८८

विधेयक पुरःस्थापित . . . . . ८८—९२

१. सशस्त्र बल (आसाम और मनीपुर) विशेष शक्तियां विधेयक . ८८—८९

२. दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक . ८९

३. खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) विधेयक ८९—९०

४. श्रमजीवी पत्रकार (मजूरी की दरों का निर्तारण) विधेयक ९०—९१

पृष्ठ

५. औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय संशोधन विधेयक . ९१

६. राजघाट समाधि (संशोधन) विधेयक . ९१

७. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक . ९२

सभा पटल पर रखे गये अध्यादेशों के सम्बधं में वक्तव्य . ८९—९३

१. सशस्त्र बल (आसाम और मनीपुर) विशेष शक्तियां अध्यादेश, १९५८ . ८९

२. दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अध्यादेश, १९५८ . ८९

३. खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) अध्यादेश, १९५८ . ९०

४. श्रमजीवी पत्रकार (मजूरी की दरों का निर्धारण) अध्यादेश, १९५८ ९०–९१

५. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश ९२–९३

प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष विधेयक— . ९३—१००

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ९३

नीवेली लिग्नाइट निगम (प्राइवेट) लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन के सम्बन्ध में चर्चा . . . . . १००—१०९

ब्यापार तथा पण्य चिन्ह विधेयक . . . १०९

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . . . १०९

व्यापार तथा पण्य चिह्न विधेयक . . १०९

संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य सभा पटल पर रखा गया १०९

कार्य मंत्रणा समिति— . . १०९

छब्बीसवां प्रतिवेदन . . . १०९

दैनिक संक्षेपिका . . . ११०—११८

अंक २—मंगलवार १२ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३८, से ४१, ५४, ५५, ६२, ४४, ४५, ४७ से ४९, ५१ से ५३ और ५६ ११९—१४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४२, ४३, ४६, ५०, ५७, से ६१ और ६३ से ७० . . . १४२—१५०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७६, से ९३, ९५ से १४४ और १४६ से १८२ १५०—१९९

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव . . . १९९—२०२

जमशेदपुर में सेना का बुलाया जाना . . १९९—२०२

श्रीमती अनुसूया बाई काले का निधन . . २०२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २०२—२०३

तारांकित प्रश्न संख्या १९२५ के उत्तर की शुद्धि २०४

कार्य मंत्रणा समिति—

छब्बीसवां प्रतिवेदन २०४

प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष विषयक राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव २०४

खण्ड २ से ३९ और १ . . . २२१—२२३

पारित करने का प्रस्ताव . . २२३

अखिल भारतीय सेवा (संशोधन) विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव . . २२३—२२८

खण्ड १ और २ . . . . २२९

पारित करने का प्रस्ताव २३०

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे)—१९५४–५५ २३०—२४४

दैनिक संक्षेपिका . . ३४५—३५१

अंक ३,—बुधवार, १३ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७१ से ७३ और ७५ से ८७ २५३—२७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४ और ८८ से १११ . . २७५—२८६

अतारांकित प्रश्न संख्या १८३ से २३५ और २३७ से २८६ २८६—३२८

स्थगन प्रस्ताव—

अहमदाबाद में स्थिति ३२९—३३१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३३२—३३७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कोटला बिजली घर का बन्द हो जाना ३३८

तारांकित प्रश्न संख्या २०९९ के उत्तर की शुद्धि ३३८

तारांकित प्रश्न संख्या १२९८ तथा १३१५ के उत्तर की शुद्धि ३३८

तारांकित प्रश्न संख्या १४८६ के उत्तर की शुद्धि ३३९

विदेशी मुद्रा की स्थिति सम्बन्धी वक्तव्य—

श्री मोरारजी देसाई ३३९—३४२

पृष्ठ

समिति के लिये निर्वाचन—

राष्ट्रीय सेना छात्र निकाय की केन्द्रीय सलाहकार समिति . . ३४२—३४३

चीनी निर्यात सम्बर्द्धन विधेयक— पुरःस्थापित . . . ३४३

चीनी निर्यात संवर्द्धन अध्यादेश के सम्बन्ध में वक्तव्य—सभा पटल पर रखा गया . ३४३

खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) अध्यादेश सम्बन्धी संविहित संकल्प—अस्वीकृत . . ३४३—३४६

खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) विधेयक—

पारित करने का प्रस्ताव . ३४६—३५७

खंड १ से ६ पारित करने का प्रस्ताव ३६२

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश सम्बन्धी संविहित संकल्प तथा बनारस हिन्दूविश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक . ३६३—३७२

दैनिक संक्षेपिका . . . ३७३—३८५

अंक ४—गुरुवार, १४ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११२, ११३, और ११५ से १३० ३८७—४१५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११४ . ४१५—४२३

अतारांकित प्रश्न संख्या २८७, से ३४४, ३४६ से ३५० और ३५२ ४२३—४५५

श्री लल्लन जी का निधन . . . ४५४

स्थगन प्रस्ताव ४५४

उत्तर प्रदेश में बाढ़ . . . ४५४—४५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ४५५—४५६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति तेइसवां प्रतिवेदन ४५६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना मध्यपूर्व की स्थिति ४५६—४६२

लागत लेखा प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में वक्तव्य . ४६२—४६३

विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक—पुरःस्थापित . ४६३

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक . ४६३—५०३

दैनिक संक्षेपिका ५०४—५०८

अंक ५—शनिवार, १६ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८ से १५०, १५४ से १५६ और १५८ से १६५ ५०९—५३३

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५१ से १५३, १५७ और १६६ से १७७ . ५३४—५४०
अतारांकित प्रश्न संख्या ३५३—४३६ ५४०—५८०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५८०—५८३

लोक लेखा समिति—

सातवां प्रतिवेदन ५८३

सभा का कार्य ५८३

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन का समय बढ़ाया जाना ५८४

विनियोग (रेलवे) संख्या ३, विधेयक, १९५८ . . . ५८४

विचार करने का प्रस्ताव ५८४
खण्ड १ से ३ तथा अनुसूची पारित करने का प्रस्ताव . . ५८४

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश के बारे में संविहित संकल्प
—अस्वीकृत . . . ५८५—६०५

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . ५८५—६०५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

तेइसवां प्रतिवेदन ६०६

कुछ उद्योगों में मजदूरनियों की कमी के बारे में संकल्प ६०७—६१४
एकाधिकार रखने वाले साथों के कार्य के बारे में संकल्प ६१४—६२२
दैनिक संक्षेपिका ६२३—६३०

अंक ६—सोमवार, १८ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७८ से १८०, १८२ से १८६, १८८ से १९०, १९२, १९४ से १९६, १९८ से २००, २०२ और २०३ ३३१—३५६

तारांकित प्रश्न संख्या १८३ के उत्तर की शुद्धि . ६५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८१, १८७, १९१, १९३, १९७, २०१ और २०४ से २१८ . . . . ६५६—६६५

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४० से ५१८ . . ६६५—६९७

स्थगन प्रस्ताव . . . . ६९७—७५५

स्वतन्त्रता दिवस पर जयपुर में घटनायें . . . ६९७—६९८
दिल्ली में पानी का बन्द हो जाना—अस्वीकृत . . ६९८—७५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ७०१—८०४

पृष्ठ

दो सदस्यों की गिरफ्तारी . . . ७०४

सदस्य की नजरबन्दी तथा रिहाई . . . ७०४

सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक--

प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . ७०४

नई रेलवे भाड़ा दरों के बारे में वक्तव्य . ७०४–७०५

रेलवे बोर्ड में परिवर्तनों सम्बन्धी वक्तव्य . . ७०५–७०६

प्राक्कलन समिति की कार्यवाही का सारांश . . ७०६

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव ७०६—७१२

खण्ड २ से ४ तथा १ . . . . ७१४

पारित करने का प्रस्ताव . . . ७१४

श्री दातार . . . . ७१२—७१४

सशस्त्र बल (आसाम तथा मणिपुर) विशेष शक्तियां विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव . ७१४—७३१

खण्ड २ से ७ तथा १ . ७३२

पारित करने का प्रस्ताव . . . . ७३२—७५५

श्रमजीवी पत्रकार (वेतन दरों का निर्धारण) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव ७५५

दैनिक संक्षेपिका . . . . ७५६—७६२

अंक ७— मंगलवार, १९ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २१९, २२० और २२२ से २३४ . ७६३—७८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २२१ और २३५ से २७१ . . ७८८—८०४

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१९ से ५८४, ५८६ और ५८७ . . ८०४—८३६

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ८३७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ८३७–८३८

अवलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

जमुना में बाढ़ और सरकार द्वारा की गई कार्यवाही . . ८३८–८३९

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . . ८४०—८६९

दिल्ली में पानी की व्यवस्था के सम्बन्ध में वक्तव्य . . . ८६९

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ८७०—८७४

अंक ८—बुधवार, २० अगस्त, १९५८ पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७२ से २७४, २७७, २७८, २८१, २८२, २८५ से २८९ और २९१ से २९६ . . ८७५—९००

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ और २ . . . ९००-९०१

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या २७५, २७६, २७९, २८३, २८४, २९० और २९७ से ३२७ . ९०१—९१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५८८ से ६५६ . . ९१७—९४६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . ९४७

श्री बीरकिशोर रे का निधन . . ९४७-४८

स्थगन प्रस्ताव . . ९४८—९५०

१. कोयम्बटूर में मिल का बन्दा हो जाना ९४८-९४९

२. जयपुर में स्थिति . ९४९-९५०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ९५१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौबीसवां प्रतिवेदन . ९५१

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सम्बन्ध में प्रस्ताव . ९५२—९६१

खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ९६२—१०००

दो सदस्यों की गिरफ्तारी . ९८०

कार्य मंत्रणा समिति

सत्ताइसवां प्रतिवेदन ९९१

दैनिक संक्षेपिका . १००१—१००७

अंक ९, गुरुवार, २१ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३२८ से ३३०, ३३२, ३३३, ३५५, ३३५ से ३३७ ३३९, ३४०, ३४२, ३४४ और ३४५ . . १००९—१०३७

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ३३१, ३३४, ३४१, ३४३, ३४६ से ३५४ और ३५६ से ३९१ . . . . १०३१—१०५०

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५७ से ६६१, ६६३ से ७०५ और ७०७ से ७२४ १०५०—१०७४

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १०७४

वाणिज्यिक नौवहन विधेयक १०७५

(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन १०७५

(२) संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य—सभा पटल पर रखा गया । . १०७५

कार्य मंत्रणा समिति—

सत्ताइसवां प्रतिवेदन १०७५–७६

खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में प्रस्ताव १०७६—११२६

दैनिक संक्षेपिका ११२७—११३२

अंक १०, शुक्रवार, २२ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९२ से ३९६, ३९८ से ४००, ४०२ से ४०४, ४१०, ४११, ४१३, ४२० से ४२६, ४२८ और ४२९ ११३३—११६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९७, ४०१, ४०५ से ४०९, ४१२, ४१४ से ४१६ ४१८, ४१९, ४२७ और ४३० से ४३५ . . ११६१—११६९

अतारांकित प्रश्न संख्या ७२५ से ७३१, ७३३ से ७४४ और ७४६ से ७८९ ११६९—११९५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ११९५

सभा का कार्य ११९६

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन का समय बढ़ाया जाना । ११९६–११९७

मनीपुर और त्रिपुरा (विधियों का निरसन) विधेयक—पुरस्थापित . ११९७

श्रमजीवी पत्रकार (वेतन दरों का निर्धारण) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . ११९७—१२१०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौबीसवां प्रतिवेदन . . . १२११

तेलों के उद्जनीकरण पर रोक विधेयक, १९५८—पुरस्थापित . १२११

भारतीय विवाह-विच्छेद (संशोधन) विधेयक, १९५८—

(धारा ३ का संशोधन तथा धारा १० और ११ आदि के स्थान पर अन्य धाराओं का रखा जाना)—पुरस्थापित. . १२११

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, १९५८—

(धारा १३ और द्वितीय अनुसूची का संशोधन)—पुरस्थापित . १२१२

	पृष्ठ
कामगार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, १९५८—(अनुसूची १ का संशोधन)—पुरस्थापित	१२१२
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९५८— (धारा ११६-क का संशोधन)—पुरस्थापित	१२१२–१२१३
संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते संशोधन विधेयक, १९५८— (धारा ६ का संशोधन)—पुरस्थापित	१२१३
पशुओं के चारे में निर्यात पर रोक विधेयक, १९५८—पुरस्थापित	१२१३
विस्थापित व्यक्तियों का (प्राकृतिक आपत्तियों से) पुनर्वास विधेयक, १९५८—पुरस्थापित	१२१४
सिख गुरुद्वारा विधेयक, १९५८—पुरस्थापित	१२१४
एकाधिकार और व्यापार सम्बन्धी अनुचित तरीके (जांच तथा रोक) विधेयक, १९५८—पुरस्थापित	१२१४–१३१५
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित	१२१५
संविधान संशोधन विधेयक, १९५८— (अनुच्छेद १३६ का संशोधन)—पुरस्थापित	१२१५
भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक— विचार करने का प्रस्ताव	१२१५—१२२५
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक— विचार करने का प्रस्ताव	१२२५—१२३२
दैनिक संक्षेपिका	१२३३—१२३७

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

शनिवार, १६ अगस्त, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

लकड़ी के स्लीपर

+

†*१४८. श्री वि० च० शुक्ल :
श्रीमती मफीदा अहमद :
सरदार इक़बाल सिंह :
श्री रामकृष्ण :

क्या रेलवे मंत्री १७ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लकड़ी के २० लाख स्लीपरों के संभरण के लिये विश्व भर के देशों से जो टेंडर मांगें गये थे क्या उन पर विचार पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों से कितने मूल्य पर स्लीपरों का आयात किया जाने वाला है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो उसके क्या कारण हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १३३] ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†श्री वि० च० शुक्ल : विवरण से प्रतीत होता है कि घटिया किस्म के २½ स्लीपर खरीद लिये गये हैं। क्या वे बियरिंग प्लेटों के इस्तेमाल के बाद उन स्लीपरों से सस्ते बैठेंगे जो महंगे हैं और आस्ट्रेलिया से खरीदे गये हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : प्लेटों पर १२ रु० प्रति स्लीपर खर्च पड़ता है और इससे खर्च बढ़ कर उसका मूल्य अधिक हो जाना स्वाभाविक ही है ।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : पिछले वर्ष यहां बताया गया था कि विदेशों से लगभग २० लाख लकड़ी के स्लीपर खरीदे जायेंगे । विवरण से प्रतीत होता है कि केवल १२ ही लाख स्लीपर खरीदे गये हैं । इसके क्या कारण ह?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : स्थिति कुछ कठिन है । मेरा तात्पर्य यह है कि हम विश्व के बाजारों में सस्ते से सस्ते मूल्य पर लेने की कोशिश कर रहे हैं । यही कारण है कि हमने अधिक नहीं खरीदे । संभव है कि हम और अधिक स्लीपर सस्ते मूल्य पर मिल जायें ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह सच है कि ब्राजील ने भी इसके लिये टेंडर भेजे थे और यह कि उनका टेंडर उन दोनों देशों की अपेक्षा कम का था जिनका उल्लेख इस विवरण में किया गया है । और यदि हां, तो उसे अस्वीकार क्यों कर दिया गया ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी**: कारण यह है कि उन्होंने पूरा विवरण नहीं दिया है । हम उस माल के गुणों और टिकाऊपन के बारे में नहीं जानते और यही वजह है कि हम उस पर विचार न कर सके ।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या आस्ट्रेलिया की फर्म ने ठेके के अनुसार सारे स्लीपरों का संभरण कर दिया है या सानुपातिक रूप से संभरण करने का कोई समझौता था और उसका मूल्य कुल कितना है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : उसमें कुछ कमी है लेकिन ठीक-ठीक ब्यौरा बनाने के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्री दासप्पा** : प्रत्येक स्लीपर के लिये बियरिंग प्लेट की कितनी लागत होगी जिनकी आस्ट्रेलियन स्लीपरों के लिये तो नहीं वरन् अमरीकन स्लीपरों के लिये जरूरत पड़ेगी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मैं बता चुका हूं । प्रत्येक स्लीपर के लिये यह १२ रुपये होती है ।

†**रेलवे मन्त्री (श्री जगजीवन राम)** : उपमंत्री की बात में मैं कुछ और जोड़ दूं । बियरिंग प्लेट की लागत १२ रुपये अवश्य पड़ती है, लेकिन यदि हम इस बात पर विचार करें कि स्लीपर कितने दिनों तक चलेगा तो सानुपातिक रूप से इसकी लागत ६ रुपये ही बैठेगी ।

†**श्री फीरोज गांधी** : उपमंत्री महोदय ने अभी कहा है कि वे ब्राजील के स्लीपरों के गुणों का पता नहीं लगा पाये थे लेकिन उनके जो दाम बताये गये थे वे संभवत: सब से कम थे । क्या सरकार को पता है कि ब्राजील के स्लीपरों का इस्तेमाल जर्मनी में किया जाता है जहां यात्री और माल, दोनों का यातायात भारत की अपेक्षा कहीं भारी होता है, और क्या हमारे प्रतिनिधि.....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न इतना लम्बा नहीं होना चाहिये ।

†**श्री फीरोज गांधी** : ये आपस में जुड़े हुए हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इससे क्या हुआ ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मैंने सिर्फ इतना कहा था कि उन्होंने जो आंकड़े दिये थे वे स्पष्ट नहीं थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री गोरे---उठे

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय को उत्तर दे लेने दीजिये ।

†**श्री जगजीवन राम** : मैं इतना और जोड़ दूं कि टेंडर मांगने से पहले ही रेलवे मंत्रालय और लकड़ी सम्बन्धी परामर्शदाता ने देशी स्लीपरों की कमी को ध्यान में रखते हुए विश्व के बाजारों से स्लीपर मंगाने की सभावनाओं का पता लगाने का प्रयास किया था। इस पूछताछ के दौरान में कुछ व्यापारियों ने बड़े ही आकर्षक मूल्य पर ब्राजील के स्लीपरों का प्रस्ताव किया था और यह मूल्य इतना कम था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, और इसीलिये लकड़ी सम्बन्धी परामर्शदाता और स्लीपरों के संभरण के प्रभारी अफसरों ने इन स्लीपरों का विवरण पता लगाने के लिये विशेष कार्यवाही की। टेंडरों के सम्बन्ध म निश्चय होने तक यह विवरण प्रविधिक परामर्श-दाताओं को यह विवरण उपलब्ध नहीं किया गया था । १० जून को जा कर कहीं ब्राजील से कुछ जानकारी मिली है और इस सम्बन्ध में और आगे पूछ-ताछ की जा रही है ।

श्री गोरे---उठे

†**उपाध्यक्ष महोदय** : नहीं, स्लीपरों को अब और समय नहीं लेना चाहिये ।

†**श्री गोरे** : आपने मुझे पुकारने का वादा किया था ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वादा जरुर किया था, लेकिन इस स्पष्टीकरण के बाद अब मैं समझता हूं कि समुचित उत्तर दिया जा चुका है ।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रशासनिक तार टेलीफोन सम्मेलन

†*१४९. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जेनेवा में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय प्रशासनिक तार व टेलीफोन सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है ;

(ख) क्या सम्मेलन के लिये प्रतिनिधि चुन लिये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन प्रतिनिधियों का चुनाव करने में कौन सा तरीका अपनाया गया था?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रतिनिधियों का चुनाव मंत्रालय और उसके सम्बन्धित विभागों में से किया गया है और इसमें इन अफसरों की प्रविधिक अर्हताओं और अनुभव का पूरा पूरा ध्यान रखा गया है ताकि वह सम्मेलन में भारत का दृष्टिकोण प्रभावपूर्ण ढंग से उपस्थित कर सकें ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : इस प्रतिनिधि मंडल को जेनेवा भेजने का खर्च पूरा करने के लिये कुल कितनी राशि व्यय की जायेगी ?

†**श्री राज बहादुर** : सब से पहले, ३३,००० रुपये की विदेशी मुद्रा का भुगतान हमें करना ही पड़ेगा चाहे हम प्रतिनिधि मंड़ल भेजें या न भेजें। इसके अलावा १५,००० रुपये विमान के किराये पर और १२,५०० रुपये रोजाना के खर्च और अन्य आकस्मिक बातों पर व्यय होंगे। यह बाद वाली राशि विदेशी मुद्राओं के रूप में होगी ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री सुबोध हंसदा :** जेनेवा सम्मेलन में किन-किन मुख्य बातों पर चर्चा की जायेगी ?

†**श्री राज बहादुर :** चर्चा के मुख्य विषय हैं विनियमों और शुल्क का पुनरीक्षण आदि, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें वहां अनिवार्यतः चर्चा के लिये आयेंगी उन में एक यह भी हो सकती है कि योरोप की तार-संचार व्यवस्था को पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और सुदूर पूर्व एशिया की तार-संचार व्यवस्था से आपस में जोड़ दिया जाये। वहां हमारे देश का प्रतिनिधित्व होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां तक इस प्रकार परस्पर अन्तर्संबंध का प्रश्न है, हम नहीं चाहते कि हमारा देश इस से छूट जाये।

†**श्री तंगामणि :** कितने प्रतिनिधि चुने गये हैं और उनके नाम क्या हैं ?

†**श्री राज बहादुर :** तीन चुने गये हैं ; डाक तथा तार के चीफ इंजीनियर श्री आर० सी० वैश्य, समुद्र पार संचार सेवा के डिप्टी डाइरेक्टर (ट्रैफिक) श्री एस० एन० कालरा और परिवहन तथा संचार मंत्रालय में वायरलेस प्लैनिंग एण्ड कोआर्डिनेशन के डिप्टीडाइरेक्टर श्री एन० वी० गदाधर।

खण्डवा हिंगोली रेल लाइन

+

†*१५०. { **श्री रामकृष्ण :**
सरनार इकबाल सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खण्डवा-हगोली रेल लाइन के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या कार्य कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) कुल मिलाकर ६० प्रतिशत प्रगति हुई है।

(ख) जी हाँ।

†**श्री रामकृष्ण :** क्या पूरी हो चुकी लाइन का कुछ अंश यातायात के लिये खोल दिया गया है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी:** जी हां, लगभग ५१ मील।

†**श्री राम कृष्ण :** यह लाइन कब तक पूरी हो जायेंगी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** १९६१ तक।

काठमाण्डू के निकट विमान दुर्घटना

†*१५४. **श्रीमती पार्वती कृष्णन् :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २४ मार्च, १९५८ को काठमाण्डू के निकट जो विमान दुर्घटना हो गयी थी क्या उसकी कुछ जांच करायी गयी थी ; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो इस जांच की उपपत्तियां क्या हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी हां, लेकिन यह दुर्घटना नेपाल के राज्य-क्षेत्र में होने के कारण जांच नेपाल सरकार ने कराई थी।

(ख) नेपाल सरकार से जांच के प्रतिवेदन की अब भी प्रतीक्षा की जा रही है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्योंकि यह विमान हमारे सहकारियों में से एक था, क्या हमें किसी भी स्तर पर इस जांच में भाग लेने का मौका दिया गया है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : जी हाँ। हमारे अधिकृत प्रतिनिधि को इस जांच में नामजद किया गया है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह सच है कि कैप्टन पहाड़ियों में काफी नीचाई पर विमान ले जा रहा था क्या इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के इस सहकारी की यह स्वीकृत रीति है कि पैट्रोल की खपत कम करने के लिये वह विमान को काफी नीचाई पर उड़ायेंगे।

†**श्री मुहीउद्दीन** : इस मसले की जांच यह समिति करेगी। प्रतिवेदन को अन्तिम रूप प्रदान किया जा चुका है, लेकिन हम नेपाल सरकार से उसकी एक प्रति की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

†**श्री गोरे** : क्या यह सच नहीं है कि इस विमान का पाइलट भारत के योग्यतम पाइलटों में से था ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : जहां तक मुझे पता है वह काफी वरिष्ठ चालक था ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस विशेष घटना के सम्बन्ध में क्या इस बात का पता चला है कि विमान पर आवश्यकता से अधिक बोझ लदा था या नहीं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह सब बातें तो जांच की हैं।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या इस विमान के लिये ढूंढ़ने वालों को भेजने में बहुत ज्यादा देर हो गयी थी ; और क्या इसके पाइलेट की जिसकी मृत्यु हो गयी थी पत्नी और पिता को यह झूठी सूचना दी गई थी कि वह पांच बजे शाम को लौटेगा, जब कि यह दुर्घटना कहीं पहले हो चुकी थी ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मैं सभा को यह स्मरण दिला दूं कि जिस दिन यह दुर्घटना हुई थी उस दिन असैनिक उड्डयन के भारसाधक, मेरे पूर्व-पदाधिकारियों ने इस सभा में एक वक्तव्य दिया था और अगले दिन उन्होंने और आगे वक्तव्य दे कर निश्चित रूप से यह बताया था कि सभी यात्री मर गये हैं और कोई नहीं बचा ।

†जहां तक इस बात का सम्बन्ध है, मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : हम जो बात जानना चाहते थे वह यह है। हमें दुर्घटना की सूचना मिलने और ढूंढने वाले दल को भेजने के बीच में कितना समय व्यतीत हुआ ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्हें पता नहीं है। उन्होंने आखीर में जो बात कही है वह श्रीमती पार्वती कृष्णन् के इसी प्रश्न के सम्बन्ध में थी। उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह बात प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में थी। पहले भाग में यह पूछा गया था कि दुर्घटना की सूचना मिलने और खोज करने वालों का दल भेजने के बीच में कितना समय व्यतीत हुआ ?

†श्री मुहीउद्दीन : यह दुर्घटना दोपहर को हुई थी और जहां तक मुझे याद है उसी दिन तीसरे पहर हमारे दो डकोटा विमान और ही नरेश का डकोटा दुर्घटना के स्थान का पता लगाने के लिये गये थे लेकिन उस दिन वे उसका पता नहीं लगा पाये। उन्हें दूसरे दिन उसका पता चला।

मैसूर में सुपारी विक्रय समितियां

†*१५५. श्री वासुदेवन् नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने राज्य में काम करने वाली तमाम सुपारी विक्रेता समितियों का एक सहकारी विक्रय संघ बनाने का निश्चय किया है ;

(ख) क्या मैसूर सरकार ने इस योजना के सम्बन्ध में केन्द्र से कोई सहायता मांगी है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

†सहकार मन्त्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) और (ख). जी हां। "दि मैसूर स्टेट आरेकानट कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड; शिमोगा" नाम का एक संघ ३०-१०-१९५७ को रजिस्टर हुआ है।

(ग) आवर्त्तक लागत का ५० प्रतिशत।

†श्री वासुदेवन् नायर : क्या सुपारी पैदा करने वाले कुछ अन्य राज्यों में, जैसे केरल और आसाम में, भी ऐसे ही विक्रय संघ बनाने का कोई प्रस्ताव था ?

†डा० पं० शा० देशमुख : मुझे पता नहीं।

†श्री बासप्पा : क्या बिक्री सम्बन्धी सुविधा न होने और मध्यवर्त्तियों द्वारा मुनाफे का काफी अंश ले लिये जाने के कारण सुपारी का मूल्य अधिक होते हुए भी सुपारी उत्पादकों को अच्छी कीमत नहीं मिल पाती, और यदि हां, तो क्या सरकार इस पहलू पर विचार कर उत्पादकों को और भी अधिक सुविधायें प्रदान करने की व्यवस्था करेगी ?

†डा० पं० शा० देशमुख : इस सहकारी विक्रय संघ की मार्फत सुविधाओं का लाभ उठाया जा रहा है। सभी वस्तुओं में सुपारी ही ऐसी चीज है जिसके पैदा करने वालों को कोई शिकायत नहीं हो सकती—इसकी कीमत बहुत ज्यादा है।

†श्री वासुदेवन् नायर : क्या यह सच नहीं है कि सुपारी समिति के अध्यक्ष ने कोजिकोड की उसकी पिछली बैठक में अध्यक्ष पद से अपने भाषण में कहा था कि अन्य राज्यों में भी ऐसे संघ शुरू करने का प्रस्ताव है ?

†डा० पं० शा० देशमुख : जी हां, यदि राज्य चाहें तो ऐसे संघ आरम्भ कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कि इस सम्बन्ध में अब तक क्या निश्चित कार्यवाही की गयी है।

†श्री शिवनंजप्पा : वास्तव में कितनी वित्तीय सहायता दी गयी है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†डा० पं० शा० देशमुख : उन्होंने ९०,००० रुपये का बजट बनाया था और प्रत्येक डिपो के लिये १५,००० रुपये का आधा मांगा था। उन्हें सुझाव दिया गया है कि १०,००० रुपया प्रति डिपो और अन्यों के लिये ६,००० रुपया काफी होगा। मामला अब भी विचाराधीन है।

पत्तन और गोदी कर्मचारियों की हड़ताल

+

†*१५६. श्री तंगामणि :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री भक्त दर्शन :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री वाजपेयी :
श्री उ० ल० पाटिल :
श्री संगण्णा :
पंडित द्वा० ना० तिवारी:
श्री आसर :
श्री अमरसिंह डामर :
श्री राधा रमण :
श्री घोषाल :
श्री नाथ पाई :
श्री बाल्मीकि :
श्री जगन्नाथ राव :
श्री ईश्वर अय्यर :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री सूपकार :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री सुब्बया अम्बलम् :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिखाया गया है कि :

(क) जून, १९५८ की पत्तन और गोदी कर्मचारियों की हड़ताल में कितने पत्तन और गोदी कर्मचारियों ने भाग लिया ;

(ख) इस हड़ताल के कारण देश को कितना नुकसान उठाना पड़ा ;

(ग) कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या थीं ;

(घ) क्या सरकार ने गोदी कर्मचारियों के प्रतिनिधि मण्डल को हड़ताल खत्म करने के लिये कुछ आश्वासन दिये थे ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ङ) यदि हां, तो इस वादे का ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ङ). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १३४**]

†**श्री तंगामणि** : क्या फेडरेशन की मांगों में से एक मांग यह भी थी कि उपदान[1] और भविष्य-निधि के विषय में श्री पी० सी० चौधरी की सिफारिश मान ली जाये, और यदि हां, तो हड़ताल खत्म होने के पश्चात् जब शिष्ट मंडल सम्बन्धित मंत्री से मिला तो क्या यह मांग मान ली गयी थी ?

†**श्री राज बहादुर** : फेडरेशन की मांग वही है जो अभी माननीय सदस्य ने बतायी है; लेकिन इसे अन्य अंशों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिये साथ ही इस में स्वयं रिपोर्टिंग अफसर श्री पी० सी० चौधरी की इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि द्वितीय वेतन आयोग की नियुक्ति के फल-स्वरूप अब नये वेतन आयोग के अंतिम निष्कर्षों के आधार पर उनकी सिफारिशों का ही पुनरीक्षण और करना पड़ सकता है और उन्हें उनके अनुसार घटाया-बढ़ाया जा सकता है ।

†**श्री तंगामणि** : क्या हड़ताल के दौरान में, जो १६ जून, १९५८ से आरम्भ हुई थी, पुलिस द्वारा गोली चला दिये जाने से मद्रास में ६ व्यक्ति मारे गये थे और सात घायल हो गये थे और यदि हां तो क्या सरकार ने मृतकों और स्थायी रूप से असमर्थ होने वाले व्यक्तियों के परिवारों को कुछ प्रतिकर दिया है ?

†**श्री राज बहादुर** : सम्बन्धित राज्य-सरकार ने इस दुर्भाग्यपूर्ण गोलीकाण्ड की घटना की जांच के लिये एक जांच समिति की नियुक्ति कर दी है । उस जांच का परिणाम अभी तक प्रकट नहीं हुआ है और मेरा ख्याल है कि यदि कुछ प्रतिकर देने का प्रश्न उठा तो राज्य सरकार उस जांच के परिणामों के आधार पर उस पर विचार करेगी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री भक्त दर्शन ।

†**श्री तंगामणि** : इस जांच के अलावा मेरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार ने.....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्य को बाद में फिर पुकारूंगा अब श्री भक्त दर्शन ।

श्री भक्त दर्शन : इस हड़ताल के दौरान में और इसकी समाप्ति के बाद भारत सरकार ने जो कदम उठाये हैं, मैं जानना चाहता हूं कि मज़दूर लोग इसमें कितना सहयोग दे रहे हैं और क्या भविष्य में किसी हड़ताल की आशंका तो नहीं है ?

श्री राज बहादुर : मैं इतना निवेदन कर सकता हूं कि जहां तक कलकत्ते का प्रश्न है अब तक हम वहां पीस रेट सिस्टम लागू नहीं कर पाये थे और इसके पहले पीस-रेट स्कीम के सिलसिले में जो कमेटी जस्टिस जी० जी० भाई की अध्यक्षता में नियुक्त हुई थी, उसमें उनको सहयोग नहीं मिल रहा था । लेकिन अब उन्होंने उससे सहयोग किया है और कलकत्ते की पीस-रेट कमेटी के बारे में जो बातें हैं उनके बारे में जी० जी० भाई साहब ने हाल में ही रिपोर्ट देने का वादा किया है ।

†**श्री नाथ पाई** : क्या यह सच नहीं है कि हड़ताल इसी संकेत पर वापस ली गयी थी कि सरकार अधिकांश मांगें पूरी कर देगी, और सरकार के इन वादों को पूरा न करने के कारण गतिरोध उत्पन्न हो गया है और इन लोगों के दुबारा हड़ताल कर देने का ख़तरा उत्पन्न हो गया है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1] Gratuity

†**श्री राज बहादुर :** सरकार की ओर से जिन शर्तों पर आश्वासन दिये गये थे वह बिल्कुल स्पष्ट थीं । हम ने हमेशा ही यह कहा है कि हम कर्मचारियों के प्रति न्याय कराने के लिये इच्छुक हैं और उन पर पूर्ण सहानुभूति के साथ विचार किया जाना चाहिये । मेरे ख्याल में हड़ताल वापस ले लिये जाने के बाद जो चर्चा और बातचीत हुई है उसमें हम ने अधिक से अधिक सहानुभूति के साथ विचार किया है और जितना आगे हम बढ़ सकते थे, उतना हम बढ़े ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या फेडरेशन के प्रतिनिधियों से चौधरी आयोग के प्रतिवेदन के आने के बाद बातचीत की गयी, और यदि हां, तो ठीक-ठीक किन बातों के बारे में समझौता हुआ और वे बातें कौन सी थीं जिन पर समझौता नहीं हो सका ?

†**श्री राज बहादुर :** स्पष्ट है कि बातचीत न केवल इस प्रतिवेदन के आने के बाद वरन् हड़ताल वापस लिये जाने के बाद हुई थी । जहां तक इन बातों का सम्बन्ध है, विज्ञप्ति और गज़ट की अधिसूचना में उनका ब्यौरा दिया जा चुका है । मेरा ख्याल है कि मैं उन्हें यहां पढ़ कर नहीं सुना सकता हूं ।

†**श्री स० म०बनर्जी :** मेरा प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट था । फेडरेशन के प्रतिनिधि किन बातों से सहमत हो गये थे और कौन सी बातें ऐसी हैं जो कर्मचारियों के दिमागों को अब भी परेशान कर रही हैं ?

†**श्री राज बहादुर :** मेरे मन में यह धारणा है कि जो कुछ भी सरकारी विज्ञप्ति में शामिल है उस में मुख्यतः पारस्परिक समझौते की बात आ गई है, हो सकता है कि कुछ बातों पर एक पक्ष उतना जोर न देता हो जितना दूसरा देता है ।

†**श्री सूपकार :** क्या पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के फेडरेशन और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच कोई समझौता हो गया है, और यदि हां, तो दोनों पक्ष किन-किन बातों पर सहमत हो गये हैं ?

†**श्री राज बहादुर :** मैं केवल पिछले प्रश्न का उत्तर दोहरा सकता हूं ।

†**श्री प्रभात कार :** क्या यह सच है कि फेडरेशन के साथ इस बातचीत में समझौता नहीं हो पाया है और इसके फलस्वरूप पुनः हड़ताल का ख़तरा उत्पन्न होने की संभावना है ?

†**श्री राज बहादुर :** कुछ बातें ऐसी थीं, जैसे उदाहरण के लिये निवृत्ति के समय के लाभ—जिन पर फेडरेशन के प्रतिनिधि कुछ अड़े हुए से थे और वे कह रहे थे कि हम तत्काल श्री चौधरी की सिफारिश मान लें । हम ने अपनी कठिनाइयां उन्हें समझा दी थीं; और इन कठिनाइयों के होते हुए भी हम ने कुछ वर्गों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में एक ऐसा फार्मूला निकाल लिया है जिससे उन्हें अब से अधिक सुविधायें मिल सकेंगी ।

†**श्री साधन गुप्त :** क्या यह सच है कि हड़ताल तोड़ने के लिये जो अनुभवहीन सैनिक कर्मचारी बुलाये गये थे उनके अनाड़ी ढंग से काम करने के कारण पत्तन पर लगी कई मशीनें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं ?

†**श्री राज बहादुर :** ऐसी किसी घटना की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट नहीं किया गया है और यदि माननीय सदस्य, जो अधिक जानते हैं, मुझे ऐसी कोई घटना बता देंगे तो मैं उनका बड़ा आभार मानूंगा ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री एन्थनी पिल्ले :** क्या यह सच है कि जो भी स्थानीय मांगें तय नहीं हुई हैं सभी मध्यस्थ-निर्णयन के लिये भेज दी जायेंगी और जो मांगें श्री चौधरी के प्रतिवेदन से संबंधित नहीं होंगी उन पर सरकार शीघ्रता के साथ विचार करेगी, और यदि हां, तो क्या यह आश्वासन पूरा किया गया है ?

†**श्री राज बहादुर :** सरकारी विज्ञप्ति में समझौते की जो शर्तें प्रकाशित हुई हैं उनके अनुसार यह तय हो चुका है कि इन स्थानीय और विभागीय मांगों पर पत्तन के स्तर पर पत्तन के प्रशासनिक अफ़सरों से बातचीत की जायगी और यदि दोनों पक्षों के बीच समझौता न हो पाया तो केन्द्रीय सरकार के पास एक प्रतिवेदन भेजा जायेगा और वह उस पर विचार कर जो उचित समझेगी निर्णय करेगी ।

†**श्री एन्थनी पिल्ले :** मेरा प्रश्न स्पष्ट था ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** कुछ समय तक प्रतीक्षा करना होगा ।

†**श्रीमती मफोदा अहमद :** क्या विदेशी जहाजों को रोक रखने के कारण विलम्ब-शुल्क दिया गया है, और यदि हां, तो कितनी रकम दी गई है ?

†**श्री राज बहादुर :** निस्संदेह ही हड़ताल १० दिन चलती रहने के फलस्वरूप जहाज़ रुके रहे किन्तु अब यह भीड़ दूर कर दी गई है किन्तु मैं नहीं समझता कि विलम्ब-शुल्क दिया गया है । और यदि ऐसा किया है तो मैं यथासमय जानकारी दे दूंगा ।

†**श्री नाथ पाई :** विवाद और समझौते के संभावित सिद्धान्त—दोनों का आधार चौधरी समिति रिपोर्ट है । क्या मंत्री महोदय रिपोर्ट की प्रति लोक सभा के पटल पर रखने के लिये सहमत हैं ?

†**श्री राज बहादुर :** मेरा विचार है कि संकल्प पारित होने पर यह रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से प्रकट कर दी गई है । इसकी प्रति पहले सभा-पटल पर नहीं रखी गई है तो मैं यह भी कर दूंगा ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्नकालीन घंटे में इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जायेगा । यह एक पृथक विषय है जिस पर फिर कभी चर्चा की जा सकती है । अभी भी २० सदस्य प्रश्न पूछने के इच्छुक हैं । माननीय सदस्यों को इतना सहायक होना चाहिये कि अधिकतम संख्या में प्रश्न पूछे जायें ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** मंत्री महोदय को वक्तव्य देना चाहिये था ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह विभिन्न अवसरों पर अलग-अलग रूप में पूछा जा सकता है ।

जमुना बाजार में रहने वालों के लिये कोलोनी

†*१५८. **श्री राधा रमण :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या स्वास्थ्य मंत्री १९ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जमुना बाजार के निवासियों के लिये दिल्ली में जमुना पुल के पार एक कोलोनी निर्माण करने के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १३५]**

†**श्री राधा रमण** : क्या सरकार ने अपने वायदे और आश्वासन के अनुसार इन १५०० मकानों का निर्माण आरम्भ कर दिया गया है, और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**श्री करमरकर** : विवरण में कहा गया है कि जमीन के बारे में अधिग्रहण सम्बन्धी शेष कार्यवाही अभी की जायेगी। इसमें तीन चार महीने लग जायगे। इसके पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ होगा।

†**श्री राधा रमण** : क्या सरकार ने जमुना बाजार के निवासियों के लिये १५०० मकान बनाने के बारे में कोई समय निश्चित किया है ?

†**श्री करमरकर** : जहां तक ५० एकड़ जमीन का सम्बन्ध है इस कार्य में तीन या चार महीने लगेंगे। उसके बाद आवश्यक कदम उठाये जायगे।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : जमुना बाजार में रहने वाले कितने परिवारों के लिये आवास का उपबंध किया जायेगा ?

†**श्री करमरकर** : ५० एकड़ जमीन जमुना बाजार के निवासियों के लिये निर्धारित स्थल का ही अंश है। इनमें से अधिकांश उस बस्ती में हैं जो झिलमिला ताहिरपुर में विशेष रूप से इनके लिए बनायी गई थी। इनकी संख्या कुल १२०० मकान है और किलोखेड़ी में लगभग ४०० मकान हैं। ये मकान विशेष रूप से जमुना बाजार के निवासियों के लिये बनाये गये थे किन्तु उनमें से कुछ लोगों को यह बस्ती सुविधाजनक सिद्ध नहीं हुई। उनके लिये यह अतिरिक्त व्यवस्था की गई है।

†**चौ० ब्रह्म प्रकाश** : क्या यह सच नहीं है कि प्रस्तावित पचास एकड़ भूमि पानी में डूब रही है और चार महीने तक उसकी यही अवस्था रहती है। क्या सरकार उनके लिये वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था करेगी ?

†**श्री करमरकर** : इस प्रश्न पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया था। यह निचली तह वाली ज़मीन है। यह हमारी पूर्व आशंका थी। किन्तु उत्तर प्रदेश सरकार से परामर्श के पश्चात्, यह मालूम हुआ कि बाढ़ की तुरन्त कोई आशंका नहीं है। इसलिये यह कार्यवाही की जा रही है। ज़मीन का विकास करते समय यह देखने का प्रयत्न किया गया है कि मकान ऐसी भूमि पर हो जहां आपात काल को छोड़ कर बाढ़ न पहुंच सके।

†**श्री जाधव** : इन नागरिकों की कुल कितनी संख्या है और उन्हें बसाने के लिये कितने मकान और चाहियें ?

†**श्री करमरकर** : बाद में संशोधन की गुंजाइश रखते हुये इस क्षेत्र में लगभग १६०० दो-मंज़िले मकान बनाने का विचार है। यह झिलमिला, ताहिरपुर में १२०० मकान और किलोखेड़ी में ४०० मकान से पृथक् है।

†**श्री जाधव** : इन नागरिकों की कुल कितनी संख्या है और इनके लिये कितने मकान आवश्यक हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री करमरकर :** मेरा विचार है कि जमुना बाज़ार क्षेत्र में कुल २६०० परिवार हैं अर्थात् वहां कुल जनसंख्या १२,००० है। इस पूरी आबादी के लिये ही मकानों की व्यवस्था की जायेगी। झिलमिला ताहिरपुर में आंशिक रूप में उन्हें बसाया गया है और किलोखेड़ी के मकान पूरे भर गये हैं। यह तो अतिरिक्त आवास के रूप में है।

श्री राधा रमण : जमुना बाज़ार के निवासियों के लिये मकान बनाने के बारे में किलोखेड़ी, झिलमिला ताहिरपुर और ५० एकड़ की एक और जगह—इन तीनों के अतिरिक्त क्या कोई और जगह भी इस प्रयोजन के लिये है ?

श्री करमरकर : हमारा विचार है कि जमुना बाज़ार के निवासियों के लिये ये तीनों जगह पर्याप्त हैं।

हीराकुड बांध परियोजना

†*१५९. **श्री सूपकार:** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री १७ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १७२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उड़ीसा की सरकार निकट भविष्य में सम्पूर्ण हीराकुड बांध परियोजना को अपने नियंत्रण में लेने के लिये तैयार है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमन्त्री (श्री हाथी) :** हीराकुड नियंत्रण बोर्ड की २६ जुलाई, १९५८ को हुई एक बैठक के निर्णयानुसार एक समिति की नियुक्ति की गई है जो उड़ीसा की सरकार को हीराकुड बांध परियोजना के नियंत्रण के हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रबन्ध करने की सिफारिश करेगी। आशा की जाती है कि यह समिति ३० सितम्बर, १९५८ तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी।

†**श्री सूपकार :** यह हस्तान्तरण वास्तविक रूप से कब से लागू होगा ?

†**श्री हाथी :** वास्तव में यह प्रतिवेदन पर निर्भर करना चाहिये किन्तु हम ३१ दिसम्बर, तक इसका हस्तान्तरण कर देना चाहते हैं।

†**श्री महन्ती :** इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और इसके निदेश पद क्या हैं ?

†**श्री हाथी :** हीराकुड बांध परियोजना के चीफ़ इंजीनियर, उड़ीसा के विद्युत चीफ़ इंजीनियर, उड़ीसा के सिंचाई चीफ़ इंजीनियर और हीराकुड बांध परियोजना के वित्तीय सलाहकार एवं प्रमुख लेखाधिकारी इसके सदस्य हैं। इसकी स्थापना बांध परियोजना के संधारण संचालन के लिये आवश्यक व्यवस्था की देखभाल करने के लिये की गई है।

†**श्री पाणिग्रही :** पहले वाले प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा था कि हीराकुड बांध की पहली अवस्था पूरी होने से पूर्व ही हीराकुड का नियंत्रण उड़ीसा की सरकार को हस्तान्तरित कर दिया जायेगा। क्या सरकार को यह आशा है कि बांध की पहली अवस्था ३१ दिसम्बर, १९५८ से पहले पूरी हो जायेगी ?

†**श्री हाथी :** हम तैयार हैं और ज्यों ही उड़ीसा की सरकार तैयार हो जायेगी हम हीराकुड परियोजना उसे हस्तांरित कर देंगे। उस समय मैंने अपने उत्तर में यही बात कही थी।

†**श्री सूपकार :** जो पदाधिकारी वहां कार्य कर रहे हैं, उनका क्या होगा ? क्या उड़ीसा की सरकार को उन्हें तब तक काम में लगाये रखना पड़ेगा जब तक कि परियोजना की दूसरी अवस्था पूरी नहीं हो जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री हाथी :** जहां तक पदाधिकारियों का सम्बन्ध है, कुछ पदाधिकारी भारत सरकार के हैं। उनमें से कुछ उड़ीसा राज्य पदाली के हैं। भारत सरकार की पदाली में के जितने पदाधिकारियों की आवश्यकता होगी वे वहां काम करते रहेंगे और शेष भारत सरकार में वापस चले आयेंगे। जहां उड़ीसा राज्य पदाली के पदाधिकारियों का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता कि उनमें कुछ फालतू इंजीनियर होंगे।

†**श्री पाणिग्रही :** क्या हीराकुड बांध परियोजना का विद्यमान चीफ़ इंजीनियर यह बांध उड़ीसा राज्य सरकार को हस्तांतरित किये जाने के पश्चात् वहां की सरकार के अधीन कार्य करता रहेगा ?

†**श्री हाथी :** यदि आवश्यकता हुई तो वह चिप्लेमा पावर हाउस के लिये वहां काम करता रहेगा।

परिवार नियोजन

+
†*१६०. { **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने गर्भ निरोधक उपकरणों के विज्ञापन की अनुमति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने के कारण और परिस्थितियां क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (श्री करमरकर) :** (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्य क्रम में परिवार नियोजन के महत्व को दृष्टि में रखते हुये उन गर्भ निरोधक उपकरणों के विज्ञापनों के लिये, जिनके भारत सरकार द्वारा प्रभावी और हानिरहित मान लिया है, निम्न शर्तों के अधीन अनुमति दे दी गई है :

(१) उत्पादन उपचार का दावा नहीं कर सकेगी ;

(२) विज्ञापन में यह बताया जायेगा कि गर्भ निरोधक उपकरण का उपयोग डाक्टर की सम्मति से किया जायेगा ;

(३) विज्ञापन में इस बात का उल्लेख नहीं किया होगा कि सरकार से इसको स्वीकृति मिल चुकी है अथवा विज्ञापन को प्रकाशित करने के लिये मंजूरी दे दी गई है ; और

(४) विज्ञापन औषध और चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, १६५४ की धारा ४ का उल्लंघन नहीं करेगा।

†**सरदार इकबाल सिंह :** क्या इस प्रयोजन के लिये औषध और चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम में संशोधन किया जायेगा ?

†**श्री करमरकर :** यह पर्याप्त है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**सरदार इकबाल सिंह** : यह अधिनियम संसद् द्वारा बनाया गया था क्योंकि देश में सभी प्रकार के आपत्तिजनक गर्भ निरोधी उपकरणों के विज्ञापन थे। अब सरकार इसके लिये क्या कार्यवाही करने का विचार करती है कि इसकी पुनरावृत्ति न हो सके ?

†**श्री करमरकर** : यदि ऐसा होता है तो उसके लिये विधि मौजूद है। ऐसे लोगों को न्यायालय में लाया जायेगा और उन्हें दण्ड मिलेगा।

†**श्री पाणिग्रही** : विदेशों में कुछ गोलियां भी बनाई गई हैं जो इन गर्भ निरोधक उपकरणों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हैं। क्या सरकार इस पर भी विचार कर रही है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस समय हम इस देश में गर्भ निरोधी उपकरणों के विज्ञापनों के प्रश्न पर ही विचार कर रहे हैं।

†**श्री स० म० बनर्जी** : इस देश में परिवार नियोजन पर प्रति वर्ष कितनी राशि व्यय की जाती है और प्रति वर्ष कितने परिवारों का आयोजन किया जाता है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सामान्य परिवार नियोजन का इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है।

†**श्री मोहम्मद इमाम** : बहुधा कहा जाता है कि ये बहुत से गर्भ निरोधी उपकरण हानिकारक हैं। क्या सरकार ने इसके लिये कोई सावधानी बरती है कि गर्भ निरोधी उपकरण अथवा उन में से अधिकांश हानिकारक हैं और उनका वांछित प्रभाव होगा तथा जिनका प्रचार किसी सक्षम डाक्टर द्वारा परीक्षा करने के पश्चात् ही उनका विज्ञापन किया जायेगा ?

†**श्री करमरकर** : इनकी जांच की जाती है और हम लोगों के पूर्णरूपेण सन्तुष्ट हो जाने के पश्चात् ही हम यह कह सकते हैं कि ये हानिरहित हैं और तभी उनके विज्ञापन के लिये अनुमति दी जाती है।

†**श्री नाथ पाई** : यह विज्ञापित किया गया है कि जनसंख्या की समस्या का हल एक गोली के रूप में पाया गया है। क्या भारत सरकार के चिकित्सा पदाधिकारियों ने इस दावे की जांच की है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जैसा कि मैं अभी अभी कह चुका हूं, इस प्रश्न से हमारा मुख्य सम्बन्ध गर्भ निरोधी उपकरणों के विज्ञापन से है।

†**श्री नाथ पाई** : यह गोली गर्भ निरोधी है और इसका विज्ञापन किया जा रहा है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : फिलहाल हमारा सम्बन्ध गर्भ निरोधी उपकरण के विज्ञापन से है।

†**श्री नाथ पाई** : अब भारत में भी इसका विज्ञापन किया जा रहा है जिसको मैंने लाइफ के नवीनतम अंक में पढ़ा था।

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : माननीय सदस्य ने कहा है कि उन्होंने लाइफ अथवा अन्य इसी प्रकार के किसी पत्र में इसका विज्ञापन पढ़ा है। सामान्यतः हम वैज्ञानिक अथवा अन्य किसी इसी प्रकार के संक्षिप्त अथवा अन्य समाचारों को इसमें सम्मिलित नहीं करते हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

जहां तक तथाकथित गर्भनिरोधी गोली का सम्बन्ध है, स्पष्ट है कि यदि वह साधारण, सन्तोषजनक और सस्ती है, जिसको खोज निकाला गया है तो यह एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। इस विषय में स्वयं हमारे डाक्टर भी एक से अधिक स्थानों में और विशेषकर कलकत्ता में गवेषणा कर रहे हैं। उन्होंने अच्छा काम किया है। अब तक वे बहुत कुछ इस बात से सन्तुष्ट हो गये हैं कि गोली कुछ जानवरों के बारे में अवश्य लाभदायक है। इस विषय में गवेषणा करने में समय लगता है और अब वे इसके प्रभाव की जांच करने के लिये एक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। भारत सरकार ने उन्हें इसके लिये अनुदान दिया है तथा इस कार्य के लिये वह उनकी सहायता कर रही है।

दिल्ली से गेंहूं का चोरी छिपे ले जाना

*१६१. **श्री तंगामणि :**
श्री नवल प्रभाकर :
श्री राधा रमण :
श्री वाजपेयी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और गाजियाबाद के बीच गेहूं का तस्कर व्यापार चलता है ;

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारियां की गई हैं ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) और (ख). जी हां, गेहूं और गेहूं से बने द्रव्य को दिल्ली से उत्तर प्रदेश स्थित स्थानों में चोरी चोरी से ले जाने की सूचनायें प्राप्त हुई थीं। दिल्ली शासन ने उसकी रोक थाम के लिये प्रबन्ध कर दिया है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश को मिलने वाली सड़कों पर स्पेशल पुलिस बिठा दी गई है और माल की एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय जांच पड़ताल की जाती है।

(ग) अब तक १०४ आदमी गिरफ्तार किये जा चुके हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अंग्रेजी का उत्तर भी पढ़ा जाये।

(इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया)

†**श्री तंगामणि** : माननीय मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि १०४ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। इन लोगों के पास कितना गेहूं पकड़ा गया है ?

†**खाद्य और कृषि उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)** : लगभग ८८३ मन।

†**सरदार इकबाल सिंह** : गेहू पकड़ने के बजाय उसके चोरी छिपे ले जाने को रोकने के लिये सरकार ने और दूसरी क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : हमने कई कार्यवाही की हैं। उन सबको बताना लोकहित में नहीं होगा क्योंकि उससे चोरी छिपे माल ले जाने वालों को हल मिल जायेगा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री फीरोज गांधी** : ८८३ मन में से उचित मूल्य की दुकानों का कितना गेहूं था ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : हमारे पास इसका कोई रिकार्ड नहीं है ।

†**श्री राधा रमण** : क्या सरकार ने जो कार्यवाही की है उनसे कोई प्रभावोत्पादक परिणाम नहीं निकला है और गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों में से अधिकांश ऐसे हैं जो केवल बहुत थोड़ी मात्रा में ले जाने वाले हैं जब कि बड़े बड़े लोग और ट्रकों आदि में भर कर उसका चोरी-छिपे ले जाना अब भी जारी है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : मैं इस ठोस जानकारी के आधार पर यह कह सकता हूं कि चोरी छिपे गेहूं ले जाना अब लगभग बन्द कर दिया गया है । हो सकता है कि इधर-उधर कुछ थोड़ा बहुत तस्कर व्यापार हो रहा हो किन्तु चोरी-छिपे उसका ले जाना अब लगभग बन्द हो गया है ।

†**श्री राधा रमण** : अभी अभी यह बताया गया था कि १०४ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं । इन लोगों के मुकदमे की वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : तेतालीस व्यक्तियों को पहले ही अपराधी ठहराया जा चुका है और अन्य मुकदमे अभी चल रहे हैं ।

†**श्री विभूति मिश्र** : मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली में गेहूं कितने रुपये मन बिकता है और यहां से जो गेहूं उत्तर प्रदेश ले जाया जाता है वह वहां पर कितने रुपये मन बिकता है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : दिल्ली में गेहूं का भाव साढ़े १५ रुपये से ले कर १७ रुपये तक है और उत्तर प्रदेश के आस पास के इलाकों में २० रुपये मन से ले कर २२ रुपये मन तक है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : मैं मंत्री महोदय के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि चोरी-छिपे गेहूं ले जाना बन्द हो गया है । क्या सरकार ने उन फर्मों का नाम चोरबाजारी करने वालों की सूची में दर्ज कर लिया है, जो दिल्ली से उत्तर प्रदेश को चोरी-छिपे गेहूं भेज रहे हैं और क्या उनके लाइसेंस आदि जब्त कर लेने के बारे में सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : कुछ फर्मों का नाम चोर बाजारी करने वालों की सूची में दर्ज कर लिया गया है और कुछ के लाइसेंस रोक दिये गये हैं और उन्हें अस्थायी लाइसेंस नहीं दिये जा रहे हैं ।

†**श्री फीरोज गांधी** : माननीय मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि वह यह नहीं जानते कि उचित मूल्य की दूकानों से कितना गेहू चोरी-छिपे ले जाया गया था । क्या यह सच है कि उचित मूल्य की दूकानों से भी गेंहूं चोरी छिपे ले जाया जा रहा था जो इसमें शामिल है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : गेहूं को अलग अलग कैसे पहचाना जा सकता है ?

†**श्री फीरोज गांधी** : क्या यह सच है ?

†**श्री अ० म० थामस** : आयात किये गये गेहूं को चोरी छिपे लाये ले जाने की अधिक सम्भावना नहीं है क्योंकि पजाब और दिल्ली में हम अधिक मात्रा में आयात किया हुआ गेहू नहीं बांट रहे हैं ।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या चोरी-छिपे गेहूं ले जाने के लिये ट्रकें तथा अन्य मोटरगाड़ियां पकड़ी गई हैं और यदि हां, तो कितनी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० प्र० जैन** : जी हां, कुछ ट्रकें पकड़ी गई थीं ।

†**श्री साधन गुप्त** : कितनी ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : मैं संख्या नहीं बता सकता ।

हुगली के पानी का खारीपन

†*१६२. **श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलगाड़ी के काम करते हुये कुछ इंजन पोर्ट रेलवे, कलकत्ता में ८ जून, १९५८ को हुगली के पानी के अत्यधिक खारी होने के कारण खराब हो गये, जिसका उपयोग इन इजनों को चलाने में किया जाता है और सेवा चालू रखने के लिये पूर्वी रेलवे से कुछ इंजन उधार मांगे गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो पत्तन पदाधिकारियों द्वारा हुगली के खारी पानी से उत्पन्न समस्यायें हल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां ।

(ख) हुगली नदी के पानी का अत्यधिक खारी होना नदी में ग्रीष्म ऋतु में आगे से पानी न मिलना है । पत्तन पदाधिकारियों ने अस्थायी उपाय के रूप में गोदियों और जेट्टियों में कई नलकूप बनवाने का निश्चय किया है जिससे नदी के पानी का उपयोग करने की आवश्यकता न पड़े ।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : कितने इंजन खराब हो गये थे और माल न ले जाये जाने के कारण कितनी हानि हुई क्योंकि उन्हें पत्तन के अन्दर या बाहर नहीं ले जाया जा सकता था ?

†**श्री राज बहादुर** : खराब मौसम में अर्थात् प्रति वर्ष अप्रैल से जून तक यह औसत लगाया गया है कि १०–१२ इंजन खराब हो जाते हैं ।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : क्या पत्तन प्राधिकार ने हुगली नदी के खारीपन के प्रति वर्ष का कोई हिसाब रखा है कि उसमें कितना प्रतिशत खारीपन होता है और उसमें वृद्धि का कोई रिकार्ड है ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं नहीं समझता कि खारीपन के प्रतिशत का कोई रिकार्ड रखा जाता है । किन्तु यह स्पष्ट है कि किसी सीजन में वर्षा में विलम्ब होने पर अथवा पानी न मिलने पर खारीपन बढ़ जाता है और हमें समाचार मिला है कि जब कभी ऐसी चीजें होती हैं, तो अधिक संख्या में इंजन खराब होते हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह सच है कि इस वर्ष एक लाख क्यूसेक्स पानी में १० भाग की तुलना में ६५० भाग खारीपन आ गया जो बहुत अधिक है और दस नहीं अपितु इस वर्ष एक ही दिन में ४१ इंजन खराब हो गये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर :** मुझे यह जानकारी नहीं मिली है। निस्संदेह यह वर्ष बड़ा खराब था। किन्तु मुझे इस बात की सूचना नहीं है कि ४१ इंजन खराब हो गये थे।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :** मंत्री महोदय ने कहा है कि इसका कारण गंगा के मुख्य जल विभाग से जो पानी आता है उससे हुगली में कम पानी आना है। क्या मैं जान सकता हूं कि पत्तन प्राधिकार और लोअर हुगली चैनल जो पत्तन के रास्तों को मिलाती है उसके संरक्षण से सम्बन्धित इंजीनियरों ने इसकी स्वतंत्र रूप से कोई जांच करके खारीपन के प्रतिशत में वृद्धि और इस खारीपन की समस्या का लोअर हुगली चैनल और मुख्य जल चैनल में रेत जमा हो जाने की समस्या को रोकने से कहां तक सम्बन्धित है, इस बारे में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की थी ?

†**श्री राज बहादुर :** मैं समझता हूं कि इस चीज़ को सभी लोगों ने, जिसमें संरक्षण सम्बन्धी कर्मचारी वर्ग भी सम्मिलित हैं, स्वीकार कर लिया है कि यह समस्या ताजा पानी न मिलने पर उत्पन्न हो जाती है, जो हुगली में से ही कहीं न कहीं से लाना पड़ता है, और यदि ताजा पानी मिलता रहे तो यह समस्या हल हो सकती है।

†**श्री हेडा :** क्या यह सच नहीं कि कुछ काल ऐसा भी होता है जब कि ताज़ा पानी मिलने के कारण खारीपन कम रहता है और इस समय से लाभ नहीं उठाया जाता ?

†**श्री राज बहादुर :** मैं माननीय सदस्य द्वारा मांगा गया औसत बता रहा हूं। यातायात के लिये हमारे पास ३९ इंजन हैं, ५ स्थैर्यभार के लिये, २ खराब हो जाने पर इस्तेमाल के लिये और २ आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल के लिये रहते हैं। ये सब इसी प्रकार काम में लाये जाते हैं। यही औसत है किन्तु खराब मौसम में कुछ कठिनाई हो जाती है।

†**श्री विमल घोष :** क्या सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि कुछ नलकूप खोदने से खारीपन की समस्या हल हो जायेगी ? अथवा यदि कुछ और किया जाना है तो वह क्या है ?

†**श्री राज बहादुर :** मैं पहले ही बता चुका हूं कि स्थिति का सामना करने के लिये यह अस्थायी प्रबन्ध है। इसका वास्तविक उपचार तो कहीं न कहीं से जल लाना है .....

†**एक माननीय सदस्य :** कहां से ? (**अन्तर्बाधा**)

†**श्री प्रभात कार :** इसको स्थायी रूप से हल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री राज बहादुर :** यह प्रश्न मेरे साथी सिंचाई और विद्युत मंत्री से पूछा जाना चाहिये।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए —

†**उपाध्यक्ष महोदय :** चूंकि इसका कोई स्थायी हल नहीं है, इस कारण इस मामले पर और अधिक समय हम क्यों व्यय करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

ब्रिटिश शिपयार्ड मिशन की रिपोर्ट

+

*१६३. श्री दमानी :
श्री श्री नारायण दास :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री राम कृष्ण :
सरदार इकबाल सिंह :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्री वें० प० नायर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बोस :
श्री कोडियान :
श्री वि० चं० शुक्ल :
श्री पोकर साहेब :
श्री कुमारन् :
श्री गणिग्रही :
श्री राधा रमण :
श्री तंगामणि :
श्री घोषाल :
श्री नाथ पाई :
श्री शिवनंजप्पा :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री मोहम्मद इमाम :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री मणियंगाडन :
श्री संगण्णा :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री हेम बरुआ :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश शिपयार्ड मिशन की रिपोर्ट की जांच करने के लिये सरकार ने कोई समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने रिपोर्ट की जांच कर ली है ; और

(ग) उसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). ब्रिटिश शिपयार्ड मिशन की रिपोर्ट अभी विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री दमानी : इस तथ्य की दृष्टि से कि वाणिज्यिक पोतों की भार क्षमता अपर्याप्त है और हमें भाड़ों का बहुत बड़ी राशि में भुगतान करना पड़ता है जिसमें विदेशी मुद्रा भी अन्तर्निहित है .....

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न प्रत्यक्ष होना चाहिये, लगभग तीस व्यक्ति हैं ।

†**श्री दमानी :** क्या सरकार न इस शिपयार्ड पर धन व्यय करने के बजाय कुछ नये जहाज खरीदना वांछनीय समझा है ? (**अन्तर्बाधा**)

†**एक माननीय सदस्य :** यह हमारे वाणिज्यिक जहाजों के बारे में नहीं है ।

†**श्री वि० चं० शुक्ल :** क्या यह सच है कि ब्रिटिश शिपयार्ड मिशन ने शिपयार्ड बनाने के लिये कोचीन को सर्वोत्तम स्थान बताया है और क्या उसके पक्ष में विचार किया जा रहा है ?

†**श्री राज बहादुर :** आयोग की रिपोर्ट कुछ बातों पर निर्भर करती है और यह कहा गया है कि कोचीन सर्वोत्तम स्थान है । इसमें सन्देह नहीं कि समिति इस पर विचार कर रही है ।

†**श्री श्री नारायण दास :** समिति इस कार्य को कब तक पूरा कर लेगी ?

†**श्री राज बहादुर :** दो बैठकें पहले ही हो चुकी हैं और मुझे आशा है कि तीसरी बैठक में वह रिपोर्ट पर अपनी सिफारिशों के बारे में अन्तिम निर्णय कर लेगी ।

†**श्री दासप्पा :** क्या रिपोर्ट पर निर्णय करते समय करवाड़ पर भी विचार किया जायेगा और क्या मैसूर सरकार को सारी सुविधायें दी गई हैं ?

†**श्री राज बहादुर :** यह मामला रिपोर्ट पर विचार करने के साथ सम्बद्ध है और जो समिति अब इस पर विचार कर रही है वह इस चीज़ को ध्यान में रखेगी ।

†**श्री जोकीम आल्वा :** क्या यह सच है कि ब्रिटिश मिशन ने यह शिकायत की है कि उनका कार्यक्रम बड़ा व्यस्त था और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भागना पड़ता था और अन्ततोगत्वा जब वह करवाड़ नामक स्थान पर था तो जोग झरना अथवा भद्रावती आयरन वर्क्स जो समीप में ही थे, उसे नहीं दिखाये गये थे ?

†**श्री राज बहादुर :** मुझे ऐसी किसी शिकायत की जानकारी नहीं है ।

†**सरदार इकबाल सिंह :** क्या इस उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने करवाड़ तथा अन्य स्थान का दौरा किया था, जैसी कि मिशन ने सिफारिश की थी ?

†**श्री राज बहादुर :** इसने नौ स्थानों का दौरा किया था, जिनमें से एक कोचीन भी था ।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन् :** शिपयार्ड मिशन में उच्च टेक्निकल विशेषज्ञ थे, तो फिर इस उच्च शक्ति समिति की क्या आवश्यकता थी । इसका बनाना क्यों आवश्यक समझा गया और फिर इसे रिपोर्ट पर अन्तिम निर्णय करने में इतना समय क्यों लग रहा है जब कि यह रिपोर्ट उस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई है ?

†**श्री राज बहादुर :** सरकार को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टों पर विचार करने के लिये ऐसी समितियां बनाना सरकार के लिये सामान्य बात है । उसे रिपोर्ट में दी गई सारी बातों और अन्य कारकों पर विचार करना पड़ता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कुमारन्** : द्वितीय शिपयार्ड के लिये कितनी विदेशी मुद्रा कूती गई है ?

†**श्री राज बहादुर** : विभिन्न स्थानों के बारे में रिपोर्ट में ही कहा गया है ।

†**श्री पाणिग्रही** : यह दूसरा शिपयार्ड क्या द्वितीय योजना समाप्त होने से पहले बन जायेगा ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं इस स्थिति में इसका उत्तर नहीं दे सकता ।

†**श्री तंगामणि** : मंत्री महोदय ने कहा कि ब्रिटिश मिशन ने सिफारिश की है कि द्वितीय शिपयार्ड कोचीन में खोला जाना चाहिये । इस पर कितना व्यय होगा और इस समिति में कौन कौन लोग होंगे ?

†**श्री राज बहादुर** : मेरे पास इसके आंकड़े नहीं हैं ।

†**श्री तंगामणि** : कम से कम नाम तो बताये जा सकते हैं ।

†**श्री राज बहादुर** : वैदेशिक मंत्रालय के महा सचिव श्री एन० आर० पिल्ले, परिवहन विभाग के सचिव श्री आर० एल० गुप्त, प्रतिरक्षा सचिव, श्री पुल्ला रेड्डी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विशेष सचिव श्री एल० के० झा, योजना आयोग परामर्शदाता श्री ई० पी० मून, परिवहन विभाग के संयुक्त सचिव डा० नागेन्द्र सिंह, वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री एस० एस० शिरालकर तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक परामर्शदाता श्री बी० डी० केलकर हैं ।

†**श्री वासुदेवन् नायर** : यह समिति अन्तिम निर्णय कब तक कर लेगी ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं निश्चित तिथि नहीं बता सकता । मैं समझता हूं कि वह इस कार्य को बहुत शीघ्र कर लेगी ।

†**श्री मोहम्मद इमाम** : इस टीम में विशेषज्ञ थे जिनको जहाज बनाने के बारे में ज्ञान था और उसी ने अपनी रिपोर्ट दी थी । क्या हम यह समझें कि अब जो नई समिति बनाई गई है इसके सदस्य ब्रिटिश मिशन के सदस्यों से अधिक कुशल टेक्नीशियन हैं और क्या हम यह अर्थ लगाया जाये कि जो स्थान उन्होंने चुना है सरकार को स्वीकार्य नहीं है और वह कोई दूसरा स्थान चुनने का विचार कर रही है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : हम यहां कोई चीज़ मानने की आवश्यकता नहीं है ।

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : श्रीमान्, क्या मैं कुछ बोल सकता हूं ? सामान्य प्रक्रिया यह है कि जब भी कोई विशेषज्ञों की टीम नियुक्त की जाती है अथवा विदेश से बुलाई जाती है तो सरकार उसकी सिफारिशों पर विचार करती है । इस पर विचार करने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त टीम बनाई जाती है जिसमें वरिष्ठ सचिव होते हैं जो उस पर विचार करने के पश्चात कैबिनेट को रिपोर्ट देते हैं । तत्पश्चात् केबिनेट इस पर विचार करती है । विशेषज्ञ टीम द्वारा सुझाई गई कोई भी चीज़ स्वतः ही लागू नहीं कर दी जाती क्योंकि विशेषज्ञ टीम उस पर विशेषज्ञों की दृष्टि से विचार करती है, अन्य किसी दृष्टिकोण जैसे प्रतिरक्षा आदि की दृष्टि से नहीं । मैं इस विशेष मामले के बारे में नहीं कह रहा हूं किन्तु कुछ और भी मामले हैं जिन पर इस सम्बन्ध में विचार करना पड़ता है । अतः इस मामले में सामान्य प्रक्रिया अपनाई गई है । जब तथाकथित समिति इस पर विचार कर लेती है तो वह केबिनेट को रिपोर्ट देती है, तत्पश्चात् केबिनेट इस पर विचार कर अपना निष्कर्ष निकालती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री राधा रमण : कमीशन की मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या थीं और क्या वे सिफारिशें सभा पटल पर रखी जायेंगी ?

†श्री राज बहादुर : वे सभा पटल पर रख दी जायेंगी ।

†श्री जोकीम आल्वा : क्या ये सारे सचिव केवल शिपिंग में माने हुये विशेषज्ञ हैं, और यदि हां, तो क्या उसमें कोई स्वतन्त्र संसद सदस्य अथवा स्वतन्त्र व्यापारी नहीं रखा जायेगा ?

†श्री वि० च० शुक्ल : क्या इस योजना काल के अन्त से पूर्व इस शिपयार्ड के पूरे बन जाने की सम्भावना है ?

†उपाध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है ।

अमरीका से खाद्यान्न

†*१६४. { श्री दामानी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :
डा० राम सुभग सिंह :
सरदार इकबाल सिंह : }

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले विनियोग में से पी० एल० एल० ४८० के अन्तर्गत अमरीका ने भारत को अतिरिक्त खाद्यान्न खरीदने के लिये अतिरिक्त निधि उपलब्ध करने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस नयी निधि के आवंटन की क्या राशि है ; और

(ग) इस नये प्रस्ताव के अन्तर्गत कितना खाद्यान्न आयात किया जायेगा ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां ।

(ख) ५ करोड ७० लाख डालर ।

(ग) लगभग ७.८ लाख टन ।

†श्री दामानी : इस माल का प्रति टन क्या अवतारित मूल्य है और पहले सम्भरण से इसकी क्या तुलना है ?

†श्री अ० म० थामस : इन ७–८ लाख टन में से हमारा गेहूं के लिये प्रदत्त ३ करोड़ ७० लाख डालर से ५.८ लाख टन खरीदने का विचार है । हमें ठीक अवतारित मूल्य का पता नहीं है । कोदों के सम्बन्ध में हम प्रदत्त ४० लाख टन डालरों से एक लाख टन का आयात करना चाहते हैं और हम प्रदत्त ५० लाख डालर से एक लाख टन अनाज का आयात करना चाहते हैं ।

†सरदार इकबाल सिंह : पी० एल० ४८० के अन्तर्गत इस वर्ष अब तक खरीदे गये गेहूं का क्या मूल्य और मात्रा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अ० म० थामस : पी० एल० ४८० के अन्तर्गत प्रदत्त निधि में से हमने अब तक ३६.९५ लाख टन गेहूं और १.९३ लाख टन चावल खरीदा है।

† श्री बर्मन : कितनी अवधि में इस ऋण, मूल्य और ब्याज दोनों, का भुगतान किया जायेगा ?

†श्री अ० म० थामस : इस पांच करोड़ ७० लाख डालरों की व्यवस्था में से २ करोड़ १९ लाख डालर भारत में, अमरीकी खर्चे के लिये प्रयोग में लाया जायेगा और बाकी ३ करोड़ ५१ लाख डालर के ऋण को हमें ३० वर्षों में देना होगा।

† श्री रंगा : इस मूल्य में जिस पर यह अमरीका में बेचा जाता है और उस मूल्य में जिस पर यह अब हमें दिया जा रहा है कितना मूल्य अन्तर है और जिस मूल्य पर यह हमें अमरीका से मिल रहा है और अपने देश में हमें जो मूल्य देना पड़ता है उस में क्या अन्तर है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : इस विशेष मात्रा के बारे में आंकड़े बताना सम्भव नहीं है क्योंकि यह अभी खरीदा जा रहा है परन्तु सामान्य तौर से अमरीकी गेहूं हमें १५–१६ रुपये के बीच पड़ता है और हम १४ रुपये पर बेचते हैं।

†श्री त्रिदिव कुमार चौधरी : कल राशि रुपयों में दी जायगी अथवा विदेशी मुद्रा में ?

†श्री अ० प्र० जैन : रुपयों में।

† श्री बर्मन : यह बात ध्यान में रखते हुए कि आने वाले कुछ वर्षों में हमें बहुत ऋण चुकाना है, तो जहां तक इस ऋण का सम्बन्ध है, हमारा पहला भुगतान कब आरम्भ होगा ?

†श्री अ० प्र० जैन : सामान्यत: पहले तीन वर्षों में कोई भुगतान नहीं किया जाता है ; तत्पश्चात् ३० से ४० वर्षों तक भुगतान किया जाता है ।

चेचक और हैजा

+

†१९५. { श्री वैं० च० मलिक :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भक्त दर्शन :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या स्वास्थ्य मंत्री ८ मई, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २०९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य बातों के साथ साथ विभिन्न राज्यों में उग्र रूप से चेचक और हैजा होने के कारणों की जांच करने के लिये विशेषज्ञ समितियां बनाने के सम्बन्ध में क्या सरकार को राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त हो गये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उत्तरों का क्या स्वरूप है ;

(ग) क्या किन्हीं राज्य सरकारों ने चेचक और हैजा के फैलने पर नियंत्रण करने के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता के लिये कहा है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल की सरकारों ने विशेषज्ञ समितियां बनाली हैं । आसाम सरकार एसी ही एक समिति बना रही है । अन्य राज्य सरकारें अभी इस प्रश्न पर विचार कर रही हैं । तथापि मद्रास सरकार सुझाई गई विशेषज्ञ समिति का नियुक्त कियाजाना आवश्यक नहीं समझती क्योंकि उनकी राय में स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा जिला स्तर पर किये गये उत्तम निरोधक कार्य से समस्या को सुलझाने में सहायता मिलेगी ।

(ग) आन्ध्र प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल की सरकारों ने सहायता के लिये मांग की ।

(घ) लोक–सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में भारत सरकार द्वारा अब तक दी गयी सहायता का ब्यौरा दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १३६]**

†**श्री वैं० च० मलिक** : विवरण से पता चलता है कि उड़ीसा को कोई सहायता नहीं दी गयी। क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में हैजा और चेचक को रोकने के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता के लिये नहीं कहा है ?

†**श्री करमरकर** : मेरे उत्तर से पता चलता है कि उड़ीसा ने इसके लिये नहीं कहा है ।

†**श्री वैं० च० मलिक** : किन राज्यों में हैजा और चेचक हुयी ?

†**श्री करमरकर**: व्यवहारत: उत्तरी भारत के सब राज्यों में । वास्तव में, सामान्यत: पिछला वर्ष चेचक के लिये सब से बुरे वर्षों में से था ।

†**डा० सुशीला नायर** : यह बात देखते हुए कि विश्वस्वास्थ्य संगठन ने सारे विश्व के स्तर पर चेचक पर नियंत्रण करने का निश्चय किया है क्या भारत सरकार मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की तरह चेचक नियंत्रण को भी एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

†**श्री करमरकर** : यदि समय पर उपयुक्त कार्यवाही की जायें तो चेचक की समस्या बहुत साधारण है । सभा को यह बताते मुझे खेद होता है कि कुछ नगर पालिका-क्षत्रों में जहां चेचक के टीके पहली बार आवश्यक समझे जाते हैं, उचित सावधानी नहीं बरती जाती है । अत: हमने हाल ही में सब राज्यों सरकारों से यह देखने के लिये अपील की है कि पहली बार टीके लगाने और जहां कहीं भी आवश्यक हो दूसरी बार टीके लगाने में अधिक सावधानी बरती जाय ।

---

† मूल अंग्रेजी में

मुझे इस बात का पता है कि सम्भवतः अगले वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको अन्तर्राष्ट्रीय समस्या बनाने के लिये पग उठा रहा है और उन के पास इसका समाधान है। परन्तु जैसा मैंने कहा है, समस्या का समाधान आसान है। हमें स्वयं सावधानी बरतनी है और यह देखना है कि पैदा हुए प्रत्येक बच्चे को टीका लगाया जाये।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : क्या यह सच नहीं है कि अशुद्ध और गंदे तरीकों से तैयार किये गये टीकों के कारण नगर पालिका क्षेत्रों में पर्याप्त भय फैला है।

†**श्री करमरकर** : इस प्रश्न से भय फैलेगा ; हमारे टीके बिल्कुल ठीक थे।

†**श्री स० चं० सामन्त** : भाग (ङ) के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि विशेषज्ञ समितियां नियुक्त की जा रही हैं। जहां तक भारत में हैजे की घटना का सम्बन्ध है, क्या यह सच है नहीं कि केन्द्रीय मंत्रालय की सहायता से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सर्वेक्षण किया और कहा कि हैजे की सब से अधिक घटनायें गंगा के डेल्टा और महानदी के निकट क्षेत्र में होती हैं, और यदि हां, तो इन विशेषज्ञ समितियों द्वारा और अधिक क्या जांच पड़ताल की जावेगी और क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की राय के अनुसार पग उठाये गये हैं ?

†**श्री करमरकर** : पहले जांच पड़ताल की गयी हैं और जैसा मेरे माननीय मित्र ने बताया, हैजे का गंगा के डेल्टा में पता लगा है और वहां से यह नियमित रूप से होता है। यह प्रश्न राष्ट्रीय प्रश्न हो गया क्यों कि पिछले वर्ष बहुत से राज्यों में हैजा बहुत भयंकर रूप से हुआ था। अतः हमने सोचा कि एक विशेषज्ञ समिति द्वारा अग्रेतर अध्ययन आवश्यक है।

हैजे की महामारी के अतिरिक्त मैं यह भी बताऊं कि प्रत्येक राज्य में विशुद्ध पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और विशुद्ध पीने का पानी का सम्भरण करने के लिये उत्तम सम्भव उपाय करने के लिये हमने प्रयत्न किये हैं।

†**श्री पाणिग्रही** : चेचक और हैजे से उड़ीसा में कितनी मौतें हुयीं, क्या लगभग १०,००० व्यक्ति मरे और क्या केन्द्रीय सरकार के ध्यान में यह बात लायी गयी है कि दी गयी अधिकांश सहायता असफल सिद्ध हुयी है ?

†**श्री करमरकर** : आंकड़ों के बारे में मैं दृढ निश्चय से नहीं कह सकता परन्तु मेरा विचार है कि पिछले वष सब से अधिक उड़ीसा को हानि हुयी।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, इस पर ध्यान दिया गया है और यह मालूम हुआ कि दोषयुक्त टीकों के बारे में शिकायतें निराधार हैं। वास्तव में तथ्य यह है कि हमें समय के अन्दर आवश्यक उपचार-कार्य के लिये सरल पद्धति का विकास करना है। वास्तव में एक राज्य में जब एक टीके लगाने वाला गया तो उसको पीटा गया और बाहर निकाल दिया गया।

---

† मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था

†* १५१. **श्री वें० प० नायर :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था में जीवाणु विज्ञान में कोई गवेषणा की जा रही है ; और

(ख) क्या यह सच है कि संस्था के पास अभी तक एक भी इलेक्ट्रन माइक्रोस्कोप[1] नहीं है ?

† **स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

चितरंजन का रेलवे इंजन का कारखाना

†*१५२. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **रेलवे** मंत्री २५ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४८६ के उत्तर के सम्बन्ध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चितरंजन रेलवे इंजन कारखाने में एक इस्पात ढलाई घर स्थापित करने के लिये ठेके को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो जिस सार्थ को ठेका दिया गया है उसका क्या नाम है और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) टेंडरों पर अन्तिम रूप से विचार किया जा रहा हैं । ये भांडार की खरीद के लिये साधारण टेंडर नहीं थे । इन में आधुनिक इस्पात ढलाई घर पद्धति में सर्वोच्च जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रविधिक सहयोग और हमारे कर्मचारियों को प्रशिक्षण की उत्तम सुविधायें भी अन्तर्गत हैं। इन मुख्य बातों को अन्य बहुत सी बातों के साथ ब्यौरेवार जांच पड़ताल के लिये भेजा गया है जिस से इस को अन्तिम रूप दिये जाने में देरी हुयी ।

लम्बी यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधाय

†*१५३. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे की तरह उत्तर रेलवे पर भी १५० मील से नीचे, १५० और ३०० मील के बीच, ३०१ और ५०० मील के बीच और ५०० मील से ऊपर

---

† मूल अंग्रेजी में

[1] Election Microscope.

यात्रा करने वाले यात्रियों के लिये पृथक स्थान सुरक्षित रखने की पद्धति को लागू करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) इस योजना को १५-४-५८ से ३९ अप/४० डाउन दिल्ली-हावड़ा जनता एक्सप्रेस गाडियों पर लागू कर दिया गया है जो उत्तर रेलवे पर चलती हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग का विभाजन

†*१५७. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार सिंचाई और विद्युत् के स्वतंत्र एकक बनाने के लिये केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के दो भाग करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना और आगे आने वाली योजनाओं के सिंचाई और विद्युत् क्षेत्रों में तीव्र गति से विकास करने के लिये और विद्युत् विभाग को अतिरिक्त कार्य सौंपने की संभावना के लिये भारत सरकार ने यह निश्चित करने के लिये कि क्या वर्तमान व्यवस्था इसकी सफलतापूर्वक कार्यान्विति के लिये पर्याप्त है, केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के संगठन का पुनर्विलोकन करने का निश्चय किया है । आयोग की वर्तमान स्थिति की जांच करने और अधिकतम योग्यता प्राप्त करने के लिये इसको पुनर्गठित करने के तरीके बताने के लिये श्री बी० के० गोखले, आई सी० एस० (सेवानिवृत्त) के सभापतित्व में एक उच्च स्तरीय समिति स्थापित की गयी है । अन्य निर्देश पदों के साथ साथ एक पद यह भी है कि क्या आयोग के दो भाग बनाये जायें और दो संगठन स्थापित किये जायें जिन मे से एक विद्युत् और दूसरा सिंचाई, नौवहन और बाढ़ नियंत्रण का कार्य करे।

(ग) सरकार समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा में है जिस के नवम्बर, १९५८ के अन्त तक प्राप्त होने की आशा है। प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर एक दो महीने में सरकार को कोई निर्णय करने की आशा है ।

सम्बलपुर-तीतलागढ़ रेलवे लाइन

†*१६६. **श्री संगण्णा** : क्या **रेलवे** मंत्री सम्बलपुर-तीतलागढ़ रेलवे लाइन के सम्बन्ध में १२ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई अग्रेतर प्रगति की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). सर्वेक्षण के लिये क्षेत्रीय काम पूरा हो गया और प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है ।

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन

†*१६७. **श्री पाणिग्रही :** क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्य-क्रम मूल्यांकन संगठन ने खंड कर्मचारियों की कमी को गंभीर बताया है ; और

(ख) क्या खंड कर्मचारियों की कमी के फलस्वरूप खंडों की संख्या बढ़ाना हानिकर होगा ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे) :** (क) जी हां।

(ख) जी हां। कार्यक्रम में ढील डालने के सरकार के हाल ही के निर्णय का यह भी एक कारण था।

भारत-ब्रिटेन दूर संचार सेवा

†*१६८. **श्री मं० रं० कृष्ण :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ब्रिटेन के बीच दूर संचार सेवा लागू करने के लिये ब्रिटिश सरकार से बातचीत पूरी हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो सेवा कब चालू की जायेगी ; और

(ग) इस पर कितनी लागत आयेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) ब्रिटिश दूर संचार अधिकारी मूल रूप से सेवा के चालू करने के लिये सहमत हो गये हैं और दरों और अन्य बातों पर अभी विचार किया जा रहा है।

(ख) सेवा को अगले वर्ष से चालू किये जाने की आशा है।

(ग) अतिरिक्त लागत नगण्य है क्योंकि सेवा वर्तमान उपकरणों और कर्मचारियों से ही चालू की जायेगी ।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था

†*१६९. **श्री राधा रमण :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था पर अब तक कितना धन खर्च किया है ; और

(ख) भविष्य के लिये सरकार ने इसके बारे में क्या वायदे किये हैं ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) २०९.६९ लाख रुपये।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ३६९.३५ लाख रुपये।

दिल्ली रेलवे डाक सेवा कर्मचारी

†*१७०. **श्री वाजपेयी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और नयी दिल्ली रेलवे डाक सेवा के डाक छांटने वाले कर्मचारियों ने २० जून, १९५८ को एकदम हड़ताल कर दी जिसके परिणामस्वरूप डाक के भेजने में बाधा हो गयी ;

(ख) यदि हां, तो हड़ताल के क्या कारण थे ; और

(ग) कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां। ऐसी कोई हड़ताल नहीं हुई परन्तु दिल्ली वायु डाक सेवा और डाक छांटनी विभाग के कर्मचारियों का २० जून, १९५८ को डाक्टरी प्रमाणपत्र देकर एकत्रित रूप से बीमार होना बताया गया।

(ख) कर्मचारियों की दो कथित शिकायतों के कारण (१) दिल्ली डाक स्टेशन से एक प्लैटफ़ार्म इंस्पैक्टर का स्थानान्तरण और (२) अवज्ञा के कारण विलम्बित और बाद में सेवा से विमुक्त किये जाने वाले डाक छांटने वाले को सेवा में पुनः नियुक्त करने के लिये १६ जून से १८ जून, १९५८ तक प्रत्येक डाक कार्यालयों में आधे घंटे तक आंशिक रूप से कार्य बन्द रहा।

(ग) निवारण करने वाली ऐसी कोई विशेष शिकायत न थी परन्तु संघों ने कार्य के आंशिक रूप से बन्द किये जाने पर खेद प्रकट किया है, लम्बित आरोप-पत्र वापस लिये गए और २१-६-५८ को सामान्य कार्य चालू हुआ।

विदेशों से खाद्यान्न

†*१७१. **डा० सुशीला नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो कि :

(क) भारत में बन्दरगाह में जहाजों के आने पर खाद्यान्नों को उतारने में देरी के कारण पिछले तीन वर्षों में सरकार को प्रतिवर्ष कुल कितना विलम्ब-शुल्क देना पड़ा ;

(ख) उसके क्या कारण थे ; और

(ग) ऐसी आकस्मिकता का आवर्तन रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रजी में

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) पिछले तीन वर्षों में खाद्यान्न लाने वाले जहाज़ों को दिये गये या देय विलम्ब-शुल्क की कुल राशि निम्न प्रकार है :

वर्ष	विलम्ब शुल्क की राशि (रुपयों में)
१९५५ . .	१,८०,८००
१९५६	१२,६००
१९५७	७३,१०,६००

(ख) मुख्यतः जहाज़ों से माल उतार कर उसको रखने के स्थान के आवंटन में देरी के कारण और कुछ मामलों में विभिन्न संचालन कठिनाइयों के फलस्वरूप धीमे माल उतारने के कारण विलम्ब-शुल्क देना पड़ा।

(ग) जहाज़ के आने पर यथासम्भव शीघ्र स्थान आवंटित करने के लिये पत्तन प्राधिकारियों द्वारा प्रत्येक प्रयत्न किया गया है। संचालन कठिनाइयों को समाप्त करने और न्यूनतम बनाने के लिये पत्तन प्राधिकारियों के परामर्श से हर सम्भव पग उठाये जाते हैं।

भारत-मलाया स्टीमर सेवा

†*१७२. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री कुमारन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मलाया और भारत के बीच पर्याप्त सामुद्रिक सेवा के अभाव में ३–४ महीने पहले सीटें बुक करायी जाती हैं जिसके फलस्वरूप यात्रियों को बड़ी कठिनाई होती है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिये सरकार द्वारा क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १३७**]

सैलम-बंगलौर रेलवे लाइन

†*१७३. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **रेलवे** मंत्री २८ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैलम-बंगलौर रेलवे लाइन के इंजीनियरिंग सर्वेक्षण के प्रतिवेदन की जांच समाप्त हो गयी है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). जी, अभी नहीं। रेलवे प्रशासन यातायात सर्वेक्षण प्रतिवेदन की जांच कर रहा है और इसके बगैर बोर्ड द्वारा इंजीनियरिंग प्रतिवेदन की जांच पूरी नहीं होगी।

नई दिल्ली के बड़े डाक-घर में चोरी

१७४. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ७ मई, १९५८ को गोल डाक-घर नई दिल्ली से १ हज़ार रुपये की चोरी हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या चोर का पता लगा लिया गया है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

हीराकुड परियोजना

†*१७५. **श्री सूपकार** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २३ अप्रेल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १७९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में हीराकुड परियोजना क्षेत्र में ग्रीष्म कालीन फ़सल के लिये वास्तव में कितने क्षेत्र में सिंचाई हो रही है ;

(ख) सहायक नदियां और जलमार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति की गयी है ; और

(ग) किस तारीख तक पूरी सिंचाई परियोजना के पूरे हो जाने की संभावना है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमन्त्री (श्री हाथी)** : (क) १,२३,१६० एकड़।

(ख) (१) **सहायक नदियां और छोटी नदियां**

मिट्टी का काम	९६.५ प्रतिशत
निर्माण कार्य	७७.५ प्रतिशत
(२) क्षेत्रीय जलमार्ग	६६.६ प्रतिशत

(ग) १९५९–६० तक।

डम डम पर विमान दुर्घटना

†*१७६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १९ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक सितम्बर, १९५७ को डम डम हवाई अड्डे पर हुयी इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के एक डकोटा विमान की दुर्घटना में चालकवृन्द के चार कर्मचारियों की मृत्यु

†मूल अंग्रेज़ी में

के सम्बन्ध में जांच करने के लिये नियुक्त जांच समिति द्वारा दिये गये प्रतिवेदन पर सरकार ने विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**अतिरिक्त उड्डयन उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). जांच न्यायालय के प्रतिवेदन पर सरकार ने विचार कर लिया है और ब्रिटिश सरकार के साथ प्रतिवेदन के प्रकाशन की तिथि पर आपस में सहमति होने पर इसको प्रकाशित कर दिया जायगा क्योंकि डम डम हवाई अड्डे पर गिरने वाले हर्मस विमान का पंजीयन नहीं हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप इण्डियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन के डकोटा विमान के चालकवृन्द की मृत्यु हुई।

डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये वर्दी

†*१७७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार निदेशालय की वर्दी समिति ने डाक तथा तार कर्मचारियों की वर्दी के लिये खादी के प्रयोग को समाप्त करने और उनको ड्रिल की वर्दी देने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या निर्णय किया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) समिति ने सिफारिश की है कि वर्ग ३ के पदाधिकारियों जैसे डाकिये, लाइन-कर्मचारी इत्यादि और संचालक वर्ग ४ के कर्मचारियों जैसे तार संदेशवाहकों, डाक कर्मचारियों इत्यादि को कारखानों में बनी ड्रिल कपड़े की वर्दियां दी जायें जब कि गैरसंचालक वर्ग ४ जैसे मालियों, भिश्तियों और भंगियों, कार्यालय चपरासियों और अर्दली इत्यादि को खादी कपड़े की वर्दियां देना जारी रखा जाये ।

(ख) प्रतिवेदन परीक्षणाधीन है और अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

हैजा और चेचक

†३५३. **श्री अनिरुद्ध सिंह :**
श्री विभूति मिश्र :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ८ मई, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २०९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल में हैजा और चेचक महामारी के कारण चालू वर्ष में ३० जून, १९५८ तक पृथक रूप से कितनी मौतें हुयीं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : अपेक्षित जानकारी नीचे दी हुई है :

	हैजा	चेचक
बिहार	५३४	२,२७१
पश्चिमी बंगाल	३,५८९	९,९८२
पूर्वी उत्तर प्रदेश	जानकारी एकत्र की जा रही है।	

†मूल अंग्रेजी में

डाक और तार निर्देशिका

†३५४. **श्री आसर :**
श्री सुब्बया अम्बलम् :
श्री थानु पिल्ले :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक और तार निर्देशिका भाग १ के १९५६ संस्करण की कितनी प्रतियां प्रकाशित की गई थीं ;

(ख) इस पर कुल कितनी लागत आई ;

(ग) मुद्रित प्रतियां डाकघरों में कब भेजी गईं ;

(घ) क्या १९५६–५७ और १९५७–५८ में खोले गये सभी डाकघरों को इस निर्देशिका की प्रतियां भेजी गई थीं ;

(ङ) मुद्रण के पश्चात क्या वृद्धियां और परिवर्तन हुए हैं ; और

(च) यदि हां, तो अगली निर्देशिका कब मुद्रित होगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) ३३,५५८।

(ख) ९०,६२९ रुपये १६ नये पैसे।

(ग) भारत सरकार मुद्रणालय नई दिल्ली से प्रतियां प्राप्त होने पर प्रकाशन के प्रबन्धक, दिल्ली ने जनवरी, १९५७ और फरवरी, १९५८ के बीच सर्कल स्टाक डिपों को धीरे-धीरे संभरण किया। सर्कल स्टाक डिपो प्रतियां प्राप्त होने पर धीरे-धीरे मुख्य और उप-डाकघरों को प्रतियां भेजते रहे ।

(घ) डाक और तार निर्देशिक भाग १ सभी मुख्य और उपडाकघरों को भेजी जाती है। १९५६-५७ और १९५७–५८ में खोले गये सब मुख्य और उपडाक घरों को, सिवाय उत्तर प्रदेश सर्कल के कुछ उपडाकघरों के जिन्हें प्रतियां नहीं दी जा सकीं क्योंकि सर्कल स्टाक डिपो को पूरा कोटा नहीं मिला था, प्रतियां भेजी गई हैं।

(ङ) जी हां।

(च) निर्देशिका का १९५७ का संस्करण प्रैस में है और शीघ्र ही छप जायेगा।

इंजन

†३५५. **श्री वाजपेयी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ी लाइन और मीटर लाइन पर अलग-अलग कितने इंजन चल रहे हैं ;

(ख) इन दोनों लाइनों पर चलने वाले उन इंजनों की संख्या क्या है जो ३० वर्ष से अधिक पुराने हैं ; और

(ग) कितन माल डिब्बे और सवारी डिब्बे इतने ही पुराने हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क)

बड़ी लाइन . .	६११७
मीटर लाइन . .	३५०२
(ख) बड़ी लाइन . . .	२७२७
मीटर लाइन	११७०

(ग) **माल डिब्बे**

बड़ी लाइन . .	६१६५९
मीटर लाइन	२२७७२

सवारी डिब्बे :

बड़ी लाइन . . .	३३०२
मीटर लाइन . . .	२२६०

लखनऊ में रेलवे क्वार्टर

†३५६. **श्री वाजपेयी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे के लिये लखनऊ में कितन क्वार्टर बनाने का विचार है ;

(ख) लखनऊ में कितने अत्यन्त आवश्यक कर्मचारियों को अभी क्वार्टर नहीं मिले हैं ; और

(ग) अत्यन्त आवश्यक कर्मचारियों को कब तक क्वार्टर मिल जायेंगे ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : (क) इस वित्तीय वर्ष में उत्तर रेलवे के लिये २३८ और पूर्वोत्तर रेलवे के लिये ११४ क्वार्टर बनाने का विचार है ।

(ख) उत्तर रेलवे में ६७७९ और पूर्वोत्तर रेलवे में ७२१ ।

(ग) कोई तिथि निश्चित करना सम्भव नहीं है, परन्तु किसी वर्ष में उपलब्ध निधि और द्वितीय पंचवर्षीय योजना मे आवंटनों के भीतर रहते हुए यह प्रयत्न किए जा रहे हैं कि अत्यन्त आवश्यक कर्मचारियों को जल्दी से जल्दी क्वार्टर मिल जायें ।

पाकिस्तान में सेवा के लिये विकल्प देने वाले रेलवे कर्मचारी

†३५७. **श्री वाजपेयी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल कितने रेलवे कर्मचारियों ने (१) अन्तर्कालीन तौर पर (२) अन्तिम रूप से पाकिस्तान में सेवा करने का विकल्प दिया था ;

(ख) कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने अन्तर्कालीन, विकल्प पाकिस्तान के लिये दिया था परन्तु बाद में भारत में रहने का अन्तिम निर्णय कर लिया।

(ग) कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने अन्तिम रूप से पाकिस्तान के लिये विकल्प दिया था परन्तु वे पाकिस्तान नहीं गये और यहां ही नौकरी के लिये आवेदन पत्र दे दिये ;

---

†मल अंग्रेजी में

(घ) कितनों को पुनः नौकरी दी गई ;

(ङ) कितने व्यक्ति पाकिस्तान जा कर लौट आये और यहां नौकरी के लिये आवेदन पत्र दिये; और

(च) कितनों को पुनः नौकरी दी गई।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (च). जो भी जानकारी उपलब्ध है वह एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

सिंचाइ वाली भूमि का क्षेत्रफल

३५८. **श्री भवौरिया** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की कुल कितने एकड़ भूमि में सिंचाई होती है ;

(ख) राज्यवार कितने एकड़ भूमि में (१) नहरों द्वारा और (२) नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है ;

(ग) कुल कितने एकड़ भूमि (राज्यवार) ऐसी है जहां सिंचाई की सुविधायें नहीं हैं ; और

(घ) सिंचाई की सुविधायें देने के लिये पंचवर्षीय योजनाकाल में क्या लक्ष्य निश्चित किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम) : (क) से (ग). १९५५-५६ के अन्त तक सींचे गये क्षेत्र का विवरण सभा पटल पर रख दिया है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १३८]**

(घ) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये निश्चित लक्ष्य २१० लाख एकड़ है, जिसमें से १२० लाख एकड़ के क्षेत्र को, बड़ी तथा बीच की सिंचाई योजनाओं द्वारा और ९० लाख एकड़ के क्षेत्र को छोटी सिंचाई योजनाओं द्वारा, सिंचाई की सुविधाएं दी जायेंगी।

भूमि

३५९. **श्री भदौरिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कुल कितने एकड़ भूमि है ;

(ख) देश में राज्यवार कुल कितने एकड़ भूमि में खेती होती है;

(ग) देश में कितने एकड़ भूमि ऐसी है जिस पर खेती हो सकती है ;

(घ) देश के स्वतन्त्र होने के बाद से अब तक कितने एकड़ भूमि खेती के योग्य बनाई गई ; और

(ङ) द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में (राज्यवार) भूमि को खेती के योग्य बनाने के लिये क्या लक्ष्य निश्चित किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) से (ग). अब तक की मिली हुई जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १ अनुबन्ध संख्या १३९]**

(घ) सन १९५७–५८ से केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन द्वारा कृषि योग्य बनाई गई भूमि के रकबे की एकड़ों में जानकारी नीचे दी गई है :—

राज्य	कृषि योग्य बनाई भूमि (एकड़)*
मध्य प्रदेश	१३.०९ लाख
उत्तर प्रदेश	३.३० लाख
पंजाब	०.१४ लाख
बिहार	०.०५ लाख
आसाम	०.०५ लाख
कुल	१६.६३ लाख

*जहां पर आवश्यक समझा गया है, आंकड़ों को पूरा कर दिया गया है।

(ङ) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पहले तीन सालों के लिये निर्धारित लक्ष्य नीचे दिये गये हैं। योजना के बाकी दो सालों के सम्बन्ध में अभी तक कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं।

मध्य प्रदेश	२.०५ लाख एकड़
आसाम	०.०६ लाख एकड़
बिहार	०.१६ लाख एकड़
कुल	२.२७ लाख एकड़

मालावानी में एक इंजन और पांच माल डिब्बों का पटरी से नीचे उतर जाना

†३६०. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री आसर :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ६ जुलाई १९५८ को मध्य रेलवे की मुख्य लाइन पर मालावानी स्थान पर माल गाड़ी के पांच डिब्बे और इंजन पटरी से नीचे उतर गये; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण था ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी)** : (क) जी हां। ६–७–५८ को लगभग ००.३० बजे मध्य रेलवे के मालावानी स्टेशन पर से गुजरते समय एस० ३५ डाउन मालगाड़ी का इंजन और इसके साथ के पांच डिब्बे पटरी से नीचे उतर गये थे।

†मूल अंग्रेजी मे

(ख) इसका कारण यह था कि सिगनल के बिना ड्राइवर मालगाड़ी को आगे ले गया जो कि रेत के ढेर से टकराकर, जिसके कारण सिगनल नहीं दिया गया था, पटरी से नीचे उतर गई ।

उत्तर प्रदेश में खाद्य की उचित मूल्य वाली दुकानें

†३६१. **श्री वाजपेयी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय खाद्य की उचित मूल्य की कितनी दूकानें हैं ;

(ख) इनमें से कितनी दूकानें राज्य के कमी वाले पूर्वी जिलों में हैं; और

(ग) वहां अनाज क्या भाव बिक रहा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) ६ अगस्त को उचित मूल्य वाली दूकानों की संख्या ३,४४९ थी ।

(ख) पूर्वी जिलों में २,०२५ हैं ।

(ग) इन दुकानों पर निश्चित फुटकर भाव नीचे बताये जाते हैं :—

गेहूं : रुपये का दो सेर और १० छटांक ।

चना, जौ, बेझड़ ज्वार, और मक्का : रुपये का चार सेर ।

बाजरा : रुपये का तीन सेर छः छटांक ।

बम्बई राज्य में ग्राम्य जल संभरण योजनाएं

†३६२. **श्री पांगरकर :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई राज्य को ग्राम्य जल संभरण योजनाएं कार्यान्वित करने के लिये जो राशि आवंटित की गई उस में से प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना कालों में कितनी खर्च की गई ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर :** प्रथम और द्वितीय पंच वर्षीय योजनाओं में बम्बई राज्य ने अपनी राष्ट्रीय जल संभरण और स्वच्छता कार्यक्रम (ग्राम्य) योजनाओं पर यह खर्च किया :

प्रथम पंचवर्षीय योजना : ३४.१३ लाख रुपये ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना : २२.६४ लाख रुपये

(अब तक)

तार भेजने की सुविधा

३६३. **श्री क० भे० मालवीय :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक रेलवे के किन-किन स्टेशनों पर हिन्दी में तार भेजने की सुविधा है ;

(ख) १९५८ में किन किन स्टेशनों पर यह सुविधा देने का विचार है ; और

(ग) यदि किसी और स्टेशन पर यह सुविधा न देने का विचार हो तो इसके क्या कारण हैं ।

रेलवे उपमंत्री श्री शाहनवाज़ खां : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १४०]**

(ख) इस साल कुछ और स्टेशनों पर भी यह सुविधा देने का विचार है । ऐसे स्टेशनों की सूचना मंगायी जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशी पर्यटक

†३६४ **श्री हेम राज :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ के पूर्वार्ध अर्थात् जनवरी से जुलाई, १९५८ तक कितने विदेशी पर्यटक भारत आये ; और

(ख) उन से कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जनवरी से मई, १९५८ तक ४०,१४१ पर्यटक (जिन में पाकिस्तानी शामिल नहीं) भारत आये । जून और जुलाई १९५८ के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) ये आंकड़े भारत के रक्षित बैंक द्वारा एकत्र किये जाते हैं और इस वर्ष के पूर्वार्ध के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

राष्ट्रीय जल सम्भरण तथा स्वच्छता योजनाएं

†३६५. **श्री श्री नारायण दास :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैसा कि स्थानीय स्वशासन के लिये केन्द्रीय परिषद् द्वारा सिफारिश की गयी है, क्या उनकी जनसंख्या का ध्यान न रखते हुये राष्ट्रीय जल सम्भरण तथा स्वच्छता योजना का क्षेत्र सब पंचायतों तक बढ़ा दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो पंचायतों की संख्या कितनी है और इस योजना के अन्तर्गत उनको कितनी सहायता दी गयी और उन्होंने कितनी सहायता का उपयोग किया ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रिवाड़ी स्टेशन पर प्लेट फॉर्म

†३६६. { **श्री राम कृष्ण :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री २५ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिवाड़ी स्टेशन पर तीन नये प्लैटफॉर्मों के निर्माण का कार्य आरम्भ कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति की गई है ; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) जी, हां ।

(ख) रिवाड़ी पर नये प्लेटफॉर्मों की व्यवस्था करने का कार्य स्टेशन यार्ड की नवनिर्माण योजना का एक अंग है और इसमें लाइनों में वृद्धि और परिवर्तन, वर्तमान भवनों इत्यादि का गिराना भी सम्मिलित है । अब तक ५ प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) प्लेटफॉर्मों का निर्माण १९५९ के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है यद्यपि उस वर्ष के पहले भाग में आइलैण्ड प्लैटफॉर्म का एक भाग उपलब्ध हो जायेगा ।

राज्यों में सड़क विकास योजनायें

†३६७. **श्री राम कृष्ण :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में केन्द्रीय सड़क निधि से पूरी होने वाली सड़क विकास योजनाएं प्राप्त हो गयी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने सड़क विकास योजनाएं भेजी हैं; और

(ग) प्रत्येक मामले में राज्य-वार योजनाओं का क्या स्वरूप है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १४१**]

दिल्ली और नई दिल्ली अस्पतालों में पलंग

†३६८. **श्री राम कृष्ण :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १४ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १६२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८–५९ में दिल्ली और नयी दिल्ली में विभिन्न अस्पतालों में अस्पताल-वार कितने पलंगों की और व्यवस्था की जायेगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** १९५८–५९ में दिल्ली और नई दिल्ली में विभिन्न अस्पतालों में २५८ अतिरिक्त पलंगों की व्यवस्था करने की प्रस्थापना है जिसका विवरण नीचे दिया गया है :—

अस्पताल का नाम	व्यवस्था किये जाने वाले पलंगों की संख्या
१. खंझावाला स्वास्थ्य केन्द्र, दिल्ली . .	१५
२. शक्ति नगर प्रसूति गृह तथा केन्द्र, दिल्ली . .	३०
३. अलीपुर स्वास्थ्य केन्द्र, दिल्ली . . .	६
४. इर्विन अस्पताल, नई दिल्ली (प्रसूति वार्ड) . . .	१३७
५. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली . . .	२८
६. लेडी हार्डिंग चिकित्सा कालेज तथा अस्पताल, नई दिल्ली .	४२
कुल	२५८

उपरोक्त आंकड़ों में १९५८–५९ में विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली में ५० पलंग बढ़ाने की संख्या सम्मिलित नहीं है क्योंकि इस संख्या को १४ अप्रैल, १९५८ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६२७ के उत्तर में सम्मिलित किया जा चुका है ।

†मूल अंग्रेजी में ।

स्लीपरों की खरीद

†३६९. **श्री वें० प० नायर :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५५–५६ की अपेक्षा १९५६–५७ और १९५७–५८ में नये प्रकार की और रासायनिक रूप से तैयार की गयी लकड़ी के स्लीपरों की खरीद में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) :** (क) और (ख). जी, नहीं। यद्यपि रासायनिक रूप से तैयार की गयी स्वीकृत इमारती लकड़ी की किस्में ७० तक बढ़ी हैं, रेलवे संयंत्रों में पहले दो वर्षों की अपेक्षा १९५७–५८ में रासायनिक रूप से तैयार किये गये स्लीपरों की संख्या में कमी हुई है। यह मुख्यतः आसाम में प्लाईवुड इण्डस्ट्री में कुछ प्रकार के व्यपवर्तन और जम्मू तथा काश्मीर में बाढ़ के कारण है।

राजस्थान में पीने के पानी का सम्भरण

†३७०. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के किन क्षेत्रों में पीने के पानी की अधिक कमी का अनुभव किया गया है ;

(ख) योजना के अन्तर्गत इन क्षेत्रों में कितना धन खर्च किया गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में यदि कोई योजनायें बनायी गयी हैं तो वे क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) सामान्यतः राजस्थान के बहुत से भागों में पानी की बहुत कमी है।

(ख) मार्च, १९५८ के अंत तक नगरीय तथा ग्रामीण जल सम्भरण योजनाओं पर निम्नलिखित राशि खर्च की गयी है :—

नगरीय	१,७२,१४,२७४ रुपय।
ग्रामीण	८१,००,००० रुपय।

(ग) निम्नलिखित अनुमोदित योजनायें चालू हैं :

नगरीय योजनायें

१. जयपुर
२. किशनगढ़
३. जोधपुर
४. कोटा
५. करनपुर
६. रायसिंहनगर

---

†मूल अंग्रेजी में

७. संगरिया मण्डी

८. भरतपुर

९. टोंक

१०. मण्डवा

११. बूंदी

१२. भीलवाड़ा

१३. झालावाड़

१४. झालरापाटन

ग्रामीण योजनायें	संख्या
१. नये कुओं का निर्माण .	४६९
२. पुराने कुडों की मरम्मत .	४३८१
३. नये कुंडों का निर्माण . .	२८
४. पुराने कुडों की मरम्मत . .	९३
५. बावड़ियों को स्वच्छ कुओं में बदलना . .	२८२

विदेशों से आये तारों और पत्रों का वितरण न किया जाना

†३७१. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कुछ व्यक्तियों के नाम भेजे गये तारों, पत्रों इत्यादि के अवितरण के बारे में विदेशों से कोई शिकायतें आयी हैं ;

(ख) यदि हां, तो १९५६, १९५७ और १९५८ के पहले तीन महीनों में कितनी शिकायतें आयीं; और

(ग) क्या ऐसी अनियमितताओं के कारणों का पता लगाने के लिये कोई जांच की गयी है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) जानकारी सर्किलों से एकत्र की जा रही है और सदस्य को यथा समय दे दी जायगी।

(ग) ऐसे मामलों की हमेशा जांच होती है। परन्तु जहां एक स्थान से दूसरे स्थान का पारेषण अभिलेख नहीं रखा जाता है, जैसा कि बिना पंजीकृत डाक के मामले हैं, वहां यह जांच पड़ताल सफल नहीं हो सकती ।

"रेलवे सप्ताह" पर व्यय

३७२. **श्री मोहन स्वरूप :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे प्रशासन ने इस वर्ष 'रेलवे सप्ताह' मनाने पर जो व्यय किया उसका महाखण्डवार ब्योरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां): सूचना मंगायी जा रही है और जितनी जल्दी हो सकेगा एक बयान सभा-पटल पर रख दिया जायगा ।

रेलवे में संकेतन और दूर संचार का सुधार[1]

†३७३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में संकेतन और दूर संचार में सुधार करने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) योजना पर कितना धन खर्च किया जावेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) भारतीय रेलवे में संकेतन और दूरसंचार में सुधार करने सम्बन्धी कार्य पहले ही हो रहा है ।

(ख) योजना काल में अब चालू और प्रस्तावित कार्यों की मुख्य बातें निम्न प्रकार है :

१. संकेतन :

(१) लगभग २५० स्टेशनों पर पुराने और खराब संकेतनों का बदलना ।

(२) लगभग ३५० वगैर इन्टरलाक वाले स्टेशनों पर इन्टरलाकिंग की व्यवस्था करना ।

(३) लगभग ४५० स्टेशनों पर इन्टरलाकिंग के स्तर को ऊंचा उठाना ।

(४) दोहरे लाइन सेक्शनों पर लगभग १०० स्टेशनों पर लाक और ब्लाक कार्य की व्यवस्था करना ।

(५) इकहरी लाइन सेक्शनों पर लगभग ६०० स्टेशनों पर टोकन / बगैर टोकन के ब्लाक औजारों की व्यवस्था करना ।

(६) कुछ चुने हुए जंक्शन स्टेशनों पर विद्युत संकेतन की व्यवस्था करना ।

(७) लगभग ४० मील वाले कुछ बहुत यातायात वाले सेक्शनों पर स्वयंचालित ब्लाक संकेतन की व्यवस्था करना ।

२. दूरसंचार

(१) मुख्य तार यातायात को निबटाने के लिये मुख्य स्टेशनों को मिलाने के लिये लगभग २० बेतार के सम्बन्ध की व्यवस्था करना ।

(२) पूर्वोत्तर, दक्षिण पूर्वी और पश्चिमी रेलवे पर तीन बहुमुखी मार्ग वी० एच० एफ० सम्बन्ध की व्यवस्था करना ।

(३) लगभग २५ जनशक्ति से चलने वाले एक्सचेंजों को स्वयंचालित एक्सचेंजों में बदलना और उनकी क्षमता को ५० से बढ़ा कर ६०० टेलीफोन करना ।

(४) लगभग ३००० मील पर ट्रेन कन्ट्रोल / डिप्टी ट्रेन कन्ट्रोल की व्यवस्था करना ।

(५) अधिक तार परिवहन वाले सेक्शनों पर मार्स उपकरणों[2] को बदलने के लिये १३ दूरमुद्रकों की व्यवस्था करन ।

---

[1]Signalling & Telecommunications

[2]Morse instruments

†मूल अंग्रेजी में

(६) कुछ चुने हुये विन्यास-यार्डों पर वार्ता प्रसार तथा लाउड-स्पीकर सम्बन्धी उपकरण की व्यवस्था करना ।

(ग) द्वितीय योजना काल में २० करोड़ रुपये ।

नजफ़गढ़ झील में पम्पिंग स्टेशन

†३७४. **श्री दो० चं० शर्मा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली राज्य में नजफगढ़ झील में एक पम्पिंग स्टेशन बनाने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति की गयी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** इस बात का पता लगाने के लिये आवश्यक सर्वेक्षण किया जा रहा है कि नजफ़गढ़ झील में इकट्ठा हुये वर्षा के पानी का किस प्रकार से सिंचाई कार्यों में उत्तमोत्तम उपयोग किया जा सकता है । सर्वेक्षण के पूरा होने पर पम्प लगाने के प्रश्न पर विचार किया जावेगा ।

कांडला पत्तन

†३७५. **श्री दो० चं० शर्मा :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा १९५८–५९ में कांडला पत्तन के विकास के लिये क्या पग उठाय गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** चालू वर्ष में कांडला पत्तन के विकास के अब तक निम्नलिखित पग उठाये गये हैं :

(१) पत्तन की यातायात क्षमता को १२ लाख टन से बढ़ा कर १७ लाख टन प्रति वर्ष बढ़ाने के लिये अतिरिक्त स्थान का निर्माण किया जा रहा है ।

(२) जहाज से माल उतारने के स्थान पर ३ से १० टन तक की विभिन्न क्षमता वाली २१ क्रेनों के लगाये जाने में से, ४ छः टन की क्रेनें बन चुकी हैं और तीन टन वाली ९ क्रेनों का बनाना चालू है । सब क्रेनों के चालू वर्ष में लग जाने की आशा है ।

(३) उपावमन समुद्रवंक में किनारे पर गहराई को सुधारने के लिये आवश्यक उपायों के निश्चित किये जाने के लिये जांच पड़ताल हो रही है ।

(४) पत्तन में आने वाले जहाजों को खड़ा करने और उनसे सम्बन्ध स्थापित करने के लिये कांडला पत्तन अधिकारियों के लिये एक वी० एच० एफ़० बेतार के सेट समेत एक राडर सेट बनाया जा रहा है ।

(५) जहाजों और स्टीमर के एजेंटों को एक दूसरे को और अन्य अधिकारियों को समाचार भेजने के लिये एक डाक तथा तार बेतार टेलीफोन और तार स्टेशन स्थापित किया जा रहा है ।

(६) एक आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण कार्यालय खोला गया है ।

(७) पत्तन के ठीक पीछे गांधीधाम बस्ती में भूमि का सुधार किया गया है और प्लाट शीघ्र ही पत्तन के कार्य के सम्बन्ध में कार्यालय तथा निवासस्थान बनाने के लिये व्यापारियों और अन्य व्यक्तियों को आवंटित किये जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(८) गांधीधाम बस्ती में बम्बई सरकार का एक औद्योगिक बस्ती स्थापित करने का विचार है और भारत सरकार कांडला पत्तन प्रशासन को राज्य सरकार के एजेण्ट के रूप में योजना को क्रियान्वित कराने के लिये सहमत हो गयी है ।

आयोजित परियोजनाओं सम्बन्धी अध्ययन दल

†३७६. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री बोस :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण :
श्री दे० वें० राव :

क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री ९ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की आयोजित परियोजनाओं सम्बन्धी अध्ययन दल के प्रतिवेदन के परीक्षण के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति की गयी है ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे) :** सामुदायिक विकास कार्यक्रम आयोजित परियोजनाओं सम्बन्धी अध्ययन दल द्वारा प्रस्तावित मुख्य परिवर्तन निम्नलिखित थे :–

(१) लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण ।

(२) राष्ट्रीय विस्तार सेवा और गहन प्रक्रमों के बीच भेदभाव को दूर करना ।

(३) कार्यक्रम का विन्यास ।

जहां तक मद (१) अर्थात् लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीयकरण का सम्बन्ध है, स्थिति का राष्ट्रीय विकास परिषद और फिर मई, १९५८ में सामुदायिक विकास सम्बन्धी वार्षिक सम्मेलन द्वारा पुनरीक्षण किया गया । राज्य सरकारें अपने अपने प्रदेशों और आवश्यकताओं के लिये उपयुक्त उपायों पर विचार कर रही हैं ।

मद (२) तथा (३) के सम्बन्ध में निर्णय कर लिया गया है और 'सामुदायिक विकास कार्यक्रम में पुनरीक्षण' पत्रिका द्वारा राज्य सरकारों को भेज दिया गया है और इसकी प्रतियां पुस्तकालय में भी उपलब्ध हैं ।

पंजाब में पम्पिंग सेट

†३७७. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब में पम्पिंग सेटों की स्थापना के लिये कोई सहायता दी है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में इस सम्बन्ध में पंजाब सरकार को कुल कितना धन दिया गया; और

(ग) पंजाब सरकार ने किस हद तक इस धन का उपयोग किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें जानकारी दी हुई है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १४२**]

हिमाचल प्रदेश का चालू नियन्त्रण आदेश

†३७८. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में आलू उत्पादकों ने आलू नियंत्रण आदेश के बारे में सरकार को अभ्यावेदन भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदनों का क्या स्वरूप है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) किसी से कोई लिखित अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ। तथापि आरम्भ में जब नियंत्रण आदेश प्रख्यापित किया गया तो शिमला के स्थानीय आड़तियों और आलू के व्यापारियों द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के असैनिक सम्भरण विभाग के पास कुछ शिष्टमण्डल आये।

(ख) शिष्टमण्डल के सदस्यों को नियंत्रण आदेश के परिणामों से बाजार में सामान के अबाध संचरण में बाधा और व्यापार के असंतुलित होने का भय था।

(ग) प्रशासन ने शिष्टमण्डल के सदस्यों को नियंत्रण आदेश के उद्देश्य और उसको लागू करने के तरीके बताये। यह कहा गया है कि शिष्टमण्डल के सदस्य संतुष्ट हो गये।

खराब रेलवे माल डिब्बे

†३७९. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे में खराब माल डिब्बों के पुनःस्थापन के लिये रेलवे द्वारा क्या ठोस पग उठाये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १४३**]

पूर्वी रेलवे में चोरी

†३८०. **श्री बोस** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुष्ट व्यक्तियों के एक गिरोह ने १ जून, १९५८ को पूर्वी रेलवे पर दुर्गावती और बबुआ रोड स्टेशनों के बीच एक मालगाड़ी रोक ली और भरे हुये माल डिब्बों में से एक बड़ी मात्रा में मूल्यवान वस्तुयें लूट लीं ;

(ख) घटना का क्या ब्योरा है; और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) यह लूट का मामला नहीं है परंतु चलती गाड़ी में चोरी का साधारण मामला है जिसमें अपराधी ६५० रुपये के मूल्य के चने के २६ थैले ले गये। वैक्यूम की कमी के कारण माल-गाड़ी को दुर्गावती और बबुआ रोड़ स्टेशनों के बीच रुकना पड़ा ।

(ख) १ जून, १९५८ की रात को २०.४५ पर माल गाड़ी संख्या १२९४ दुर्गावती और बबुआ रोड स्टेशनों के बीच ३८९/१४ मील पर वैक्यूम की कमी के कारण रुकी । इस गाड़ी पर रेलवे सुरक्षा बल के मार्गरक्षक नहीं थे। गाड़ी के गार्ड ने गाड़ी के निकट १०, १२ व्यक्तियों को मटरगश्ती करते हुये देखा और माल डिब्बे के टूटने की आवाज सुनी। यह देख कर कि वह दुर्गावती अप सूचना सिगनल से अधिक दूर नहीं था, गार्ड दुर्गावती स्टेशन के पूर्वी केबिन की ओर गया और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर को घटना की सूचना दी। दुर्गावती स्टेशन पर ड्यूटी पर लगे हुये तीन सशस्त्र दल के कर्मचारी गार्ड के साथ घटना-स्थल पर आये जहां पर जांच करने पर गाड़ी के मध्य में छः माल डिब्बों के दरवाजे खुले पाये गये और चने के थैले लाइन पर इधर उधर पड़े पाये गये ।

उस ही समय में गाड़ी के ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को लुटते देख अपने इंजन को गाड़ी से काटकर बबुआ रोड ले गया और वहां सहायक स्टेशन मास्टर को सूचना दी। रेलवे सुरक्षा बल के सैनिक और एक सरकारी रेलवे पुलिस कांस्टेबल समेत रेलवे कर्मचारियों का एक दल बबुआ रोड से घटना स्थल पर पहुंचा। घटना स्थल पर कोई दुष्ट व्यक्ति नहीं पाये गये और गाड़ी को बबुआ रोड लाया गया जहां छः माल डिब्बों को परीक्षण के लिये पुनः सील किया गया। परीक्षण से पता चला कि छः में से एक माल डिब्बे में से ६५० रुपये के मूल्य के चने के २६ थैले कम थे। बाकी ५ माल डिब्बों में कोई कमी नहीं थी ।

मुगलसराय पर सूचना प्राप्त होने पर प्रातः २.४० पर एक रेलवे सुरक्षा बल जांच दल बबुआ रोड पहुंचा और उन्होंने क्षेत्र का निरीक्षण किया परन्तु उसका कोई परिणाम नहीं निकला।

(ग) सरकारी रेलवे पुलिस, सेसाराम ने भारतीय दंड सहिता की धारा ३७९ के अन्तर्गत एक मामला रजिस्टर कर लिया। इस मामले में रेलवे पुलिस, पटना के सुपरिंटेंडेंट और दीनापुर के सहायक सुरक्षा पदाधिकारी ने भी वैयक्तिक रूप से जांच की है । यह विषय अभी भी परीक्षणाधीन है ।

हीराकुड परियोजना

†३८१. **श्री सूपकार** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हीराकुड परियोजना क्षेत्र में कितने सरकारी मकान और सार्वजनिक स्थान अनधिकृत कब्जे में हैं; और

(ख) ऐसे कितने मकान हीराकुड जलमग्न क्षेत्र के विस्थापित व्यक्तियों के अनधिकृत कब्जे में हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) हीराकुड परियोजना क्षेत्र में १३ सरकारी मकान और ९८० सार्वजनिक स्थान अनधिकृत कब्जे में हैं। अनधिकृत कब्जे के ये मामले मुख्यतः किरायेदारी में परिवर्तन के कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यद्यपि हीराकुड जलमग्न क्षेत्र से विस्थापित व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत रूप से किसी भी मकान पर कब्जा नहीं किया गया है ; छः स्थानों पर अनधिकृत कब्जा है।

डाक सुविधायें

†३८२. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १९ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में डाक सुविधायें में विस्तार के आधार का पुनर्विलोकन करने के लिये नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति की सिफारिशों पर क्या निर्णय किया गया है ;

(ग) क्या प्रतिवेदन की एक प्रति लोक-सभा पटल पर रखी जावेगी ;

(घ) यदि भाग (क) का उत्तर नाकारात्मक हो तो समिति द्वारा इस कार्य में अब तक क्या प्रगति की गयी है ; और

(ङ) प्रतिवेदन के कब तक प्राप्त हो जाने की सम्भावना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां।

(ख) सिफारिशें परीक्षणाधीन हैं।

(ग) क्योंकि समिति महानिदेशक द्वारा प्रविधिक पदाधिकारियों के विभागीय दल के रूप में डाक सुविधाओं के विस्तार के लिये वर्तमान मानदंड का पुनर्विलोकन करने और ऐसी सुविधाओं के भविष्य में विस्तार के लिये उसको परामर्श देने के लिये नियुक्त की गयी थी, अतः इसके प्रतिवेदन की प्रति के लोक-सभा पटल पर रखने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) और (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

दिल्ली में खाद्य अपमिश्रण

†३८३. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं में अपमिश्रण वृद्धि पर है ; और

(ख) यदि हां, तो १९५७-५८ में कितने व्यक्तियों का चालान किया गया ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) थोड़ी सी वृद्धि का पता चला है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) चालान किये गये व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है :—

(१) १९५७ (जनवरी से दिसम्बर)	१४०६
(२) १९५८ (जनवरी से मई)	७९६
कुल	२२०२

अन्तर्राज्यीय परिवहन

†३८४. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग द्वारा अब तक क्या काम किया गया है ; और

(ख) देश के विभिन्न प्रदेशों में परिवहन की कठिनाइयों को दूर करने में यह किस हद तक समर्थ हो सका है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). अब तक आयोग की ३ बैठकें हुई हैं। राज्य सरकारों और 'सड़क परिवहन' में अभिरुचित अन्य व्यक्तियों से सड़क परिवहन आवश्यकताओं, इस समय होने वाली कठिनाइयों और उनके दूर करने के सुझावों के बारे में जानकारी देने को कहा गया है।

आयोग के कार्य से सम्बन्धित प्रारूप नियम तैयार किये गये हैं और उन्हें टिप्पणी के लिये सम्बन्धित अन्य मंत्रालयों को परिचालित किया जा रहा है ?

पूर्णकालिक सभापति जो १० जुलाई, १९५८ को सम्मिलित हुआ, समस्या से परिचित होने और राज्य सरकारों और अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने के लिये शीघ्र ही राज्यों का दौरा आरम्भ करेंगे।

राज्यों में पौधा संरक्षण केन्द्र

†३८५. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों में पौध संरक्षण केन्द्र खोले हैं ;

(ख) प्रत्येक राज्य में ये केन्द्र कहां-कहां खोले गये हैं ;

(ग) प्रत्येक राज्य में इन्हें किस प्रकार संगठित किया गया है और इनके क्या-क्या कार्य हैं ; और

(घ) ये केन्द्र किन आधारों पर कार्य करेंगे और देश के किसानों की किस प्रकार सेवा करेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) जी हां।

(ख) राज्य	केन्द्र का स्थान
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
आसाम	गौहाटी
बिहार	गया
बम्बई	अमरावती, पालनपुर
दिल्ली	नई दिल्ली
केरल	एर्नाकुलम
मध्य प्रदेश	बिलासपुर, इन्दौर
मद्रास	तिरुचिरपल्ली
मैसूर	धारवाड़
उड़ीसा	कटक
पंजाब	पठानकोट
उत्तर प्रदेश	बाराबंकी

(ग) नई दिल्ली और पालनपुर के अतिरिक्त शेष प्रत्येक केन्द्र के मुख्य एक पौधे संरक्षण पदाधिकारी हैं जिनके अधीन आठ और कर्मचारी हैं। नई दिल्ली और पालनपुर के केन्द्र केवल टैक्नीकल असिस्टेंटों के अधीन हैं जो वरिष्ट टैक्नीकल पदाधिकारियों से मश्वरा करके कार्य करते हैं। प्रत्येक केन्द्र में १०० श्रमिक द्वारा चलने वाली और २२ विद्युत चालित छिड़कने, झाड़ पौंछ करने वाली और अन्य मशीनें, लगभग १५ टन 'पैस्टीसाइड' और २ मोटर गाड़ियां होती हैं।

उनका मुख्य कार्य पौधों के रोगों का सर्वेक्षण करने, उनका अन्त करने और की गई कार्यवाही का मूल्यांकन करने में राज्य सरकारों की सहायता करना है। वे राज्य कर्मचारियों के लाभ के लिये प्रादेशिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन करते हैं जहां पौधों के बचाव का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और वे विभिन्न परिस्थितियों में मशीनों और 'पैस्टीसाइड' का प्रभाव निर्धारित करते हैं।

(घ) ये केन्द्र राज्य के क्षेत्रों के अनुसार नहीं बल्कि प्रादेशिक आधारों पर पौधे संरक्षण और राज्य के अन्य विस्तार संगठनों के सहयोग से कार्य करते हैं। वे पौधों का बचाव करने वाली मशीनें तथा अन्य उपकरण किराये की निश्चित दरों पर देते हैं और सरकारी विभागों, गैर-सरकारी संस्थाओं और कृष्कों को लगभग लागत मूल्य पर देते हैं। पौधों में संरक्षण के उपायों को कृषकों में लोक-प्रिय बनाने के लिये ये केन्द्र शीघ्र ही कुछ ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों को चुनकर वहां एक गहन कार्य करना चाहते हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

पंजाब में बीज पैदा करने वाले फार्म

†३८६. { **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब को बीज की उपज करने वाले फार्म बनाने के लिये १९५८–५९ में कितनी राज सहायता दी गई ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** १०.६५ लाख रुपये।

जहाजों की दुर्घटनायें

†३८७. { **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ में समुद्री जहाजों की कितनी दुर्घटनायें हुईं ;

(ख) ये दुर्घटनायें किन-किन स्थानों पर हुईं ;

(ग) कितने व्यक्ति मरे अथवा घायल हुए ; और

(घ) घायल हुए व्यक्तियों और मरने वालों के निकट सम्बन्धियों को कुल कितना प्रतिकर दिया गया ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) ९८।

(ख) और (ग). एक विवरण जिस में अपेक्षित जानकारी दी गई है सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १४४]**

(घ) वणिक पोत जिला बम्बई में किसी को प्रतिकर नहीं दिया गया है। कलकत्ता और मद्रास के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पंजाब में फालतू चावल

†३८८. { **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में विभिन्न ज़ोनों के लिये पंजाब में से कितना फालतू चावल आवंटित किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : अक्तूबर, १९५७ से जुलाई, १९५८ की समाप्ति तक विभिन्न राज्यों और केन्द्रीय रक्षित डिपो को पंजाब का जो चावल दिया गया उसकी मात्रा नीचे बताई जाती है :—

	आंकड़े टनों में
जम्मू और काश्मीर . . .	२६,६००
केन्द्रीय रक्षित डिपो :—	
बम्बई .	४०,०००
बिहार	४००
कलकत्ता .	२,१००

बिजली लगे हुए रेलवे स्टेशन

†३८९. { सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ से १९५७–५८ तक उत्तर रेलवे के भटिंडा से हिन्दूमालकोट तक कितने रेलवे स्टेशनों पर बिजली लगाई गई ; और

(ख) इन स्टेशनों पर बिजली लगाने के लिय कितनी राशि खर्च की गई है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : १९५६–५७ और १९५७–५८ में भटिंडा और हिन्दूमालकोट सैक्शन के किसी स्टेशन पर बिजली नहीं लगाई गई है । गिदड़वाहा और मलाऊत स्टेशनों पर क्रमशः १४–४–५८ और १४–६–५८ को बिजली लगाई गई थी। इन दो स्टेशनों पर बिजली लगाने पर २२,५३८ रुपये खर्च हुए।

ट्रंक काल

†३९०. श्री न० रा० मुनिस्वामी : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों को ट्रंक कालों के १९५६–५७ और १९५७–५८ के वर्षों के बिलों की कितनी राशि अभी चुकानी है ; और

(ख) इन बकाया राशियों को एकत्र न करने के क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है। वह एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में परिवहन

†३९१. **श्री बांगशी ठाकुर :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में दो सब-डिवीज़नों कंचनपुर और धर्मनगर के लोगों को परिवहन की कठिनाइयों के कारण बड़ा कष्ट हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) कंचनपुर को आसाम-अगरताला सड़क के साथ मिलाने का काम हो रहा है। इस सड़क के पूरा हो जान पर इस क्षेत्र की परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयां बहुत हद तक दूर हो जायेंगी।

गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आयोग

†३९२. **श्री विभूति मिश्र :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल १९५८ में श्री शंकर सेन के सभापतित्व में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आयोग की बैठक में हुए निर्णयों को कार्यान्वित करने के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है सभा-पटल पर रखा जाता है। **(देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १४५)**

कारोनेशन पिलर और तिलक नगर के निकट मल-शोधन संयन्त्र

†३९३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में तिलक नगर और कारोनेशन पिलर के निकट मल शोधन संयन्त्र में व्यापारिक प्रयोग के लिये गैस तैयार करने की किसी प्रस्थापना पर विचार किया जा रहा है ;

(ख) क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) इस पर कितना ख़र्च होगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी हां। केशोपुर और कारोनेशन पिलर के निकट मल शोधक संयन्त्रों में गैस के टैंकों का निर्माण करने के बारे में दिल्ली का नगर निगम विचार कर रहा है।

(ख) अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ग) लगभग ४,००,००० रुपये।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Sewage treatment Plant.

दिल्ली में जल-सम्भरण का रुक जाना

*†३९४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चन्द्रावल पम्पिंग स्टेशन में १० जून, १९५८ को ४८ इंच का मुख्य पाइप फट गया था जिस का प्रभाव दिल्ली में पानी की सप्लाई पर पड़ा ;

(ख) यदि हां, तो पाइप के टूट जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) पाइपों को इस प्रकार की क्षति भविष्य में कभी न हो इसके लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां। दो दिन तक पानी की सप्लाई ११ बजे प्रात : से ४ बजे सांय तक ही सीमित रखनी पड़ी।

(ख) मुख्य पाइप अचानक टूट गया था। इसका कोई विशेष कारण नहीं था।

(ग) इतने बड़े वाटर वर्कस में ऐसी दुर्घटनायें बिल्कुल न हों यह असम्भव है। फिर भी इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिये दिल्ली नगर निगम का विचार ये उपाय करने का है :—

(१) चन्द्रावल १ और २ के बीच को मिलाने वाली लाइन को मई, १९५८ तक पूरा कर दिया गया था और पाइप के फटने से पहले इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया गया था। इस लाइन के कारण ही इस वर्ष उस दुर्घटना के समय पानी की सप्लाई को रोका जा सका था।

(२) न्यू चन्द्रावाल से म्यूटिनी मैमोरियल रैज़रवायर तक ४८ इंच का मुख्य नाला बनाने के लिये अधिकतर पाइप प्राप्त हो गये हैं और विशेष पाइपों का व्यादेश भेजा जा चुका है। इस लाइन के बन जाने पर यह कठिनाई काफी कम हो जायेगी।

(३) द्वितीय पंच वर्षीय योजना अवधि में जो मुख्य लाइनें बनाई जा रही हैं उनमें 'रिफ्लक्स वाल्वज़[1]' लगाने का विचार है। जब नई मुख्य लाइनें चालू हो जाती हैं तो वर्त्तमान लाइनों को एक एक करके 'रिफ्लक्स वाल्वज़' लगाने के लिये बन्द किया जा सकेगा। यह कार्य द्वितीय पंच वर्षीय योजना में करने का विचार है।

रेलवे सवारी गाड़ी के डिब्बों को अपने आप धोने वाली मशीन

†३९५. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के इंजीनियरों ने सवारी गाड़ी के डिब्बों को अपने आप धोने वाली एक मशीन का अविष्कार किया है ;

(ख) यदि हां, तो वास्तव में इसका काम कैसा है ; और

(ग) क्या आयात की जाने वाली मशीन से यह सस्ती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Reflux Valves

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) पश्चिम रेलवे के इंजीनियरों ने एक मशीन ईजाद की है।

(ख) इसका काम सन्तोषजनक है।

(ग) जी हां।

खाद्य की कमी

†३९६. **श्री बाल्मीकी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून १९५७ और जुलाई १९५८ के बीच किन-किन राज्यों में खाद्य की कमी अनुभव की गई ; और

(ख) सरकार ने कमी दूर करने और पीड़ित क्षेत्रों की सहायता के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसाम में कुछ भाग, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश।

(ख) सरकार ने कई उपाय किये हैं ; जैसे कि :

(१) उचित मूल्य वाली दूकानों पर सरकार द्वारा निश्चित मूल्यों पर काफी अनाज बेचना ;

(२) जहां कहीं आवश्यक हो सहायता के लिये कोई काम आरम्भ करना ;

(३) दुर्बल और अन्य पात्र व्यक्तियों को मुफ्त अनाज बांटना ;

(४) कृषि ऋण देना, आदि ।

भारतीय कृषकों की विदेश यात्रा

†३९७. **श्री बाल्मीकी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ और १९५७–५८ के बीच प्रत्येक देश को कृषकों के कितने दल भेजे गये थे ;

(ख) इन कृषकों को किन आधारों पर चुना गया ; और

(ग) गत आठ वर्ष में कितने कृषक विदेशों से वापस लौटे हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री श्री अ० प्र० जैन** : (क)

१९५६–५७	(१) १६ कृषक आस्ट्रेलिया को ।
	(२) ३५ नवयुवक कृषक अमरीका को ।
	(३) ४ कृषक रूस को ।
१९५७–५८	(१) २० फार्म नेता अमरीका को ।
	(२) ३७ नवयुवक कृषक अमरीका को ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) एक प्रैस नोट द्वारा उम्मीदवारों के आवेदन पत्र मांगे जाते हैं। उमीदवार राज्य सरकारों को अपने आवेदन पत्र देते हैं और कुछ एक चुने हुये आवेदन पत्र केन्द्रीय सरकार को भेज देते हैं। कृषक संस्थाओं और सहकारी संघों के द्वारा भी आवेदन पत्र भेजे जाते हैं। एक केन्द्रीय चुनाव समिति इन सब आवेदन पत्रों को देखती है। जब समय होता है तो एक प्रादेशिक चुनाव समिति जिस में डायरेक्टर आफ ऐग्रीकल्चर, राज्य सरकारों के विकास आयुक्त और केन्द्रीय सरकार के दो तीन प्रतिनिधि होते हैं उम्मीदवारों से 'इन्टरव्यू' करने के लिये नियुक्त की जाती है। प्रादेशिक चुनाव समितियों अथवा केन्द्रीय चुनाव समिति द्वारा चुने गये उमीदवारों का इन्टरव्यू केन्द्रीय चुनाव बोर्ड करता है जिसमें सहकार मंत्री सभापति होते हैं विदेशी सरकारों के प्रतिनिधि और मंत्रालय के पदाधिकारी होते हैं। यह बोर्ड ही उम्मीदवारों के चुनाव के बारे में अन्तिम निर्णय करता है। वही लोग चुने जाते हैं जिन्हें खेती का व्यावहारिक अनुभव होता है, अंग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान होता है और विदेशों में प्रयुक्त आधुनिक तरीकों को समझने की योग्यता होती है जिसे वे अपने फार्म पर प्रयोग कर सकें और उनके समुदाय को भी लाभ हो।

(ग) २१८ ।

भुवनेश्वर में मुर्गी पालन फार्म

†३९८. **श्री संगण्णा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २० फरवरी, १९५८ के भुवनेश्वर (उड़ीसा) में प्रादेशिक मुर्गीपालन फार्म सम्बन्धी तारांकित प्रश्न संख्या ३५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम रहे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** (क) और (ख). भुवनेश्वर में प्रादेशिक फार्म बनाने के लिये उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को ५० एकड़ भूमि दे दी है जो कि इमारतों के नकशे और प्राक्कलन तैयार कर रहा है।

छः बड़े और पांच छोटे 'इनक्यूबेटर' और १५ 'चिक-ब्रूडर' और अन्य उपकरण जो टैक्नीकल सहकारिता मिशन के अन्तर्गत प्राप्त हुआ था राज्य उसरकार को दे दिया गया है।

हाल ही में इस मंत्रालय का एक पदाधिकारी उड़ीसा भेजा गया है ताकि वह इनक्यूबेटर आदि लगा सके और फार्म को चालू करने के बारे में अन्तिम प्रबन्ध कर सके।

उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न के मूल्य में वृद्धि

†३९९. **श्री स० म० · बनर्जी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा ३ (क) को लागू करने से उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न के मूल्य बढ़ गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). उपज कम होने के कारण उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न के मूल्य बढ़ गये और रब्बी फसल का उत्पादन कम होने के कारण मूल्यों में वृद्धि बहुत ज्यादा हुई ।

रेलवे लाइन को दोहरा करना

४००. **श्री डामर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी रेलवे के रतलाम तथा गोधरा स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन को दोहरा करने के लिये पहले कितनी धनराशि मंजूर की गयी थी ; और

(ख) इस काम के लिये और कितनी राशि मंजूर की गयी है ?

रेलवे उपमंत्री श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) ८४९.७ लाख रुपये ।

(ख) ४८.२ लाख रुपये ।

रूरकेला डाक घर

†४०१. **श्री पाणिग्रही** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला डाक घर में डाक तथा तार विभाग ने बहुत कम सुविधायें दी हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कर्मचारियों को रहने का स्थान न देने के कारण कोई भी कर्मचारी रूरकेला में नहीं रहना चाहता ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) नहीं। रूरकेला —१ उप डाक घर में स्थान की कमी के कारण अतिरिक्त मनीआर्डर काऊंटरों की व्यवस्था नहीं की जा सकी। इस कमी को पूरा करने के लिये मनीआर्डर भेजने का समय दो घंटे बढ़ा दिया गया है और किराये पर उपयुक्त स्थान मिल जाने पर इस क्षेत्र में दो और डाक घर खोलने का विचार है ।

(ख) और (ग). रहने का स्थान प्राप्त करने में कठिनाई होती है। हिन्दुस्तान स्टील प्लांट प्राधिकारियों से रहने का स्थान प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

चीन की सहकारिता प्रणाली

४०२. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २८ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीन की सहकारिता प्रणाली के बारे में पाटिल प्रतिनिधिमण्डल ने जो रिपोर्ट दी थी क्या इस बीच उस पर विचार कर लिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस रिपोर्ट की प्रत्येक मुख्य सिफारिश पर क्या निर्णय किया गया है ;

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) कब तक अन्तिम निर्णय हो जाने की आशा है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) और (ख). चीन को भेजे गये पाटिल प्रतिनिधिमंडल की मुख्य सिफारिश सहकारी फार्मों की स्थापना के सम्बन्ध में है । सितम्बर, १९५७ में राष्ट्रीय विकास परिषद् में हुये वाद-विवाद के परिणामस्वरूप, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाकी समय में ३००० सहकारी फार्मों की स्थापना करने का निर्णय किया गया था । ये प्रयोग सहकारी खेती के टेक्निक्स के विकास के लिये जो साधारणतया भारतीय परिस्थितियों के लिये तथा देश के अनेक भागों में विशेषकर स्थानीय परिस्थितियों के लिये उपयुक्त हों, किये जाने थे । अनेक सालों तक ये प्रयोग किये जाने के बाद ही केवल, समस्त देश या उसके विभिन्न प्रदेशों के लिये सब से उपयुक्त टेक्निक्स का विकसित करना और उनका निश्चय करना सम्भव हो सका । राज्य की योजनाओं में सन् १९५८–५९ में लगभग ५०० सहकारी फार्मों की स्थापना के लिये उपबन्ध कर दिया गया है ।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं होता ।

यमुना के ऊपर सड़क का पुल

४०३. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १२ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ८०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच यमुना नदी पर सड़क का पुल बनाने के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : उत्तर प्रदेश सरकार ने पंजाब सरकार को यह सुझाव दिया है कि पुल के बनाने का स्थान पंजाब की तरफ से पानीपत और उत्तर प्रदेश की तरफ से खैराना के बीच निश्चित किया जाय । यह मामला अब दोनों राज्य सरकारों के विचाराधीन है ।

रेलगाड़ियों का देर से चलना

४०४. **श्री विभूति मिश्र** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक रेलवे महाखण्ड (ज़ोन) में पिछले छै महीनों में, अर्थात् जनवरी, १९५८ से ३० जून, १९५८ तक कितने फ़ी सदी गाड़ियां लेट चलीं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें यह बताया गया है कि पहली जनवरी १९५८ और ३० जून, १९५८ के बीच सवारी ढोने के लिये जितनी गाड़ियां चलायी गयीं उनमें कितने फ़ीसदी गाड़ियां लेट चलीं । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १४६]**

---

†मूल अंग्रेजी में

इम्फाल में जल संभरण

†४०५. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ के बाद इम्फाल में जनता के लिये पानी के कितने व्यक्तिगत नल लगाये गये; और

(ख) जनता के लिये पानी की सप्लाई पहले ही बहुत कम थी फिर सार्वजनिक हित के प्रतिकूल ये व्यक्तिगत नल क्यों लगाये गये ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) सात ।

(ख) क्योंकि पानी की वर्तमान सप्लाई इतनी अधिक नहीं है कि इसकी क्षमता से अधिक पानी सप्लाई करने वाले नल लोगों के लिये लगाये जा सकें इसलिये एक बड़ी योजना, जिस पर २८.३६ लाख रुपये खर्च होंगे, कार्यान्वित की जा रही है । इस से जनता के लिये और पानी के नल लगाये जा सकेंगे ।

हिमाचल प्रदेश में सड़कें

४०६. **श्री पद्म देव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश की उन ६७ सड़कों के नाम क्या हैं जिनकी १९५७-५८ में मरम्मत की गई;

(ख) क्या मरम्मत की गई सड़कों में पगडंडियां भी शामिल हैं; और

(ग) क्या इन सड़कों की मरम्मत सरकार ने स्वयं की या ठेकेदारों द्वारा करवाई है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १४७**]

(ख) इन सड़कों में घोड़ों के चलने योग्य सड़कें भी शामिल हैं ।

(ग) सड़कों की सालाना देखभाल और मरम्मत का काम विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों दोनों के द्वारा किया जाता है ।

पूर्वोत्तर रेलवे में ढलानों की मरम्मत

†४०७. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के रेल फाटकों की दोनों ओर ढालों की मरम्मत के लिये कोई राशि स्वीकृत की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि इन ढालों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता और इनकी मरम्मत नहीं की जाती जिससे ठेलों और मोटरों आदि के लिये बड़ी कठिनाई पैदा होती है; और

(ग) सोनपुर और चपरा के बीच विशेषकर बड़ा गोपाल और गोल्डनगंज स्टेशनों के बीच कितने वर्षों से ढालों की मरम्मत नहीं की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां। पूर्वोत्तर रेलवे ने रेल-फाटकों और उनको मिलाने वाली सड़कों और ढालों की मरम्मत आदि के लिये नियत किया है और इस कार्य पर काफी रुपया खर्च किया जा चुका है।

(ख) नहीं श्रीमान्।

(ग) सोनपुर-चपरा सैक्शन में बड़ा गोपाल और गोल्डनगंज स्टेशनों के बीच के रेल-फाटकों की साधारण देखरेख के अतिरिक्त १९५६-५७ में विशेष मरम्मत भी की गई थी।

डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये कल्याण बोर्ड

†४०८. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री बोस : }

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये कल्याण मंत्रणा बोर्ड स्थापित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) बोर्ड के कृत्य क्या हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) बोर्ड के सभापति और अन्य सदस्यों के नाम ये हैं :—

१. श्री राज बहादुर	मंत्री (नौवहन) सभापति
२. श्री शंकर प्रसाद	डायरेक्टर जनरल
३. श्री राम कृष्ण	डिप्टी डायरेक्टर जनरल (पी एण्ड टी)
४. श्री एन० आर० मने	डिप्टी डायरेक्टर, वैल्फेयर
५. श्री वी० जी० डाल्वी	डाक तथा तार कर्मचारियों की नैशनल फैडरेशन के प्रेज़ीडेंट
६. श्री एस० एन० चटर्जी	सी० टी० ओ० कलकत्ता के चीफ सुप्रिन्टेंडेंट
७. श्री एम० एस० भट्ट	डैड लैटर आफिस, बम्बई के क्लर्क
८. श्री सी० ए० फर्नांडेज़	मद्रास सर्कल में टैलीग्राफिस्ट
९. श्री परिमल कान्ति डी० राय	आसाम सर्कल में सार्टर
१०. श्री आर० एल० मोनी	राजस्थान सर्कल में सार्टर
११. श्री जलील	पोस्टमास्टर, हैदराबाद
१२. मिस बरुण सेन	क्लर्क, सीनियर इलैक्ट्रीकल इंजीनियर, टी एण्ड डी सर्कल, अलिपुर, कलकत्ता।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) बोर्ड का काम मंत्रणा देना है और वह डाक तथा तार कर्मचारियों में कल्याण कार्य की गतिविधियां बढ़ाने और उन्हें सुविधायें देने और कर्मचारियों के आमोदप्रमोद के क्लब, खेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिये सरकार से सिफारिशें करेगा ।

डाक घर बचत बैंक लेखे

†४०९. **श्री मुरारका** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय डाक घर बचत बैंक लेखों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) गत चार वर्ष में इन में से कितने "डैड अकाऊंट" घोषित किये गये हैं; और

(ग) "डैड अकाऊंटों" में कुल कितनी राशि जमा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) ३१-३-१९५८ को ६,९१८,४५४ (डेड अकाऊंटों के अतिरिक्त) ।

(ख) डाक घर बचत बैंक के वे लेखे जिन में छः वर्ष तक कोई लेन देन नहीं होता वह 'डेड अकाऊंट' माना जाता है । ३१ मार्च, १९५८ को ऐसे लेखे ३,८७३.६८१ थे । गत चार वर्ष में कितने लेखे 'डेड' घोषित किये गये इस बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) ३१-३-१९५८ को ८,०२,९८,८१३ रुपये ।

सूखा

४१०. **श्री सरजू पाण्डे** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सारे देश में अनावृष्टि के कारण १९५७ और १९५८ में अब तक पैदावार में कितने प्रतिशत कमी हुई है; और

(ख) इस कमी को पूरा करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) कृषि उत्पादन का सूचनांक सन् १९५७-५८ में ११३·४ है और जब कि यह सन् १९५६-५७ में १२३·८ था और सन् १९४९-५० में १०० था । इस भांति सन् १९५६-५७ की तुलना में सन् १९५७-५८ के कृषि उत्पादन में यह ८.४ प्रतिशत की कमी दिखलाता है ।

(ख) विशेषज्ञों के दल की सिफारिश पर, जिन्होंने सूखे से प्रभावित बिहार, उड़िसा, मध्य-प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों का दौरा किया था, अतिरिक्त अन्न उत्पादन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सन् १९५७ में इन राज्यों को १५५·४६ लाख रुपयों की एक रकम मंजूर की गई । शीघ्र सिंचाई कार्यों के रास्तों में आने वाली बड़ी कठिनाइयों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने और उनको सुलझाने के लिए, प्रादेशिक सिंचाई कांफ्रेन्सेस की जा रही हैं । इस के अतिरिक्त, समय समय पर राज्य सरकारों को, अन्न उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त करने के लिये उपयुक्त कदम उठाने के लिए जोर दिया जा रहा है । आगामी रबी मौसिम में अन्न की फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक आन्दोलन आरम्भ करने का भी प्रस्ताव है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दुग्ध उत्पादन का अध्ययन

†४११. **श्री वाजपेयी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में दुग्ध उत्पादन, दूध देने वाले पशुओं की नसलों और उनके प्रबन्ध आदि के अध्ययन के लिये जो योजना आरम्भ की गई थी क्या वह बन्द कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो सुपरवाइज़रों, इंस्पैक्टरों, गणकों आदि को जो इस योजना के सम्बन्ध में नियुक्त किये गये थे क्या वैकल्पिक नौकरियां दिलाई गई हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां, वह योजना मार्च, १९५८ में बन्द कर दी गई थी ।

(ख) तीनों इंस्पैक्टर और तीनों सुपरवाइज़र उत्तर गुजरात और बम्बई राज्य के सौराष्ट्र भाग में वैसा ही सर्वेक्षण कर रहे हैं । २० गणकों में से दो को सुपरवाइज़र बना दिया गया है और दो को लायब्रेरी अटैंडैंट और सात भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् में दफ्तरी हैं । शेष ९ को अन्य संस्थाओं में नौकरी दिलाने की सिफारिश की गई है ।

अखिल भारतीय आलू बोर्ड

†४१२. **श्री वाजपेयी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आलू की फसल के उत्पादन के समायोजन और वितरण के लिये एक अखिल भारतीय आलू बोर्ड बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). संसद के एक सदस्य के पास से एक सुझाव इस सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है । अन्य कोई प्रस्ताव नहीं है ।

बिजली का दुरुपयोग

†४१३. **श्री वाजपेयी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली और नई दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों में बिजली का दुरुपयोग बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय द्वारा विद्युत् के दुरुपयोग को रोकने और सरकारी कार्यालयों एवं दिल्ली और नई दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों के निवास स्थानों में विद्युत् के उपभोग में कमी करने के सम्बन्ध में सितम्बर, १९५६ में जारी किये गये निदेशों की एक प्रतिलिपि लोक-सभा पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १४८]**

नंगल ग्रिड के कोटला पावर स्टेशन में एक जेनरेटिंग ट्रांसफारमर मई १९५८ में अचानक खराब हो गया था । परिपत्र द्वारा निदेश जारी किये गये थे कि विद्युत् के इस्तेमाल में यथासम्भव मितव्ययिता बरती जायेगी । बिजली का दुरुपयोग चाहे सरकारी कार्यालयों में हो अथवा कर्मचारियों के निवास स्थानों में, उसे रोका जाना चाहिये और आवश्यकता कम से कम कर दी जानी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पेराम्बूर का रेल डिब्बा बनाने वाला कारखाना

†४१४. **श्री वाजपेयी** : क्या रेलवे मंत्री १७ फरवरी, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेराम्बूर के रेल-डिब्बे बनाने वाले कारखाने में 'मास का सर्वश्रेष्ठ श्रमिक' योजना लागू करने के प्रस्ताव की जांच कर ली गई है और उसके ब्योरे पर अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) इसकी अभी भी जांच की जा रही है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पत्तन और गोदी श्रमिकों की हड़ताल

†४१५. **श्री दामानी :**
श्री राधा रमण :
श्री नाथ पाई :
श्री ईश्वर अय्यर :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री तंगामणि :
श्री सूपकार :
सरदार इकबाल सिंह
श्री प्र० के० देव :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें बताया गया हो कि :

(क) जून, १९५८ में पत्तन और गोदी श्रमिकों की हड़ताल से कितने काम के घंटों की हानि हुई;

(ख) हड़ताल से कितने भारतीय और कितने विदेशी जहाज़ों को अलग-अलग हानि हुई और किन-किन पत्तनों पर उन्होंने अपने लंगर डाले;

(ग) क्या पत्तनों में हड़ताल के दौरान में झगड़े के परिणामस्वरूप कुछ लोग हताहत भी हुए;

(घ) यदि हां, तो मृतकों और घायलों की संख्या कितनी थी;

(ङ) क्या मृतक और अपंगु श्रमिकों के परिवार वालों को प्रतिकर दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो प्रत्येक को कितनी-कितनी राशि दी गई ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (च) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १४९]**

---

†मूल अंग्रेज़ी में

"कुदजू" पौदा

†४१६. **श्री आसर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २२ सितम्बर, १९५५ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापानी "कुदजू" पौदे के प्रचार के लिये सरकार द्वारा किये गये प्रयत्नों में पिछले दो वर्षों में अब कोई प्रगति के चिह्न दिखाई दिये हैं;

(ख) क्या किसी सामुदायिक परियोजना क्षेत्र अथवा अन्य कहीं उक्त पौदे की विशद रूप से खेती की गई है;

(ग) यदि हां, तो कहां और किस हद तक; और

(घ) क्या देश में भूसे के सम्भरण की वृद्धि करने के लिये "कुदजू" पौदे के अतिरिक्त सरकार की दृष्टि अथवा हाथ में अन्य कोई उपाय भी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) से (ग). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १५०]**

मलेरिया उन्मूलन

†४१७. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, १९५८ में मलेरिया उन्मूलन सप्ताह मनाया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सप्ताह सारे राज्यों में मनाया गया था;

(ग) मलेरिया उन्मूलन सप्ताह का कार्यक्रम क्या था; और

(घ) इसको कहां तक कार्यान्वित किया गया ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) २३ से ३० जून, १९५८ तक मलेरिया उन्मूलन सप्ताह मनाया गया था।

(ख) सूचना राज्यों से एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) इस कार्यक्रम में प्रत्येक राज्य में इस अवसर का राज्यपालों, मुख्य मंत्रियों, स्वास्थ्य मंत्रियों और जनता के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा रेडियो अथवा सार्वजनिक सभाओं में उद्घाटन करना सम्मिलित था। समाचारपत्रों, फिल्मों, पोस्टरों, प्रदर्शनियों, सिनेमा स्लाइडों, इश्तहारों, पत्रिका, व्याख्यानों, छिड़कने का प्रदर्शन, सामूहिक वाद-विवाद आदि के द्वारा प्रचार किया गया था।

(घ) राज्यों से सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

बंगलौर नगर के लिये जल सम्भरण और नालियों का व्यवस्था

†४१८. **श्री शिवलिंगप्पा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलौर नगर में जल सम्भरण की पूर्ति एवं नालियों की समस्या के लिये केन्द्र द्वारा पर्याप्त वित्तीय सहायता का वचन दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जल सम्भरण और निगम की सफाई योजनाओं के लिये १०.० करोड़ रुपये की कुल राशि का जो उपबन्ध किया गया है उसमें से मैसूर सरकार ने बंगलोर नगर में जल सम्भरण और नालियों की योजनाओं के लिये १००.० लाख रुपये की राशि नियत कर दी है। राज्य सरकार ने इस नियत की गई राशि को बढ़ा कर १५०.० लाख रुपये कर देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है किन्तु केन्द्र के पास निधि सीमित होने के कारण यह निवेदन स्वीकार नहीं किया जा सका। अतः राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम का पुनर्निरीक्षण कर निम्न दो योजनाएं लागू करने का विचार किया है :

१. जल सम्भरण योजना प्राक्कलित लागत ६०.० लाख रुपये।

२. भूमि के अन्दर की नाली योजना प्राक्कलित लागत ४०.० लाख रुपये।

बंगलौर नगर जल सम्भरण सम्बन्धी वितरण व्यवस्था की योजनाएं और ३७ भागों के लिये अनुमान १४ और २७ में दो बार में प्राप्त हुये थे जिनमें से ९.९६५८ लाख रुपये के १७ प्राक्कलन जांच करने के पश्चात् अब तक स्वीकृत कर लिये गये हैं। शेष प्राक्कलनों को केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग संगठन द्वारा सुझाये तरीके के अनुसार इनका पुनर्निरीक्षण करने के पश्चात् स्वीकृति दे दी जायेगी। स्वीकृत योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये १९५७-५८ में ऋण के रूप में २.० लाख रुपये की मंजूरी दी गई थी।

चावल समिति की बैठक

†४१९. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् की चावल समिति की पहली बैठक हाल ही में शिमला में हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकाले गये ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां, चावल समिति की पहली बैठक १३ जून, १९५८ को शिमला में हुई थी।

(ख) समिति द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों का सारांश लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १५१]**

उत्तर भारत उड्डयन क्लब

†४२०. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने उत्तर भारत उड्डयन क्लब के लिये १९५८-५९ के लिये कुछ राशि आवंटित की है; और

(ख) यदि हां, तो क्लब को कितनी राशि सहायता के रूप में देने का विचार है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहम्मद उद्दीन)** : (क) और (ख). जी हां। क्लब को राज सहायता देने के लिये आयव्ययक में १,११,२०० रुपये की व्यवस्था की गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन

†४२१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब को 'अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन' के लिये १९५६-५७ में कितनी राशि आवंटत की गई थी और क्या वह सब खर्च हो गई थी;

(ख) राज्य में खाद्य उत्पादन बढ़ाने में इससे कहां तक सहायता मिली थी; और

(ग) कितने एकड़ और अधिक भूमि पर खेती की जाने लगी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जन)** : (क) राज्य सरकार को १७९.२७ लाख रुपये की राशि व्यय करने का अधिकार दिया गया था जिसमें से उसने १३३.०२ लाख रुपये व्यय किये थे ।

(ख) ७८,५०० टन अतिरिक्त उत्पादन होने का समाचार मिला है ।

(ग) ६४,८०० एकड़ और अधिक भूमि पर खेती की जाने की सूचना दी गई है ।

राज्य विद्युत् बोर्ड

†४२२. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में राज्य विद्युत बोर्डों के लिये १९५७-५८ में कितनी वित्तीय सहायता की मंजूरी दी गई है;

(ख) इसका कहां तक उपयोग किया जा चुका है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में १९५८-५९ में कितनी राशि की मंजूरी दी गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). विद्युत (सम्भरण) अधिनियम, १९४८ के उपबन्धों के अधीन राज्य विद्युत् बोर्डों को वित्तीय सहायता देने के लिये केवल राज्य सरकारें ही सक्षम है । भारत सरकार ने भूतपूर्व दिल्ली राज्य विद्युत् बोर्ड को, जो अब दिल्ली नगरपालिका निगम का दिल्ली विद्युत् सम्भरण उपक्रम है, राज्य सरकार की हैसियत से १९५७-५८ में ५० लाख रुपये का ऋण मंजूर किया था, जो सब खर्च किया जा चुका है ।

(ग) एक भी नहीं । दिल्ली नगरपालिका निगम के बनजाने से दिल्ली में विद्युत् उत्पन्न करने, सम्भरण और वितरण का कार्य नगरपालिका निगम को हस्तान्तरित कर दिया गया है और दिल्ली राज्य विद्युत् बोर्ड ७ अप्रैल, १९५८ को भंग कर दिया गया है ।

भू सर्वेक्षण

†४२३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ७ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० सी० ई० केलांग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की सरकार ने जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १५२]**

कोणार्क के लिये सभी मौसमों में काम आने वाली सड़क

†४२४. **श्री पाणिग्रही** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय योजना काल में कोणार्क के लिये सभी मौसमों में काम आने वाली सड़क पूरी हो जाने का कार्यक्रम निश्चय हो गया है ; और

(ख) क्या सड़क पूरी करने के लिये उड़ीसा की सरकार ने कुछ और अनुदान मांगा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां ।

(ख) नहीं, किन्तु राज्य सरकार स्थिति की पुनः जांच कर रही है ।

अल्प सिंचाई योजना

†४२५. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में उड़ीसा की सरकार से कोई नई अल्प सिंचाई योजनायें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई विशेष अनुदान दिया जा रहा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख) . जी नहीं । राज्य सरकार ने बताया है कि वह नई परियोजनाये आरम्भ करने के लिये योजना में अधिक से अधिक १० लाख रुपये और बढ़ाने के लिये भारत सरकार से मांग करेगी । राज्य सरकार के ब्योरे की प्रतीक्षा की जा रही है ।

जूट की खेती

†४२६. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में कितने एकड़ भूमि पर जूट की खेती की जा रही है और १९५७-५८ में कुल कितनी पैदावार हुई ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** :

क्षेत्र	९४,००० एकड़
पैदावार	२,०८,००० गांठें

लाख की खेती

†४२७. **श्री रा० च० माझी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में केन्द्र द्वारा लाख की खेती में विस्तार करने का कोई विचार है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उड़ीसा में वे क्षेत्र कौन-कौन से हैं जिनमें केन्द्र द्वारा लाख की खेती की जा रही है ; और

(ग) उड़ीसा में केन्द्र द्वारा किन नये क्षेत्रों में खेती की जाने वाली है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) भारत सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के दौरान में उड़ीसा में कुल ५५,५०० रुपये की लागत पर लाख की खेती करने की एक योजना पर मंजूरी दी है जिसमें केन्द्र और राज्य सरकार का आधा-आधा अंश रहेगा।

(ख) उड़ीसा में लाख की खेती के लिये बनाई गई योजना का उद्देश्य दो ब्रूडलाख केन्द्र स्थापित करने का है जिनमें से एक क्योंझर डिवीज़न के अंबर नामक स्थान में होगा और दूसरा उड़ीसा राज्य में काशीपुर डिवीज़न के माहुलपटना क्षेत्र के पंडिया नामक स्थान में। इन कार्यों की स्थापना १९५६-५७ में की जा चुकी है।

(ग) फिलहाल भारत सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है किन्तु दो और ब्रूडलाख फार्म—एक अक्षमालिक डिवीज़न में और दूसरा बोनाई डिवीज़न के नगरिया ब्लाक में खोलने का प्रश्न उड़ीसा सरकार के विचाराधीन है।

सूखा

†४२८ { **श्री मोहन स्वरूप :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष देश के किन-किन क्षेत्रों में वर्षा के देर से होने या सूखा पड़ने का खरीफ़ की फसल पर प्रभाव पड़ा;

(ख) क्या यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश में अनाज और गेहूं की भारी कमी है और गेहूं का भाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ;

(घ) उत्तर प्रदेश और देश के अन्य भागों में सस्ते अनाज की कितनी दुकानें खोली गई हैं और भविष्य में कितनी और खोली जाने वाली हैं ; और

(ङ) रबी की फसल में अनाज का कितना उत्पादन हुआ और वह गत वर्ष की तुलना में कैसा रहा ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में १९५७-५८ की खरीफ़ की फसलों पर वर्षा में विलम्ब और सूखा का प्रभाव पड़ा है।

(ख) जी हां। गेहूं के उत्पादन में भी कुछ कमी हुई है।

(ग) मोटे अनाज और विदेशी गेहूं का वितरण जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहले से चल रहा है और बढ़ा दिया गया है। मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सी सस्ते गेहूं की दुकानें अनेक स्थानों पर खोल दी गई हैं। उत्तर प्रदेश से गेहूं का निर्यात बन्द कर रखा है। आटे की मिलों द्वारा देसी गेहूं की खरीद बन्द कर दी गई है। इन मिलों को विदेशी गेहूं केन्द्रीय भण्डारों से दिया जाता है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(घ) लगभग ३४५० उत्तर प्रदेश में और ३८,००० दूसरे राज्यों में आवश्यकता पड़ने पर और दुकानें खोल दी जायेंगी।

(ङ) उत्तर प्रदेश में रबी की फसल का उत्पादन गत वर्ष की अपेक्षा लगभग १४ प्रतिशत कम रहा है और समस्त देश में २० प्रतिशत कम है। उत्पादन के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

(हज़ार टन में)

	१९५६-५७	१९५७-५८
(१) उत्तर प्रदेश	६२१८	५३७०
(२) समस्त देश	१८४०५	१४५८३

सिगनल के खम्भों का आयात

†४२९. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक रेलवे में पिछले प्रत्येक तीन वर्षों में सिगनल के खम्भों के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** :

आंकड़े रुपयों में

रेलवे	सिगनल के खम्भों के आयात पर व्यय की गई राशि		
	१९५५-५६	१९५६-५७	१९५७-५८
	रुपये	रुपये	रुपये
मध्य	२,१७४	१,२०२	७१,५७०
पूर्वी	—	—	—
उत्तर	—	६९,८१३	७७,६८६
उत्तर-पूर्व	—	—	—
उत्तर-पूर्व सीमान्त	—	—	—
दक्षिण	—	५,५२३	२,०७,५२५
दक्षिण-पूर्व	—	—	—
पश्चिम	—	—	—
रेलों के विद्युतीकरण	—	२२,८३६	—
योग	२,१७४	९९,३७४	३,५६,७८१

†मूल अंग्रेज़ी में

पांडु और अमीनगांव के बीच ब्रह्मपुत्र पुल

†४३०. **श्री मफीदा अहमद :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पांडु और अमीनगांव के बीच प्रस्तावित ब्रह्मपुत्र पुल के बारे में क्या प्रगति की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** प्रारम्भिक कार्य जैसे पुल बनाये जाने के स्थान का सर्वेक्षण, उस तक जाने के रास्ते, यार्ड तथा उस स्थान की सफाई करने के अन्य आनुषंगिक कार्यों में सन्तोषजनक प्रगति हो रही है ।

नींव का कार्य आगामी काम करने वाले सीजन से आरम्भ करने का निश्चय किया गया है ।

पुरना और हिंगोली के बीच रेल मार्ग

†४३१. **श्री पांगरकर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ६ जुलाई, १९५८ की रात को अत्यधिक वर्षा होने के कारण पुरना और हिंगोली के बीच की रेल की पटरियां पानी के कारण बह गईं जिसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त स्टेशनों के बीच यातायात बन्द हो गया; और

(ख) यदि हां, तो यातायात को पुनः चालू करने में अधिकारियों को कितना समय लगा ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) ६ जुलाई, १९५८ की रात से अत्यधिक वर्षा आरम्भ हो जाने के कारण मध्य रेलवे के पुरना—हिंगोली छोटी लाइन के सेक्शन पर बस्मतनगर और बोल्दा स्टेशनों के बीच अनेक स्थानों पर कई जगह पटरी उखड़ गई थी जिससे उस सेक्शन की सीधी गाड़ियों का जाना रोक दिया गया था ।

(ख) सीधा आवागमन १५-७-१९५८ से पुनः आरम्भ हो गया था ।

पर्यटक विकास परिषद्

†४३२. { **श्री हेमराज :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटक विकास परिषद् की श्रीनगर में हुई बैठक के मुख्य निर्णय क्या थे ; और

(ख) सरकार ने कौन-कौन से निर्णय स्वीकार करके उन्हें कार्यान्वित कर दिया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १५३]**

(ख) परिषद् की बैठक की कार्यवाही का सारांश अभी-अभी उपलब्ध हुआ है और सरकार ने उसके द्वारा की गई सिफारिशों पर अपनी जांच अभी पूरी नहीं कर पाई है ।

अधिक अन्न उपजाओ योजना

†४३३. **श्री हेमराज :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ के लिये अधिक अन्न उपजाओ योजना के अधीन प्रत्येक राज्य से कितनी संख्या में अल्प सिंचाई योजनायें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) इन योजनाओं पर प्रत्येक राज्य के लिये कितनी धन राशि स्वीकृत की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) और (ख). जानकारी बताने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १५४]**

---

†मूल अंग्रेज़ी में

झांसी मानिकपुर सैक्शन पर महोबा स्टेशन

४३४. **श्री रा० स० तिवारी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यात्रियों को झांसी—मानिकपुर सेक्शन के महोबा स्टेशन पर जगह की कमी के कारण, बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है ;

(ख) इस असुविधा को दूर करने के लिये महोबा स्टेशन पर बरसाती और कमरे बनाने का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(ग) क्या यह काम दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरा होने की सम्भावना है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) शायद माननीय सदस्य का मतलब मध्य रेलवे के झांसी—मानिकपुर सेक्शन के महोबा स्टेशन से है। यदि ऐसा है, तो उत्तर नकार में है।

(ख) और (ग). इस स्टेशन पर दो प्रतीक्षालय मौजूद हैं : एक तीसरे दर्जे का जिसका क्षेत्रफल लगभग १७४० वर्गफुट है और दूसरा ऊंचे दर्जे का जिसका क्षेत्रफल १९२ वर्गफुट है। यहां जो यातायात होता है उसे देखते हुये, इस समय प्रतीक्षालय की अधिक सुविधा देने या प्लेटफार्म पर छत डालने की ज़रूरत नहीं जान पड़ती।

पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे प्रशासन

†४३५. { **श्री हेम बरुआ :**
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीन रेलवे ज़ोन के उद्घाटन होने के पश्चात् से पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे प्रशासन के प्रत्येक श्रेणी में अब तक कितनी नई नियुक्तियां की गई हैं, और

(ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिमजाति के कितने व्यक्तियों ने आवेदन भेजे थे और उनमें से कितनों की नियुक्ति हुई ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख). तृतीय श्रेणी

तृतीय श्रेणी

वर्ग	कुल नई नियुक्तियां	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के उम्मीदवार		अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिमजाति के नियुक्त किये गये उम्मीदवार	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित आदिमजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित आदिमजाति
क्लर्क	४८०	२६९	११८	९३	४१
टाइपिस्ट	३६	५	४	—	—
स्टेनोग्राफर	१६	२	३	—	—
असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन	१४	८	—	१	—
नर्स ग्रेड ए	२	१	१	—	१
नर्स ग्रेड बी	१	२	—	—	—

†मूल अंग्रेज़ी में

चतुर्थ श्रेणी

सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

हसन-मंगलौर रेलवे लाइन सर्वेक्षण रिपोर्ट

†४३६. **श्री सिद्धनंजप्पा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने हसन—मंगलौर रेलवे लाइन सर्वेक्षण रिपोर्ट पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) बोर्ड द्वारा रिपोर्ट की जांच की जा रही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उत्तर रेलवे का सादुलपुर—हनुमानगढ़ सेक्शन

†४३७. **श्री कर्णीसिंह जी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि उत्तर रेलवे के सादुलपुर—हनुमानगढ़ सेक्शन के लगभग सभी स्टेशनों पर पीने के पानी की सन्तोषजनक व्यवस्था न होने के कारण यात्रियों को अत्यधिक असुविधा होती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) सादुलपुर–हनुमानगढ़ सेक्शन के सभी स्टेशनों पर पीने के पानी का पर्याप्त प्रबन्ध है और यात्रियों को कोई कष्ट नहीं होने पाता है ।

इस सेक्शन के प्रत्येक स्टेशन पर एक पानी पिलाने वाला रख दिया गया है । इसके साथ ही गर्मी के मौसम में ३५ और आदमी पानी पिलाने के लिये रखे गये हैं । शेरेकान और तीबी स्टेशनों पर गहरे नलकूपों की व्यवस्था कर दी गई है और तहसील भद्रा एवं एलेनाबाद स्टेशनों पर मीठे पानी के कुएं भी मौजूद हैं । अन्य स्टेशनों पर पानी टैंकों से दिया जाता है जो प्रति दिन चलने वाली गाड़ियों के साथ जुड़े रहते हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे मन्त्रालय के संलग्न कार्यालय

४३८. **श्री क० भे० मालवीय :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे मंत्रालय के कितने संलग्न कार्यालय दिल्ली से बाहर स्थित हैं ;

(ख) ये कौन-कौन से हैं और कहां कहां स्थित हैं ; और

(ग) क्या और भी कुछ कार्यालय या सेक्शन बाहर भेजने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख). अनुसंधान खाका और मानकीकरण संगठन[1] का अनुसंधान निदेशालय[2] लखनऊ में है और यांत्रिक निदेशालय[3] चित्तरंजन में है ।

(ग) जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Research Design and Standardisation Organisation.
[2]Research Directorate.
[3]Mechanical Directorate.

सहकारी फार्म

†४३९. **श्री हेम बरुआ :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ५ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों में १९५८-५९ में प्रयोग के तौर पर सहकारी फार्म खोलने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या सिद्धान्त और मान निर्धारित किये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** कोई भी सिद्धान्त और मान निर्धारित नहीं किये गये हैं। निम्न मुख्य बातें जिनका सहकारी फार्मों को पालन करना चाहिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दी गई हैं ।

"सहकारी कृषि के आवश्यक अंग सामूहिक भूमि और संयुक्त प्रबन्ध है । विकास की इस अवस्था में उतनी पर्याप्त ढील की आवश्यकता है जिससे भूमि को सामूहिक रूप दिया जा सके और सहकारी एककों के द्वारा काम किया जाये । अनेक प्रकार के संगठन बनाने के बारे में विचार किया जा सकता है और विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न प्रकार का प्रबन्ध करने से पैदावार अधिक अच्छी हो सकेगी ।"

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

हिमाचल प्रदेश खाद्य अपमिश्रण नियम

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** मैं खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम, १९५४ की धारा २४ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १२ जुलाई, १९५८ की हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या एम०-१-१६/५५-२ में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश खाद्य अपमिश्रण नियम, १९५८ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० ७९२/२८]**

अखिल भारतीय चिकित्सा-विज्ञान संस्था नियमों में संशोधन

†**श्री करमरकर :** मैं अखिल भारतीय चिकित्सा-विज्ञान संस्था अधिनियम, १९५६ की धारा २८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत अखिल भारतीय चिकित्सा-विज्ञान संस्था नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २६ जुलाई, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६३३ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० ७९६/५८]**

सूती वस्त्र (नियंत्रण) आदेश में संशोधन

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र):** मैं, श्री काननगो की ओर से अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत सूती वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २८ जनवरी, १९५८ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १९१ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० ७९७/५८]**

---

†मूल अंग्रेजी में

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम १९५५ के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) बम्बई चावल (निर्यात नियन्त्रण) आदेश, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक १० मई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ३४४।

(दो) उड़ीसा चावल (निर्यात निषेध) आदेश, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक १० मई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ३४५।

(तीन) अन्तर्क्षेत्रीय गेहूं यातायात नियन्त्रण आदेश, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक १० मई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ३४६।

(चार) चावल (दक्षिणी क्षेत्र) यातायात नियन्त्रण आदेश, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाला १० मई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ३४७।

(पांच) गेहूं के आटे की मिलें (लाइसेंस देना और नियन्त्रण) आदेश, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक १० मई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ३४८।

(छः) पंजाब चावल (यातायात नियन्त्रण) आदेश, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक १० मई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ३४९।

(सात) अमृतसर और गुरदासपुर जिले चावल (निर्यात नियन्त्रण) आदेश, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक १० मई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ३५०।

(आठ) उत्तर प्रदेश चावल (निर्यात नियन्त्रण) आदेश, १९५७ में कुछ संशोधन करने वाला १० मई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ३५१।

(नौ) बिहार अनाज (निर्यात नियन्त्रण) आदेश, १९५७ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक १० मई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ३५२।

(दस) मध्य प्रदेश चावल (निर्यात नियन्त्रण) आदेश, १९५७ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक १० मई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ३५३।

(ग्यारह) दिल्ली चावल (निर्यात नियन्त्रण) आदेश, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक १० मई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ३५४।

(बारह) पश्चिम बंगाल चावल (यातायात नियन्त्रण) आदेश, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक १० मई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ३५५।

(तेरह) चावल (रेल से बुकिंग पर प्रतिबन्ध) आदेश, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक १० मई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ३५६।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री अ० म० थामस]

(चौदह) दक्षिणी क्षेत्र चावल (रेल से बुकिंग पर प्रतिबन्ध) आदेश, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक १० मई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ३५७ ।

(पन्द्रह) दिनांक ८ मई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ३६९ ।

(सोलह) अमृतसर और गुरदासपुर जिले चावल (निर्यात नियन्त्रण) आदेश, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक १६ मई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ३९५ ।

(सत्रह) उड़ीसा चावल (निर्यात निषेध) आदेश, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक २४ मई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ४१६ ।

(अट्ठारह) दिनांक २४ मई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ४१७ जिसमें राजस्थान चना (निर्यात निषेध) आदेश, १९५७ दिया हुआ है ।

(उन्नीस) दिनांक ७ जून, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ४६० ।

(बीस) दिनांक ७ जून, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ४६१ ।

(इक्कीस) दिनांक ४ जून, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ४६५ ।

(बाईस) दिनांक ७ जून, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ४६८ ।

(तेईस) दिनांक १२ जून, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ४८४ जिसमें चना (राजस्थान) मूल्य नियन्त्रण आदेश, १९५८ दिया हुआ है ।

(चौबीस) त्रिपुरा खाद्यान्न (यातायात) नियन्त्रण आदेश, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक १७ जून, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ४८६-क ।

(पच्चीस) दिनांक २१ जून, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ४९७ ।

(छब्बीस) चावल (दक्षिणी क्षेत्र) यातायात नियन्त्रण आदेश, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक १९ जून, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ५०९ ।

(सत्ताईस) दिनांक २५ जून, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ५२६ जिस में आन्ध्र प्रदेश, चावल (सूचना जांच और जप्ती) आदेश, १९५८ दिया हुआ है ।

(अट्ठाईस) चावल (गेहूं से बनने वाली चीजों में प्रयोग पर रोक) आदेश, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक ५ जुलाई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ५५८ ।

(उनतीस) दिनांक ३ जुलाई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ५६७ जिसमें धान (पंजाब) मूल्य नियन्त्रण आदेश, १९५८ दिया हुआ है ।

(तीस) राजस्थान चना (निर्यात पर नियन्त्रण) आदेश, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक १२ जुलाई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ५९१ ।

(इकत्तीस) चावल और धान (पश्चिम बंगाल) दूसरा मूल्य नियन्त्रण आदेश, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक ११ जुलाई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ६०५ ।

(बत्तीस) अन्तर्क्षेत्रीय गेहूं नियन्त्रण आदेश, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक १२ जुलाई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ६०९।

(तैंतीस) दिनांक १९ जुलाई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ६२५।

[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० ७९८/५८]

"विमेन इन इम्प्लायमेंट (१९०१—५६)" नामक पत्र

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : मैं, श्री आबिद अली की ओर से लेबर ब्यूरो, शिमला तथा योजना आयोग के श्रम और रोजगार डिवीजन द्वारा तैयार किये गये "विमेन इन इम्प्लायमेंट, (१९०१—१९५६)" [कितनी स्त्रियां रोजगार में हैं] नामक पत्र की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० ७९९/५८]**

लोक-लेखा समिति

सातवां प्रतिवेदन

†**श्री त्रि० ना० सिंह** : (चंदौली) : मैं विनियोग लेखे (असैनिक) १९५३-५४ तथा १९५४-५५ तथा लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक) १९५६—भाग १ के बारे में लोक-लेखा समिति का सातवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

सभा का कार्य

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : श्रीमन्, आपकी अनुमति से मैं सूचित करता हूं कि १८ अगस्त, १९५८ से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

१. शेष मदों पर विचार।

२. (क) सशस्त्र बल (आसाम तथा मनीपुर) विशेष शक्तियां विधेयक, १९५८ पर विचार तथा उसे पारित करना।

(ख) श्रमजीवी पत्रकार (मजूरी की दरों का निर्धारण) विधेयक, १९५८।

(ग) सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक, १९५८ प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में।

३. श्री ब्रजराज सिंह का चीनी निर्यात संवर्द्धन अध्यादेश को नामंजूर करने के बारे में संकल्प।

४. चीनी निर्यात संवर्द्धन विधेयक, १९५८ पर विचार तथा उसे पारित करना।

५. १९ अगस्त को अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा।

६. २० अगस्त को खाद्य स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा।

---

†मूल अंग्रेजी में

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन का समय बढ़ाया जाना

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५७ सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये नियत समय १० सितम्बर, १९५८ तक बढ़ा दिया जाये।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५७ सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये नियत सचय १० सितम्बर, १९५८ तक बढ़ा दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि ३१ मार्च, १९५५ को समाप्त होने वाले वर्ष में रेलवे के लिये कुछ सेवाओं पर व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिये उक्त सेवाओं के लिये तथा उक्त वर्ष के लिये अनुदत्त राशियों से अधिक राशियों के भारत की संचित निधि में से विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि ३१ मार्च १९५५ को समाप्त होने वाले वर्ष में रेलवे क लिये कुल सेवाओं पर व्यय की गई राशियों को पुरा करने के लिये उक्त सेवाओं के लिये तथा उक्त वर्ष के लिये अनुदत्त राशियों से अधिक राशियों के भारत की संचित निधि में से विनियोग को आधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १ से ३, अनुसूची अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १ से ३, अनुसूची अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री जगजीवन राम** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश
तथा
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—जारी

†**उपध्यक्ष महोदय** : अब सभा बनारस विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक पर चर्चा आरम्भ करेगी। श्री हरिश्चंद्र माथुर अपना भाषण जारी रखेंगे।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : मैंने देखा कि प्रतिवेदन की कतिपय बातों से कुछ माननीय सदस्य क्रुद्ध हुए किन्तु हमें इस प्रकार भावुकता में नहीं बहना।

ऐसे महान् विषय पर विचार करते समय हमारे ऊपर काफी जिम्मेदारी आती है। देशी रियासतों के बहुत से विद्यार्थी इसी विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे और उन्हें स्थान मिलता था।

मेरा छोटा भाई इसी विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग पढ़ा है और हमारी रियासत जोधपुर ने इस विश्वविद्यालय को पर्याप्त चन्दा दिया है। १९४६ में मैंने भी २ लाख रुपये का चैक इस विश्वविद्यालय को भेजा था।

खैर पहला प्रश्न यह हमारे मन में उठता है कि क्या जांच समिति नियुक्त करना जरूरी था ? जब डा० राधाकृष्णन् इस विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे तो उनकी इच्छा थी कि डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी बाद में उपकुलपति बने किन्तु गुटबन्दियों के कारण लोगों ने वह योजना असफल बना दी। पण्डित गोविन्द मालवीय यह जानते हैं। किन्तु प्रतिवेदन से दुखित हुए हैं। गोविन्द मालवीय जी खुद भी तो जांच कराने के लिये चिल्लाते थे। यहां पर षडयन्त्र होते थे और भांति भांति की सभी प्रकार की बातें होती थीं।

जब हालात इतने खराब हों तो जांच क्यों न हो। हम यदि सरकार को दोष देना चाहें तो इस कारण दें कि उन्होंने मामले को यों ही इतना लम्बा किया।

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या जांच समिति में अच्छे सदस्य थे या नहीं। इस बात का उत्तर देने की आवश्यकता ही नहीं है। न्यायाधीश महाजन जैसे स्वतन्त्र व्यक्ति इस में रखे गये थे। इसलिये मुझे खेद हुआ कि समिति के सदस्यों की इस प्रकार से आलोचना की गई। यह गलत सी बात थी।

समिति भी वैसे ही नियुक्त नहीं की गई बल्कि नियमित रूप से विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत इसकी नियुक्ति हुई है। कोई भी काम सरकार ने बिना सोचे समझे नहीं किया है।

जब इस प्रकार की समितियों के प्रतिवेदन सभा के समक्ष आये हैं तो सामान्यतया सरकार ने उन सिफारिशों को माना है। हम यह नहीं कह सकते कि हम उन सिफारिशों की कोई परवाह न करें किन्तु इसी के साथ ही मेरा यह भी आशय नहीं है कि प्रतिवेदन में कोई गलती भी नहीं है। किन्तु इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि समिति उपयुक्त थी और उन्होंने उचित कार्यवाही की है।

कई सदस्यों ने कहा कि प्रतिवेदन एक पार्श्विक है। मैं उन महाशयों से प्रार्थना करूंगा कि वे प्रतिवेदन को पढ़ें। इस जांच में सब प्रकार के लोगों से पूछताछ की गई। समिति के पास लोगों ने ज्ञापन भी भेजे। इसलिये इसे एक तरफा नहीं कहा जा सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

समिति ने सब बातों पर विचार करने के बाद कतिपय निष्कर्ष निकाले। यह निष्कर्ष कई लोगों को कटु लगे। समिति ने अपने प्रतिवेदन के अन्तिम पैरा में इस आलोचना की सम्भावना दर्शायी है :

विश्वविद्यालय में दो या तीन दल हैं। लोगों को यह डर है कि इस कार्यवाही से केवल एक ही दल का दमन होगा और कमजोर दल शक्तिशाली बन जायेगा। कहा गया है कि वर्तमान उपकुलपति के पिता वहां किसी विभाग के प्रधान हैं और उपकुलपति ने अपना गुट बना रखा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सच है ? मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वह यह आश्वासन दें कि न केवल सभी दलों को समाप्त किया जायेगा बल्कि दलबन्दी आगे पैदा भी होने नहीं दी जायेगी।

जो बुराइयां इस विश्वविद्यालय में होती हैं और जिनका पता चला है वह वैसे तो समस्त शिक्षा संस्थाओं में होती हैं। हमें इन सब के लिये कुछ न कुछ करना चाहिये।

मुझे यह बात भी पसन्द नहीं आई कि उपकुलपति छानबीन समिति से अलग रखा जाय। यह गलत बात है। जिस उपकुलपति ने विश्वविद्यालय में सब की श्रद्धा प्राप्त नहीं की उसे वहां रहने का कोई अधिकार नहीं है। कमजोर उपकुलपति को वहां रखना ही नहीं चाहिये।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) :** उपाध्यक्ष महोदय, मेरे साथी शिक्षा मंत्री ने यह विधेयक सरकार की ओर से सभा के समक्ष रखा है। मेरे बोलने की आवश्यकता तो नहीं थी किन्तु मैं समझता हूं कि मुझे इसके सम्बन्ध में दो चार बातें बतानी चाहियें।

यह जाहिर है कि इस सभा के समस्त सदस्य इस महान् विश्वविद्यालय के वर्तमान तथा भविष्य को उज्जवल बनाने के लिये आतुर हैं। यह विश्वविद्यालय वाराणसी में है——चाहे वाराणसी के कुछ ही गुण एवं अवगुण हों——यह बात तो निश्चित है कि वाराणसी भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का केन्द्र रही है। अतः यह विश्वविद्यालय भी अखिल भारतीय स्तर का ही माना जाता है। यदि इस अवसर पर थोड़ी भावुकता हम लोगों में आ जाय तो यह सहज स्वभाविक ही है। किन्तु भावुकता को बुद्धि पर छाने न देना चाहिये।

यह सर्वविदित है कि वहां के मामले पर्याप्त समय से ठीक नहीं चल रहे। हमारे देश के बहुत से सुप्रतिष्ठित महानुभाव इस विश्वविद्यालय के उपकुलपति आदि रह चुके हैं। उनके विचार हमारे पास हैं। हम लोगों को भी वहां की स्थिति का थोड़ा ज्ञान था और हम वहां की हालत पर दुखी थ। जांच की कई बार मांग हुई और पण्डित गोविन्द मालवीय जी ने भी यह मांग की थी।

वह मांगें क्यों की गई थीं ? इसीलिये कि वहां का काम ठीक प्रकार से नहीं चल रहा था। यह बार बार कहा जाता था कि वहां के गुट विश्वविद्यालय के कार्य संचालन में और उपकुलपतियों के रास्ते में रुकावटें डालते थे और मनमानी करते थे। न तो मैं और न ही सरकार इस मामले में जाने के लिये सक्षम हैं। सरकार तो एक सक्षम समिति ही नियुक्त कर सकती है। जांच करने का दूसरा तरीका तो था ही नहीं और मेरा निवेदन है कि जो समिति नियुक्त की गई थी इस कार्य के लिय उससे अच्छी समिति शायद ही बन सकती थी।

इस समिति के प्रधान डा० लक्ष्मण स्वामी मुदालियर न केवल बड़े शिक्षा विज्ञ ही हैं बल्कि जहां तक मैं जानता हूं विश्वविद्यालयों को स्वायत्त बनाये रखने के कट्टर पक्षपाती भी हैं। कई दूसरे अवसरों पर उन्होंने मुझे इस सम्बन्ध में बताया और कहा कि अमुक कार्य विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के

---

†मूल अंग्रेजी में

लिये हानिकर है । उनकी आलोचना के कारण हमें भी कई बार अपने विचार बदलने पड़े थे । अब जब इस प्रकार के विचार रखने वाले सज्जन ऐसी सिफारिश करें—जो कि एक प्रकार से स्वायत्तता में हस्तक्षेप के समान है—तो इस बात का महत्व कहीं ज्यादा बढ़ जाता है । जब मैंने यह बात सुनी तो मुझ पर तो बड़ा प्रभाव हुआ । इस समिति को सरकारी समिति नहीं कहा जा सकता । यह पूर्ण रूप से स्वतन्त्र समिति थी ।

समिति ने जांच की और उन्हों ने न केवल उन्हीं लोगों से पूछताछ की जिनका कि उन्होंने ज़िक्र किया है बल्कि दूसरों से भी, बड़े महत्वपूर्ण व्यक्तियों से भी जांच की जोकि बनारस विश्व-विद्यालय से सम्बन्धित हैं। इस जांच के पश्चात् समिति कुछेक सर्वसम्मति प्राप्त निश्चयों पर पहुंची ।

कई माननीय सदस्यों ने कहा कि समिति के सदस्य विश्वविद्यालय में गये ही नहीं । मुझे पता लगा है कि वह विश्वविद्यालय में तो नहीं रहे लेकिन बनारस में रहे । उन्होंने वहां ही जांच की और व्यक्तिगत रूप से वह विश्वविद्यालय में गये भी । मैं ने सुना है कि उन्होंने शायद जान बूझ कर ही ऐसा किया ताकि वह बाहर शान्ति से काम कर सकें और प्रदर्शन आदि उन के सामने न हों ।

अब ऐसी सक्षम तथा स्वतंत्र समिति जांच कर के किसी निष्कर्ष पर पहुंचती है और सरकार उस पर विचार करती है । यह सभा तनिक सोचे कि यदि यह सरकार उन सिफारिशों को अस्वीकार कर देने का साहस करती तो क्या नतीजे होते । क्या हम उन्हें नामंज़ूर कर देने के यह कारण बता सकते थे कि चूंकि इस में स्वायत्तता में हस्तक्षेप होता है और चूंकि समिति के सदस्य विश्वविद्यालय में जा कर नहीं रहे इसलिये हम ने प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किया है । हमारे लिये वह असंभव था । हम तनिक तबदीली कर सकते थे और वह हम ने की भी है वरना वे तो इस अध्यादेश या विधेयक से कहीं आगे चले गये हैं ।

जो कुछ हुआ इसे देखते हुए राष्ट्रपति का विजिटर होने के नाते यह कर्तव्य था कि वह जांच समिति नियुक्त करे। जब इतनी उच्चस्तरीय समिति नियुक्त कर दी गई तो सरकार के लिये यह संभव नहीं था कि वह उस की सिफारिशों को रद्द कर दे । मैं समझता हूं कि इस सभा के लिये भी इस प्रकार की कार्यवाही करना बड़ा ही कठिन है । वैसे तो यह सभा सरकार की किसी भी चीज़ को रद्द कर सकती है और यह सरकार से अधिक बुद्धिमान है । किन्तु इस समिति की जांच किसी राजनैतिक या दलबन्दी के आधार पर नहीं हुई केवल शिक्षा के आधार पर बनारस विश्वविद्यालय की भलाई के आधार पर हुई है—इसलिये ऐसी समिति की सिफारिशों को यों ही रद्द नहीं किया जा सकता ।

चलिये मान लीजिये कि प्रतिवेदन स्वतः पूर्ण नहीं है कोई चीज़ ऐसी नहीं कही जा सकती जिस में कोई कसर कहीं न हो । मैं मानता हूं कि कहीं कहीं छोटी मोटी गलतियां रह गई हैं। किन्तु उन छोटी मोटी गलतियों पर ही ज्यादा ज़ोर दिया गया है ; यह मसौदा बनाने आदि की गलतियां हैं जो सेक्रेटरी या क्लर्क की हो सकती हैं या कहिये समिति के सदस्यों की थोड़ी लापरवाही के कारण हो गई, किन्तु उन का कोई महत्व नहीं । जो बड़े तथ्य हैं वह तो ठीक हैं । मैं प्रतिवेदन के एक एक शब्द का समर्थन नहीं कर रहा किन्तु उस का जो मुख्य उद्देश्य और सिफारिश है, जो इस विधेयक में रखी गई है उस का समर्थन कर रहा हूं ।

यदि हम ऐसा न करते तो क्या होता ? बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थिति क्या होती ? इस प्रतिवेदन के छपने के बाद भी यदि हम कोई कार्यवाही न करते तो पता नहीं विश्वविद्यालय कैसे चलता और कैसे कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति वहां कुलपति या उपकुलपति बन कर रहना पसन्द करता ?

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

कई बार यदि आप गलती भी कर बैठें तो भी पीछे हटना कठिन हो जाता है--क्योंकि इतने प्रचार के बाद इतना सब कुछ होने के बाद विश्वविद्यालय को हानि ही होती । यह भी तब किया गया जब सब पहले उपकुलपतियों ने लगातार शिकायतें कीं । उस में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभापति भी थे और बहुत से अन्य तटस्थ महानुभाव भी थे और उन्होंने अपने विचार प्रकट किये । उन के विचार सरकार के विचारों से कहीं ज्यादा सख्त थे । तो मैं फिर पूछता हूं कि यदि सरकार इन सिफारिशों को अस्वीकृत कर देती तो वह कैसे अपनी उस कार्यवाही को जनता के समक्ष न्यायोचित ठहराती । हम ऐसा नहीं कर सकते थे । उसका यदि हम करते तो परिणाम यह होता कि सारे शिक्षा जगत् में, केवल बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में नहीं वरन् भारत के सारे विश्वविद्यालयों में बड़ी गड़बड़ हो जाती ।

इतना होने के बाद हमारे लिये सिफारिशों को स्वीकार करना तथा कुछ को रूपभेदों के साथ स्वीकार करना आवश्यक हो गया था । हम ने यही प्रयास अध्यादेश में किया था और इस विधेयक में किया है । समिति तो ज्यादा कड़ी कार्यवाही चाहती थी किन्तु हम ने नर्मी से काम लिया है ।

जो कुछ भी किया जा रहा है वह अस्थायी है ताकि सभा बाद में इसी विषय पर ध्यानपूर्वक विचार कर सके और फिर पुराने अधिनियम को जैसा वह चाहे संशोधित कर सके । ज्यादा से ज्यादा यह एक वर्ष तक चल सकता है । जब नया विधेयक बन जायेगा तो यह खतम हो जायेगा । यह कार्यवाही इसलिये की गई है कि विश्वविद्यालय इस बीच के समय में चलता रहे । प्रतिवेदन आने के पश्चात् यह पुराने ढंग से नहीं चल सकता था । वास्तव में समस्त वातावरण ही खराब हो चुका है । दोष तो पता नहीं किस का है । जहां तक मेरा सवाल है मैं समिति के, जिस में बड़े बड़े लोग थे, निर्णय से सहमत हूं । मैं तो यह जानता हूं कि विश्वविद्यालय में हालात ठीक नहीं रहे । यदि हम प्रतिवेदन स्वीकार न करते तो वहां काम नहीं चल सकता था । मैं नहीं कह सकता कि वहां उपकुलपतियों का मिलना कितना आसान होगा । वहां थोड़े से ही समय में अनेक उपकुलपति आये और चले गये । स्वर्गवासी पंडित अमर नाथ झा तथा आचार्य नरेन्द्र देव के इस विषय में बड़े कट्टर विचार थे, इन के अतिरिक्त जो अन्य उपकुलपति इस समय जीवित हैं उन्होंने भी अपनी रायें दी हैं । और हम किस से पूछें ?

हमारे पास इस के अतिरिक्त दूसरा चारा नहीं था । इसीलिये मैं यह कहता हूं कि यदि यह सभा इन सिफारिशों को अस्वीकृत कर दे तो विश्वविद्यालय कैसे चलेगा ? जो बातें हो गई हैं उन्हें कोई भी मिटा नहीं सकता । पिछले एक या दो महीने में, समिति द्वारा काम किये जाते समय बातें हुई हैं । यह बातें मिट नहीं सकतीं । अब उपचार यही है कि हम मामले को संभालें और अच्छे लोगों को कहें कि स्थिति को ठीक किया जाये । यही एक तरीका है ।

यह अस्थायी व्यवस्था इस कारण की गई है कि कार्यकारिणी परिषद् पर अत्युत्तम व्यक्ति लाये जायें । वे ही विश्वविद्यालय को नया जीवन दे सकेंगे । इसी बीच में सभा एक विस्तृत विधेयक पर विचार करेगी और मैं आशा करता हूं कि देश की यह महान् शिक्षा संस्था ठीक तरह से चलने लगेगी ।

जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, केन्द्र को इस पर प्रत्येक वर्ष ५५ लाख रुपये व्यय करने पड़ते हैं । यह बड़ी रकम है । वास्तव में हम यह रकम नहीं देते, इन मामलों से विश्वविद्यालय

अनुदान आयोग सम्बन्धित है । इस बारे में भी आयोग यों ही इतना रुपया देने के बारे में बड़ी कठोर राय रखता है । उन्होंने यहां तक कहा है कि यदि इस में परिवर्तन नहीं किया गया तो वह इस विश्वविद्यालय को सम्हाल नहीं सकेंगे । अब आप देखें कि क्या हालात ज्यों के त्यों रहने दिये जायें । हमें समिति की सिफारिशों के अनुसार ही आगे बढ़ना है ।

अन्तिम वक्ता ने छानबीन समिति (स्क्रीनिंग कमिटी) में उपकुलपति के रखे जाने के बारे में कुछ कहा । उन के अनुसार उस समिति में उपकुलपति का नाम इस कारण से नहीं रखा गया कि हम पर कुछ दबाव डाला गया था और शायद हम उस पर विश्वास ही नहीं करते थे । मैं इस बात को नहीं समझ सकता । हम पर दबाव पड़ने का कोई सवाल पैदा नहीं होता । वर्तमान उपकुलपति के कार्य की श्रेष्ठता में किसी को भी कोई सन्देह नहीं है । उन्हें कठिन स्थिति का सामना करना पड़ा है । मैं यह नहीं कहता कि उन में या किसी और में कहीं कोई दोष नहीं है। हरेक गलती करता है किन्तु उन्होंने कठिनाइयों का सामना साहस तथा ईमानदारी से किया है । हम उन की सफलता की कामना करते हैं । हमने यह सोचा कि ऐसी उलझनों में उन्हें समिति में रखना उन के साथ अन्याय करना होगा । वह स्वयं भी वहां होना नहीं चाहते थे । हम ने उन की बात मान ली और पेश होने वाले संशोधन विधेयक में से उन का नाम काट दिया । उन का अपमान करने का अभिप्राय किसी का भी नहीं है । हम चाहते हैं कि वह अपने कार्य में सफल हों ।

अतः मैं निवेदन करता हूं कि यह विधेयक उपयुक्त एवं उचित है और दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है ।

†**श्री ईश्वर अय्यर** (त्रिवेन्द्रम) : बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय विधेयक के बारे में काफी गरमागरमी हो रही । मैं यह मानता हूं कि इस विश्वविद्यालय के मामलों की जांच के लिये जो समिति बनाई गई थी, उस में बड़े प्रमुख और विद्वान् व्यक्ति रखे गये थे । लेकिन मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि प्रमुख विद्वान सज्जनों की रिपोर्ट होने के कारण ही हम उसे ज्यों का त्यों मान लें । हमें इस रिपोर्ट का विश्लेषण करना चाहिये ।

इस रिपोर्ट में बिना ठोस तथ्यों के ही तमाम फ़ैसले सुना दिये गये हैं । मैं उस रिपोर्ट की अच्छाई-बुराई के बारे में नहीं कहता, मैं तो उस की कुछ खास बातों को ही ले रहा हूं । प्रधान मंत्री ने बताया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस विश्वविद्यालय पर काफ़ी राशि खर्च कर रहा है । लेकिन, फिर समिति को विश्वविद्यालय के वित्तीय मामलों की भी जांच करने का काम क्यों नहीं सौंपा गया ? मैं तो समझता हूं कि यह जरूरी था ।

एक समाचार यह भी है कि १४ लाख रुपयों के मूल्य के ज़मींदारी बौंड्स ४२ रुपये प्रति बौण्ड की दर से खरीदे गये थे, जबकि बाज़ार में उन की दर ३७ रुपये प्रति बौण्ड थी । इस की जांच की जानी चाहिये थी ।

रिपोर्ट में कहा गया है विश्वविद्यालय में काफ़ी गन्दगी जमा हो गई है । यदि सचमुच ही वहां सफाई की जानी है तो फिर सभी जिम्मेदार पदों पर रहने वाले मौजूदा लोगों को वहां से हटा दिया जाना चाहिये ।

मेरी समझ में यह नहीं आता कि विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में यह अध्यादेश इतनी जल्दबाज़ी में क्यों प्रख्यापित किया गया था । पिछला सत्र ९ मई तक चला था । यदि आप ९ मई तक रुक सकते थे, तो फिर इस सत्र के शुरू होने तक क्यों नहीं रुक सके ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री ईश्वर अय्यर]

मैं तो समझता हूं कि विश्वविद्यालय की हालत में यह गड़बड़ी इसीलिये इतनी पनप सकी है कि मंत्रालय ने उस के प्रति निष्पक्षता का बरताव नहीं किया। रिपोर्ट भी विद्यार्थियों और शिक्षकों को ही उस का एक मात्र जिम्मेदार नहीं ठहराती।

समिति की रिपोर्ट में अधिक तथ्यपूर्ण सामग्री नहीं जुटाई गई है। समिति के सभी निष्कर्ष तथ्यों के आधार पर नहीं निकाले गये हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट के ३०वें पैरा में एक बड़ा गम्भीर दोषारोपण यह किया है कि कुछ विद्यार्थी और शिक्षक अनैतिक अपराध करते हैं। कुछ विद्यार्थी वेश्याओं के अड्डों पर जाते हैं, और एक प्रोफेसर पर तो अप्राकृतिक दुराचार का मुक़दमा भी दायर है। ठोस प्रमाण न होने पर ऐसे दोषारोपण नहीं करने चाहियें। ऐसा कीचड़ उछालने से कोई लाभ नहीं।

समिति के सदस्यों ने केवल ऊपरी निगाह से सतह पर दिखने वाली चीजों को ही रिपोर्ट का आधार बना लिया है। हम कह सकते हैं कि यह रिपोर्ट हमें स्वीकार्य नहीं है। हमें विश्वविद्यालय के मामलों की एक निष्पक्ष जांच करानी चाहिये, क्योंकि केन्द्रीय सरकार पर उस की प्रशासकीय व्यवस्था का दायित्व है। इस निष्पक्ष जांच के लिये प्रवर समिति वहां जा सकती है।

अब अध्यादेश को विधेयक के रूप में पेश किया है और उसे प्रवर समिति को सौंपा जा रहा है। इस मामले में एक संयुक्त समिति गठित की जानी चाहिये, जिस में राज्य-सभा के सदस्य भी हों। समय की कमी की दलील इस में कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि हम इस के लिये इतने दिन तक तो रुक ही लिये हैं। इस तरह का कोई भी विधान बनाने से पहले, हमें विश्वविद्यालय की हालत को तो पहले अच्छी तरह से समझ लेना चाहिये। इस तीन खण्डों के विधेयक से काम नहीं चलेगा। १६१५ में पारित किये गये, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम में ही बिलकुल नये सिरे से कुछ तब्दीलियां करने की ज़रूरत है। उस पूरे अधिनियम का बारीकी से विश्लेषण किया जाना चाहिये। तभी हम उस में समयानुकूल परिवर्तन कर सकेंगे।

प्रवर समिति इस विधेयक पर ही तो विचार कर सकेगी। लेकिन इस विधेयक से विश्व-विद्यालय की हालत में कोई सुधार नहीं होगा, बल्कि हालत और भी बिगड़ जायेगी।

फिर, प्रवर समिति को इस के अध्ययन के लिये पर्याप्त समय भी नहीं दिया गया है। हमें इस पर शान्ति से विचार करना चाहिये, तभी कोई उचित व्यवस्था की जा सकेगी। इस पर संयुक्त समिति को ही विचार करना चाहिये और उसे छैः महीने इस के अध्ययन के लिये दिये जाने चाहियें। हमें अभी इस विश्वविद्यालय की पूरी स्थिति भी तो मालूम नहीं है।

आज सब से अधिक शोचनीय बात तो यह हो रही है कि विश्वविद्यालयों के प्रबन्धकगण और शिक्षक भी तमाम तरह की राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं और वे अपने अलग-अलग हितों के लिये विद्यार्थियों को उकसाते रहते हैं। मैं यह नहीं कहता कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिये। हां, लेकिन प्रबन्धकों और शिक्षकों को इस का अधिकार नहीं है। इस की रोकथाम की जानी चाहिये।

यह एक ऐसा विधेयक है जिस में एक विश्वविद्यालय के मामलों के बारे में व्यवस्था की जा रही है, इसलिये हमें इसे दलगत राजनीति से दूर रखना चाहिये।

बस अब एक बात और रह गई है। अध्यादेश के बाद, उपकुलपति ने एक परिपत्र जारी किया था। परिपत्र में कहा गया है कि दाखिले के वक्त उन विद्यार्थियों को दाखिल न किया जाये जो "विध्वसक कार्यवाहियों" में भाग लेते रहे हों। लेकिन "विध्वसक कार्यवाहियों" की परिभाषा क्या है ? इस के मनमाने अर्थ लगाये जा सकते हैं। इस ढंग से विश्वविद्यालय की दशा में सुधार नहीं किया जा सकता।

†**श्रीमती सुचेता कृपलानी** (नई दिल्ली) : मैं इस समिति की सदस्या थी और मैं ने इस रिपोर्ट को तैयार करने में हाथ बटाया है। मैं इस पर बोलना नहीं चाहती थी। लेकिन यहां एक अफ़वाह उड़ाई गई है कि मैं इस रिपोर्ट से सहमत नहीं हूं। इसीलिये मुझे कुछ कहना पड़ रहा है। मैं इस पूरी रिपोर्ट को और इस मामले में सरकारी कार्यवाही को सही मानती हूं।

इस रिपोर्ट की जिस ढंग से आलोचना की गई है उस से मुझे बहुंत दुःख पहुंचा है। सरकार के सामने भी कोई और चारा नहीं रह गया था।

अभी मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि यह रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण है। हमें किसी भी दल से क्या वास्ता था ? ऐसे लांछन नहीं लगाये जाने चाहियें।

मुझे बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से बड़ा लगाव है। मैं वहां पढ़ा चुकी हूं। उन दिनों पंडित मदन मोहन मालवीय उस के उपकुलपति थे। उन की प्रेरणा से, उन दिनों यह विश्वविद्यालय पढ़ाई, खेल-कूद, इत्यादि सभी क्षेत्रों में इस का बड़ा नाम था। मालवीय जी ने विश्वविद्यालय को विद्यार्थियों के समूचे जीवन को एक आदर्श देने के लिये ही स्थापित किया था। इसीलिये उन दिनों यह नियम था कि विश्वविद्यालय में छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी ही दाखिल किये जाते थे, जिस से उन में नैतिकता के अंकुर जमाये जा सकें। इसीलिये, शिक्षा का मानदण्ड भी काफी ऊंचा रखा गया था। हम चाहते हैं कि यह विश्वविद्यालय फिर उसी दर्जे तक पहुंच जाये।

श्री ही० ना० मुकर्जी ने एक बड़ी आश्चर्यपूर्ण बात कही है कि अब हर विश्वविद्यालय की ऐसी ही हालत है, इतनी ही गिरी हुई जितनी कि बनारस विश्वविद्यालय की। मैं इसे नहीं मानती और अगर यह सही है तो देश का बड़ा दुर्भाग्य है और हमें अपने हृदय टटोल कर देखना चाहिये।

इस समिति को केवल बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के कुछ खास मामलों का काम सौंपा गया था। हम ने वही किया है। इसलिये यह दलील ठीक नहीं है कि सभी विश्वविद्यालयों में इतनी गिरी हुई हालत थी, तो फिर सिफ बनारस विश्वविद्यालय को ही क्यों जांच के लिये चुना गया। और किसी भी विश्वविद्यालय में डा० राधाकृष्णन्, डा० अमरनाथ झा और आचार्य नरेन्द्र देव जैसे लोग उपकुलपति नहीं रहे हैं। पंडित गोविन्द मालवीय भी उस के उपकुलपति रहे हैं। लेकिन उन सभी को विश्वविद्यालय छोड़ना पड़ा था।

पंडित गोविन्द मालवीय (सुल्तानपुर) : "छोड़ना पड़ा"—यह बात ग़लत है।

†**श्रीमती सुचेता कृपलानी** : यदि यह बात ग़लत हो तो हम अपनी ग़लती सुधारने को तैयार हैं। लेकिन हम ने इस पूरे मामले की जांच की है। पंडित गोविन्द मालवीय ने कहा था कि यह रिपोर्ट गम्भीरता से नहीं लिखी गई है। मैं तो कहती हूं कि यह रिपोर्ट बड़े भारी दिल से लिखी गई है। हम ऐसी चीज़ें लिखना पसन्द नहीं करते थे। ऐसी राष्ट्रीय संस्था के बारे में हम ऐसी शर्मनाक बातें नहीं लिखना चाहते थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सुचेता कृपलानी]

जांच के ढंग के बारे में तो यहां तक कहा गया है कि हम बनारस गये ही नहीं थे। हम पांच दिन तक बनारस में रहे थे। हम ने स्वयं अपनी आंखों से सभी चीज़ों को देखा है। हम ने दोनों समूहों के प्रोफेसरों और विद्यार्थियों से बातें की हैं। हम विश्वविद्यालय के प्रशासकों से भी मिले थे। हम ने विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उपकुलपतियों से भी बातें की थीं। पंडित गोविन्द मालवीय हम से मिलना ही नहीं चाहते थे। हम ने सभी को उन की बातें कहने का अवसर दिया। बहुत से लोगों ने चुपके से आ कर भी कई बातें हमें बताई थीं। हम ने वहां गवाहों से जिरह भी की थी। हम ने जो भी देखा-सुना उस से हमें गहरी पीड़ा हुई।

बनारस के कलैक्टर ने हमारे सामने बहुत से तथ्य रखे थे। मैं तो कहती हूं कि सरकार उस सारी सामग्री को सभा के सामने रख दे। उसे देख कर सभी का सिर नीचा हो जायेगा।

एक सज्जन ने पैरा ३० का जिक्र किया था। हमें खुद भी उस से बड़ी पीड़ा पहुंची थी। हमारे सिर शर्म से झुक गये थे। हम सोच भी नहीं सकते थे कि विद्यार्थियों और प्रोफेसरों का जीवन इतना गिरा हुआ भी हो सकता है। लोग इस का सबूत मांगते हैं कि वे वेश्यालयों में जाते हैं। इस का क्या सबूत हो सकता है ? हां, मैं इतना कह सकती हूं कि जब समिति के सामने विद्यार्थियों द्वारा ये घृणित कहानियां सुनाई जा रही थीं, तो मुझे उठ आने की अनुमति मांगनी पड़ी थी।

यह भी कहा गया है कि हम ने गलत तथ्य रखे हैं। आप स्वयं जा कर उन मुकदमों को सुन सकते हैं जो कचहरियों में अनैतिक दुराचार के मामलों में चल रहे हैं।

हमारे सरकारी अधिकारियों पर भी इस का कुछ उत्तरदायित्व है। श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने कहा है कि सरकार को यही कार्यवाही आज से बहुत पहले करनी चाहिये थी। हमें विश्वविद्यालय म एक ऐसे प्रोफेसर भी मिले थे जिन्होंने अपने पुत्र की बारात ले जाने के लिये विद्यार्थियों के रियायती रेलवे पास जाली बनाये थे। विश्वविद्यालय की नैतिक भावना बहुत ही गयी-बीती हो गई है और इस के लिये हम सभी जिम्मेदार हैं। सरकार ने उन महान् प्रोफेसर को विद्या भूषण या पद्म भूषण की उपाधि भी दी थी। सरकार को यह उपाधियां देने से पहले थोड़ी जांच कर लेनी चाहिये।

एक और मामला हमारे सामने आया था। एक विभाग के प्रधान ने अपने पुत्र को एक ऐसे सैद्धान्तिक निबन्ध पर सौ में से सौ नम्बर दिलवा दिये जिसे उस विभाग के सभी प्रोफेसरों ने मिल कर लिखा था।

एक प्रोफेसर ने समिति के सामने स्वीकार किया कि उन्होंने हाजिरी कम होने के कारण कुछ विद्यार्थियों को परीक्षा में नहीं बैठने दिया था। उन्होंने साथ ही यह भी कबूला कि तीन महीने तक उन्होंने कोई हाजिरी रजिस्टर ही नहीं रखा था।

मैं अपने माननीय आलोचकों को याद दिलाना चाहती हूं कि समिति के एक सदस्य श्री एम० सी० महाजन, उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधिपति, भी थे। समिति की ओर से सारी जिरह उन्हों ने ही की थी। हमें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्हों ने सभी से बड़े ढंग से सचाई कबुलवा ली थी। हमारे लिये यह सारा काम बहुत ही पीड़ाजनक था, क्योंकि हम सभी चाहते थे कि इस राष्ट्रीय संस्था के नाम पर कोई धब्बा न लगे।

हर साल विश्वविद्यालय में दाखिले के वक्त हड़तालों, भूख-हड़तालों, गुण्डागर्दी, खिड़कियों के शीशे और मेज कुर्सियां तोड़ने, इत्यादि के दृश्य सामने आते हैं। क्यों ? इसलिये कुछ बड़े प्रोफसर

और कुछ विभागों के प्रधान यह सोचते हैं कि आर्ट्स कालेज में तो जितने चाहे दाखिले किये जा सकते हैं, उस की कोई सीमा ही नहीं रखनी चाहिये ।

इसलिये आर्ट्स कालेज में कुछ विद्यार्थी बरामदों तक में बैठते हैं ।

कुछ विद्यार्थी भी इसी की हिमायत करते हैं । क्यों ? इसलिये कि मालवीय जी ने कहा था कि विद्या मन्दिर का दरवाजा सब के लिये खुला रहना चाहिये । लेकिन मैं तो कहती हूं कि विद्या के मन्दिर का दरवाजा अगर इस इस तरह से खुला रक्खा गया तो वह मन्दिर नहीं रह जायेगा बल्कि वह एक अस्पताल हो जायेगा और आज वह एक अस्पताल सा बनने लगा है । क्लास रूमों में विद्यार्थियों के बैठने की जगह ही नहीं रहती कोई उन की परवाह ही नहीं करता । वे गन्दी से गन्दी जगहों पर रहा करते हैं । अब विद्यार्थी, पहले की तरह, खेल-कूद में दिलचस्पी ही नहीं लेते ।

ऐसे वातावरण में शिक्षा नहीं हो सकती । समस्या सचमुच बड़ी टेढ़ी है ।

हमें बनारस विश्वविद्यालय का अखिल भारतीय रूप बनाये रखना चाहिये । वहां पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों से बहुत भारी तादाद में विद्यार्थी आते हैं । यह इसलिये कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कालेजों की संख्या पर्याप्त नहीं है । वहां उत्तर प्रदेश सरकार को और ज्यादा कालेज खोलने चाहिये । विश्वविद्यालय में तो वही विद्यार्थी भर्ती किये जाने चाहियें जो पढ़ाई-लिखाई में एक मानदण्ड विशेष रखते हों । तभी वास्तविक शिक्षा दी जा सकती है । केन्द्रीय सरकार पूर्वी उत्तर प्रदेश में नये कालेज खोलने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को रुपये-पैसे दे सकती है । मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है ।

दूसरी एक इस से भी बड़ी समस्या हमारे सामने यह आई : क्या सभी विद्यार्थियों को आर्ट्स में स्नातक बना कर बाद में बेकारी का शिकार बनने देना ठीक है ? वहां अन्य टेकनिकल पाठ्यक्रम भी शुरू किये जाने चाहियें ।

हमारी आलोचना इसलिये भी की गई है कि हम ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का अखिल भारतीय रूप बनाये रखने की बात कही है । मालवीय जी स्वयं इसे इसी रूप में देखते थे । इस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय सरकार से १९४२ में तीन लाख और उत्तर प्रदेश सरकार से एक लाख रुपये मिले थे । १९५६-५७ में इसे केन्द्रीय सरकार से ५१½ लाख और उत्तर प्रदेश सरकार से दो लाख रुपये मिले थे ।

†**पंडित गोविन्द मालवीय** : अन्य विश्वविद्यालयों को भी इसी प्रकार मिलता है ।

†**श्रीमती सुचेता कृपलानी** : जो भी हो । जब केन्द्रीय सरकार इतनी अधिक राशि इस पर व्यय करती है, तो इस का अखिल भारतीय रूप ही रहना चाहिये । हमें इसे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ही बनाना चाहिये ।

मेरी मंशा पूर्वी उत्तर प्रदेश वालों को कोई चोट पहुंचाना नहीं है । मैं खुद अपने-आप को 'उत्तर प्रदेश वाला' मानती हूं ।

यहां मैं यह बात भी स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि इस रिपोर्ट के इस प्रकार लिखने में उपकुलपति का कोई भी हाथ नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती सुचेता कृपलानी]

मैं स्वयं विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता की हामी हूं। समिति के सभी सदस्य इसी पक्ष में हैं। लेकिन जब किसी विश्वविद्यालय की हालत इतनी गिर गई हो तो कोई सख्त कार्यवाही करनी ही पड़ेगी। जवाहरलाल जी ने यह स्पष्ट कहा है कि यह एक अस्थायी चीज़ ही है। यह सब सिर्फ़ इसीलिये किया गया है कि यह विश्वविद्यालय ठीक से चलने लगे।

पता नहीं माननीय सदस्यों ने विश्वविद्यालय के इस गोलमाल की जांच पर इतनी नाराजी क्यों जाहिर की है। सभी सदस्यों को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

†**पंडित गोविन्द मालवीय** : मैं माननीय सदस्या से दो-एक तथ्यों के बारे में कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं।

(१) उन्हों ने कहा है कि एक प्रोफेसर ने किसी विद्यार्थी का सैद्धान्तिक निबन्ध लिखा था। किस वर्ष में ? क्या उस के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई थी ? क्या यह घटना १५-२० वर्ष पहले की नहीं है ?

(२) क्या छात्रावासों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती नहीं रही है ? यदि वह घटी है, तो कब से घटना शुरू हुई है ?

(३) क्या दाखिले के समय होने वाला ऐसा हंगामा सिर्फ पिछले दो वर्षों से ही नहीं हो रहा है ? और क्या इस हंगामे का कारण यही नहीं था कि विद्यार्थियों का दाखिला बहुत सीमित कर दिया गया था ?

मैं इन के बारे में सूचना चाहता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि सम्भव हुआ तो माननीय मंत्री अपने उत्तर में इन के सम्बन्ध में सूचना दे देंगे।

†**श्री यादव** (बाराबंकी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल कितना विवादग्रस्त है यह तो इस सदन के माननीय सदस्यों के रुख से ही पता चल जाता है। विश्वविद्यालय के अन्दर हस्तक्षेप करने की श्री चिन्तामणि को तो चिन्ता करनी ही पड़ी साथ ही हमारे श्रीमाली जी को भी चिन्ता करनी पड़ी। उसी का असर हुआ है यूनिवर्सिटी पर, सारे देश में और इस सदन के माननीय सदस्यों पर भी, और अन्ततोगत्वा प्रधान मंत्री को भी बीच में पड़ना पड़ा और प्रधान मंत्री जी ने कहा है, जैसा कि अभी माननीया श्रीमती सुचेता कृपलानी जी ने फरमाया है, कि हम में से कोई भी यूनिवर्सिटी की अटानमी (स्वायत्तता) के विरुद्ध नहीं है, प्रधान मंत्री भी उस के विरुद्ध नहीं हैं, और यह कानून तो सिर्फ थोड़े समय के लिये बनाया जा रहा है बाद में शायद कोई इस से बढ़िया कानून आयेगा।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

श्रीमन्, मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री महोदय से और इस माननीय सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई नई बात नहीं है। हमारे माननीय कांग्रेसी नेताओं और सरकार के दो जबानें हैं। एक जबान से तो गांधी जी की सत्य, अहिंसा जनतन्त्र की पुकार लगायी जाती है और दूसरी जबान से अंधेरे अंधेरे अपने कार्यों से और कायदे और कानून से जनतन्त्र और प्राविंशियल अटानमी को मिटाने की कोशिश की जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

आज यह बिल हमारे सामने प्रस्तुत है। इस पर जितने भी माननीय सदस्य बोले हैं उन में से कोई भी विश्वविद्यालय की अटानमी के विरुद्ध नहीं हैं, हमारे प्रधान मंत्री भी उस की अटानमी के विरुद्ध नहीं हैं। लेकिन आज बड़ी तेजी के साथ बनारस विश्वविद्यालय के अन्दर हस्तक्षेप किया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय में अब तक पूरी स्वतन्त्रता रही है शिक्षा दीक्षा के मामले में, जिस को अंग्रेजी सरकार भी खत्म नहीं कर सकी। लेकिन आज यह कार्य मौजूद सरकार के हाथों हो रहा है जो अपने को जन-प्रिय सरकार कहती है और यह कार्य बड़े ढंग से और बड़े कायदे के साथ सम्पन्न हो रहा है।

श्रीमन्, हम इस विधेयक को देखें और जो अध्यादेश जारी किया गया है उस पर नजर करें, तो क्या देखते हैं ? राष्ट्रपति महोदय ने एक कमेटी का निर्माण किया। मैं इस में कोई शंका नहीं करना चाहता और न मैं माननीय राष्ट्रपति के इस अधिकार को गलत बताना चाहता हूं कि उन्हें यह अधिकार नहीं था। उन को यह अधिकार था। लेकिन, श्रीमान्, जो बनारस विश्वविद्यालय का कानून था उस के अन्तर्गत धारा ५ उपधारा ४ के मुताबिक चाहिये था कि यूनीवर्सिटी को भी इस बात की नोटिस दी गई होती। परन्तु न जाने वे कौन से कारण थे कि जिन की वजह से वाइसचांसलर महोदय ने यूनीवर्सिटी को इस तरह की कोई इत्तला देने की कोई कोशिश नहीं की। कमेटी की रिपोर्ट भी तैयार हुई। उस की भी यूनिवर्सिटी को इत्तला नहीं हुई। माननीय सदस्यों ने जिन्हों ने इस के पक्ष में भाषण दिये हैं उन्होंने कहा है कि इस कमेटी के सदस्य बहुत योग्य विद्वान और बड़े लोग थे। सदन में बोलने वाले किसी भी सदस्य ने यह नहीं कहा है कि वे योग्य व्यक्ति नहीं थे या इस काम को ठीक से नहीं कर सकते थे। किसी ने भी उन की योग्यता में शंका नहीं की है। परन्तु एक बात जरूरी थी कि जहां इस कमेटी में ये सुयोग्य लोग रहने जरूरी थे वहां यह भी आवश्यक था, क्योंकि ईस्टर्न यू० पी० और बिहार के ऊपर लांछन लगाये गये हैं कि वहां आस पास का कोई अच्छी योग्यता वाला व्यक्ति जिस को कि यूनीवर्सिटी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो, वह भी इस कमेटी में रखा जाता। और ऐसे व्यक्ति इसी माननीय सदन के सदस्य माननीय श्री गोबिन्द मालवीय थे। उन को आसानी से उस कमेटी में रखा जा सकता था। परन्तु हुआ यह कि उन को तो कमेटी में नहीं रखा गया। कमेटी ने उन को लिखा कि अगर तुम चाहो तो आकर कमेटी से इटरव्यू ले सकते हो। वे बेचारे बीमार थे और इस कारण नहीं जा सके। उस के बाद कमेटी ने कोई प्रयत्न नहीं किया कि जाकर उन से जानकारी हासिल करती इस से क्या पता चलता है। इस से पता चलता है कि इस के पीछे कुछ हेतु रहा होगा। कोई भी व्यक्ति चाहे उस को यूनीवर्सिटी के अन्दरूनी मामलों की जरा भी जानकारी न हो, इस रिपोर्ट को पढ़ के अनुभव करेगा कि यह किसी विशेष उद्देश्य को लेकर लिखी गयी है। जहां देखिये सारी रिपोर्ट के अन्दर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का जिक्र है। इस के अतिरिक्त उस में कुछ मालूम नहीं होता। इधर उधर कुछ स्टुडेंट्स के इनडिसिपलिन (अनुशासनहीनता) के बारे में जिक्र है और कहा गया है कि विश्वविद्यालय में सब गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है। और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और बिहार के लोगों के कारण यह गड़बड़ है। बस इस के अतिरिक्त इस कमेटी की रिपोर्ट में कुछ नहीं है। न तो विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति का जिक्र है कि उस के फाइनेन्सेज का सदुपयोग होता था या दुरुपयोग होता था, विद्यार्थियों के ऊपर कितना खर्चा किया जा रहा है आदि या कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर कुछ चीजों का दुरुपयोग किया जा रहा है या यह कि उस के अन्दर किस तरह से गड़बड़ चल रही है। इस के अन्दर इन चीजों का कोई जिक्र नहीं है। इस कमेटी के बारे में कुछ गलती है। इस को जो टर्म्ज़ आफ रेफरेंस दिये गये कि इन इन बातों की जानकारी प्राप्त की जाये वे गलत हैं। लेकिन कमेटी न एक कदम और आगे बढ़ाया है और अपने काम को केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक ही सीमित रखा है और दूसरी बातों की तरफ उस कमेटी ने ध्यान नहीं दिया। मैं चाहता हूं कि इस ओर माननीय सदस्यों का ध्यान जाये।

[श्री यादव]

कमेटी ने यह जिक्र किया कि जितने भी वाइसचांसलर आज तक यहां हुए उन में से किसी को ठीक से काम करने का मौका न मिला। मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय मंत्री महोदय और स्वयं प्रधान मंत्री महोदय के कानों में तो यह चीज आयी लेकिन सर्व साधारण के कानों में सारे हिन्दुस्तान के लोगों के कानों में और शिक्षा जगत में लोगों के कानों में यह चीज नहीं पड़ी कि यहां पर वाइसचांसलरों को ठीक से काम नहीं करने दिया गया और एक से एक सुयोग्य वाइसचांसलर को मजबूर हो कर वहां से काम छोड़ कर जाना पड़ा। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के बाद हमारे डा० राधाकृष्णन वहां के वाइसचांसलर नियुक्त हुए, उन्हों ने कई वर्ष वहां काम किया। और जब वह आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी केविजिटिंग प्रोफेसर बना दिये गये तो वह छोड़ कर गये। इस के बाद श्री अमर नाथ झा को वहां वाइसचांसलर नियुक्त किया गया। वह उत्तर प्रदेश के पबलिक सरविस कमीशन के चेयरमैन थे और उन को उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और आज के केन्द्र के गृह मंत्री, श्री गोबिन्द वल्लभ पन्त जी ने कहा कि एक साल के लिये चले जाओ। वह एक साल के लिये गये और उस समय के बाद वह वापस चले गये। न तो किसी को काम करने के अयोग्य ठहाराया गया और न किसी को गड़बड़ के कारण मजबूर हो कर हटना पड़ा। उस के बाद आचार्य नरेन्द्र देव जी वाइसचांसलर हुए। खेद है कि वे आज हमारे बीच नहीं है। दुःख तो यह है कि आज न नरेन्द्र देव जी और न श्री अमरनाथ झा हमारे बीच मौजूद हैं। सरकार चाहे जिस तरह से उन के बारे में किसी बात को कह कर अपने हक में इस्तैमाल कर ले। आचार्य नरेन्द्र देव जी की तो तन्दुरुस्ती खराब रहती थी और वे कोई बड़ा काम करने के लिये तैयार नहीं थे। लेकिन यूनीवर्सिटी को एक सुयोग्य आदमी की आवश्यकता थी इस लिये वह वाइसचांसलर बनने के लिये राजी हो गये। तन्दुरुस्ती तो उन की खराब थी ही। साथ ही उस वक्त कुछ राजनीतिक परिस्थिति ऐसी हुई कि वे प्रजासमाजवादी पार्टी के चेयरमैन बना दिये गये। जब यह परिस्थिति पैदा हुई तो वे मजबूर हो गये और उन्हों ने अपनी तन्दुरुस्ती के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वे इस कारण नहीं गये कि उन को अपना काम करने में कठिनाई पैदा हो रही थी। माननीय सदस्यों को मालूम है कि उस के ६ महीने बाद ही खराब तन्दुरुस्ती के कारण आचार्य नरेन्द्र देव जी हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन आज इस कमेटी में इन चीजों को नहीं रखा जा रहा है बल्कि उस की असली हालत को बतलाने के बजाये विश्वविद्यालय को काले रंग से रंगने का प्रयत्न किया जा रहा है, उस विश्वविद्यालय को जिस ने हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में काफी हिस्सा लिया था और जिस का आज उसे गर्व है।

मैं यह मान सकता हूं कि वहां पर कुछ गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन उस के लिये यह तो नहीं होना चाहिये कि एक आर्डिनेन्स जारी कर दिया जाये, एक शाही फरमान जारी कर दिया जाये। और उस के द्वारा वहां के वाइसचांसलरों को एक जनरल बना दिया जाये उस विश्वविद्यालय का। मुझे तो यह देख कर अफसोस होता है और अगर यही हालत रही तो मैं समझता हूं कि शायद यह भी नौबत आ जाये कि बनारस विश्वविद्यालय के वाइसचांसलर को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के अधिकार देने पड़ें कि वह चाहे जिस विद्यार्थी या प्रोफेसर को सजा दे कर साल, दो साल के लिये जेल में डाल सके। यह कार्य शिक्षा संस्थाओं में वह सरकार कर रही है जो सत्य और अहिंसा की पुकार लगाते नहीं थकती और आज बनारस विश्वविद्यालय के मामलों में इस तरह इंटरफियर कर के उस की अटानमी को नष्ट करना चाहती है।

आर्डिनेन्स में क्या है? आर्डिनेन्स में तीन चीजें हैं। एक तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में तबदीली और दूसरी जो मौजूदा कोर्ट है उस की संख्या को घटाना और संख्या घटाने के साथ साथ उस को एक एडवाइजरी बाडी का रूप देना और जो ऐकेडेमिक कांउसिल है उस को तबदील करना। मैं पूछना चाहता

हूं कि ऐसी कौन सी वजह पैदा हो गई है जिस की वजह से आज यह तबदीली करने की जरूरत हुई है खास कर जब कि आज ऐग्जीक्यूटिव कांउसिल में ज्यादातर लोग वाइसचांसलर के मत के हैं और वे नामिनेटिड हैं। फिर भी क्या जरूरत पड़ गई इतनी जल्दी कि इस तरह का कार्य किया जाये।

इस सिलसिले में मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट म कुछ गलत तथ्य रखे हैं। एक स्थान पर उस ने कहा है कि वहां के २३ लोगों पर मुकदमे चल रहे हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि १५ लोग ऐसे हैं, जिन पर कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। केवल आठ लोग ऐसे हैं, जिन पर कोई मुकदमे वगैरह चल रहे हैं। लेकिन इस के बावजूद इस माननीय सदन के सामने इस जिम्मेदार हाउस के सामने इस तरह की रिपोर्ट पेश की जाती है।

जहां तक यूनिवर्सिटी के अध्यापकों का सम्बन्ध है, सारी यूनिवर्सिटी में कुल ५७५ अध्यापक हैं, जिन में से ३६४ अध्यापक उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं, १२२ अध्यापक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं और केवल ८९ अध्यापक पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं। इस आर्डिनेन्स के लागू होने से पहले ऐग्जेक्टिव कौंसिल के २२ सदस्यों में से केवल ३ ईस्टर्न यू०पी० के थे और बाकी बाहर के थे। जहां तक प्रिंसिपल्ज का सम्बन्ध है, १४ प्रिंसिपल्ज में से केवल दो पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं। इन तथ्यों के बावजूद इस प्रकार की गलत बात प्रस्तुत कर के यह कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के अन्दर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का आधिपत्य है और वे लोग चाहते हैं कि उन का आधिपत्य बना रहे और वे लोग काम नहीं करने देना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि अगर वहां पर कोई गड़बड़ करना चाहता है, तो वह गड़बड़ यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन की तरफ से, शिक्षा मंत्रालय की ओर से और भारत सरकार की ओर से हो रही है।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमन्। वाइस-चांसलरशिप के लिये यूनिवर्सिटी की तरफ से तीन व्यक्तियों के नाम भेजे गये। मैं यह जानना चाहता हू कि शिक्षा मंत्रालय को क्या पड़ी थी कि वह कोई नाम सजेस्ट करता। श्रीमान्, जरा आप सर सी० पी० रामास्वामी की स्पीच को देखें।

मैं उद्धरण देता हूं :

> "विजिटर को पत्र लिखने के तुरन्त पश्चात् मैं ने भारत के राष्ट्रपति से जो विश्वविद्यालय के विजिटर भी हैं, तथा शिक्षा मंत्रालय से बातचीत की और मैं सभा को बताना चाहता हू कि मंत्रालय ने डा० वी० एस० झा का नाम उप-कुलपति पद के लिये सुझाया था। मैं उन से पहले कभी नहीं मिला था इसलिये मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानता था मैं अब केवल इतना कह सकता हूं कि शिक्षा मंत्रालय से संबधित व्यक्ति उन से बड़े प्रभावित जान पड़ते थे और इसीलिये उन्हों ने उन को ही इस पद के लिये उपयुक्त समझा।"

उन तीन व्यक्तियों में से एक को ११ वोट मिले, दूसरे को १० वोट मिले और तीसरे को ७ वोट मिले और झा साहब को केवल ६ वोट मिले। शिक्षा मंत्रालय तो पहले से ही उन में इंट्रेस्टिड था। इसलिये उस ने उन को यूनिवर्सिटी के ऊपर थोप दिया। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में जो भी परेशानी पैदा हुई है, वह श्री वी० एस० झा के कारण पैदा हुई है,। इतना ही नहीं, आर्डिनेन्स जारी करने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने उन को स्क्रीनिंग कमेटी का मेम्बर भी बना दिया। शिक्षा मंत्रालय को उन पर पहले से ही बरदस्त था। अब उन को स्क्रीनिंग कमेटी का मेम्बर बना कर उन के हाथ में एक और हथियार दे दिया गया। हमारे यहां एक कहावत है—एक तो

[श्री यादव]

बाघ, दूसरे बन्दूक बांधे । उन को शिक्षा मंत्रालय का समर्थन पहले से ही प्राप्त था, उन को स्क्रीनिंग कमेटी की मेम्बरशिप और दे दी गई । झा साहब को सब से कम वोट मिले थे । कुछ लोगों ने उन की मुखालफत की । उन लोगों को दबाने के लिये उनको अधिकार दिये गये । एक दो मामले तो शायद पहले भी थे । बाद में झा साहब के द्वारा आठ लैक्चरार्ज के खिलाफ जांच कमेटी बिठाई गई । अगर मैं उन के नाम दूं तो अच्छा ही होगा :––

१. डा० गोपाल त्रिपाठी, प्रिंसिपल, प्रोद्यौगिक कालिज, अध्यापक संस्था के सभापति,

२. डा० दया स्वरूप, प्रिंसिपल खान तथा धातु विज्ञान कालिज,

३. डा० रामदेव मिश्र, वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रधान,

४. डा० वीरेन्द्र कुमार, प्राध्यापक आयुर्वेद कालिज,

५. डा० वी० एस० दुबे, भूतत्व शास्त्र के विश्वविद्यालय में अवैतनिक प्रोफैसर,

६. प्रोफैसर राधे श्याम शर्मा, प्रोद्योगिकीय कालिज,

७. श्री गौरी शंकर तिवारी, प्रोद्योगिकीय कालिज,

८. डा० जगदीश शर्मा, पुस्तकालाध्यक्ष, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय"

अभी माननीय सदस्या श्रीमती सुचेता कृपलानी कह रही थीं कि यूनिवर्सिटी में बड़ी गड़बड़ है, लेकिन साथ ही उन्हों ने यह भी कहा कि हर जगह इनडिसिप्लिन है । पहले दिन श्री हीरेन मुकर्जी ने भी कहा था कि इस तरह की इनडिसिप्लिन तो सब जगह है। अगर भारत सरकार सारे हिन्दुस्तान के लिये यह जांच करवाने के लिये एक कमेटी बिठाती कि आखिर इस गड़बड़ और इन-डिसिप्लिन का कारण क्या है, आज छात्रों और युवकों में अनुशासनहीनता क्यों बढ़ रही है, तो यह बात समझ में आ सकती थी । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जितनी गड़बड़ हो रही है, उस का कारण पढ़े-लिखे लोगों की बेकारी है । आज वे लोग बेकार हैं । आज स्थिति यह है कि जब कोई छात्र बी० ए० पास करता है, तो उस को कोई काम नहीं मिलता है । इसलिये वह एम० ए० में प्रवेश प्राप्त कर लेता है, चाहे वह थर्ड डिवीजनर ही क्यों न हो । इसी प्रकार एम० ए० के बाद लोग पी० एच० डी० करने लग जाते हैं । वे किसी न किसी प्रकार अपने आप को व्यस्त रखना चाहते हैं । श्रीमती सुचेता कृपलानी ने कहा कि थर्ड डिवीजनर भी आ कर वहां घुसना चाहते हैं और दाखला करवाना चाहते हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तर्क के विषय में क्या कहा जाय । उन का तर्क ठीक ही है । अब वह इस तरफ तो बैठती नहीं हैं, इसलिये उन के तर्क को बुरा तो कहा नहीं जा सकता है । तो फिर उन के विषय में क्या किया जाय ? श्रीमती सुचेता कृपालानी ने कहा कि उन लोगों को कैसे लिया जाय । मैं कहता हूं कि उन के लिये कालिजिज़ खोले जायें और कालिजज़ नहीं खोले जा सकते हैं तो फिर सरकार उन के लिये काम की व्यवस्था क्यों नहीं करती । आज वे लोग बेकार घूम रहे हैं, जो कि हमारे सामने बड़ी बिकट समस्या है ।

श्रीमती सुचेता कृपलानी ने बड़े बड़े लोगों के नाम लिये । उन्हों ने कहा कि वहां के कमिश्नर ने बताया कि वहां पर बड़ी इनडिसिप्लिन है । ये वही कमिश्नर और कलेक्टर हैं, जिन के रवैये में आज कोई भी तबदली नहीं हुई है––जैसे वे लोग अंग्रेज के जमाने में थे, वैसे ही आज भी हैं–– और जिन्हें कुछ दिन पूर्व हमारे विरोध में बैठने वाले लोग बहुत हिकारत की नजर से देखते थे । लेकिन आज उन्हीं लोगों की शहादत पेश की जाती है । हमें तो ऐसा लगता है कि अब इस प्रकार की कमेटी में भविष्य में कपतान, दारोगा, और कांस्टेबिल वगैरह की गवाहियां ली जायेंगी कि बनारस

यूनिवर्सिटी में गड़बड़ है या नहीं और फिर यूनिवर्सिटी में एक साम्राज्यवाद स्थापित कर दिया जायेगा और वाइस-चांसलर बादशाह बना दिया जायेगा । उसे पूरा अधिकार दिया जायेगा कि उस के मुख से जो निकले, वही कानून हो और उसे वहां नाफिज कर दिया जाये ।

जहां तक इस विधेयक का सवाल है, यह बहुत महत्वपूर्ण है । सरकार की भी इस में गलती है । कमेटी की रिपोर्ट अप्रैल में तैयार हुई थी । उस समय यह सदन बैठ रहा था और तब यह विधेयक पास किया जा सकता था । लेकिन सरकार को कोई फिक्र नहीं थी । वह तो अल्टीरियर मोटिव से कुछ और ही करना चाहती थी । सरकार सोचती है कि वह पैसा देती है, इसलिये वह जिस तरह यूनिवर्सिटी को चलाना चाहे, चलाये । मैं यह बताना चाहता हूं कि वह पैसा किसी व्यक्ति का नहीं है । वह पैसा न तो शिक्षा मंत्री का है, और न श्री सी० डी० देशमुख का है । वह पैसा सारे देश का है--वह जनता का पैसा है । वह खजाना श्री मोरारजी देसाई या प्रधान मंत्री का नहीं है और न ही वह चिन्तामणि देशमुख का है, जिन को आज कल बनारस यूनिवर्सिटी की बड़ी चिन्ता है । अगर उस से कोई बड़ी मुहब्बत है, तो फिर वाइस चांसलर को क्यों नहीं हटाया जाता है, जिन के खिलाफ लोगों की बड़ी उग्र धारणा है । मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं । यह विधेयक बहुत इम्पार्टेन्ट है और सारे हिन्दुस्तान के लिये महत्व का है । मैं यह निवेदन करना चाहता हू कि इस सारे मामले को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिये कि पहले तो आर्डिनेन्स जारी कर दिया और अब एक सिलेक्ट कमेटी बिठा दी है, जिस को कहा जाता है कि वह २२ तारीख तक रिपोर्ट दे दे और फिर यह विधेयक यहां पास हो जाये । अध्यक्ष महोदय ने कमेटी की सदस्यता के सम्बन्ध में पहले एक व्यवस्था दी थी कि उस कमेटी में वही लोग हो सकते हैं, जो कि विधेयक की स्पिरिट और उस की मन्शा की कद्र करते हों । अगर उस बात को मान लिया जाये, तो बड़ी खतरनाक हालत होगी । उस में पहले श्री गोबिन्द मालवीय का नाम था और वह वहां रहना भी चाहते थे, लेकिन फिर शिक्षा मंत्री की ओर से उन के स्थान पर श्री बाजपेयी का नाम रख दिया गया । आखिर क्या मतलब है इस का ? २२ तारीख तक कुछ नहीं होगा उस कमेटी में तो सरकार के अपने मनचाहे लोग होंगे और वहां से विधेयक सदन के सामने आ जायेगा । मैं कहना चाहता हूं कि इस विषय में न केवल इस माननीय सदन के सदस्यों और राज्य-सभा के सदस्यों बल्कि सारे भारत वर्ष के योग्य और अनुभवी लोगों की राय ली जानी चाहिये और जनता का मत मालूम करना चाहिये। सारे भारतवर्ष के लोग, पढ़े लिखे लोग जो कि एमिनट स्कालर तो नहीं बने बल्कि जो थोड़ी बहुत दिलचस्पी इस बारे में रखते हैं तथा जो थोड़ी बहुत जान-कारी इस बारे में रखते हैं, उन को भी इस पर विचार करने का तथा अपनी राय जाहिर करने का मौका दिया जाये । इस हेतु मैं ने एक संशोधन भी उपस्थित किया है कि इस विधेयक को जनता की राय जानने के लिये प्रसारित किया जाए और उसके बाद इसको ज्वायंट सिलैक्ट कमेटी के सुपर्द किया जा सकता है । मैं चाहता हूं कि सरकार इस मामले में जल्दबाजी से काम न ले । सरकार कहती है कि यह टैम्पोरेरी मेजर है, अस्थायी मेजर है । जब ऐसी बात है तो मैं समझता हूं कि अस्थायी व्यवस्था लाने के लिये कोई बुरा रास्ता न अखत्यार किया जाये और जब यह रास्ता अखित्यार किया जाता है तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती है । अगर यह अच्छा रास्ता होता, ठीक रास्ता होता तो हम अवश्य ही इस को स्पोर्ट करते । लेकिन हम समझते हैं कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं और अगर आप थोड़े दिन और ठहर लें तो कोई पहाड़ टूटने वाला नहीं है । लखनऊ में इस से भी कहीं ज्यादा गड़बड़ी है विद्यार्थियों की वजह से नहीं बल्कि आप की ही वजह से वह गड़बड़ी है । और भी संस्थायें हो सकती हैं । जहां पर गड़बड़ी फैली हुई हो । पता नहीं आप बनारस विश्वविद्यालय में ही इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं ।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार इस विधेयक को सारे देश की राज जानने के लिये प्रसारित करे । इस में कोई हरज की बात नहीं है बल्कि इस से लाभ ही होगा ।

†श्री त्रि० ना० सिंह (चन्दौली) : मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री अपने भाषण में पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रश्न का भी उत्तर दें। वह इस सम्बन्ध में भी अपने विचार स्पष्ट करें कि निर्धन लोगों के बच्चे इस के लिये उत्तर दायी हैं अथवा धनिकों के उत्तरदायी हैं ?

श्री भगवति राम (जौनपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय, मैं भी एक प्रश्न करना चाहता हूं। कांस्टीट्यूशन ने गारन्टी की है कि हरिजनों तथा देश के दूसरे बैकवर्ड क्लासिज के उत्थान के लिये खास तौर पर कदम उठाये जायें। और उस के लिये स्पेशल प्राविजन भी रखा गया है। बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी ने देश के गरीब लोगों को एडमिशन देने के लिये भी स्पेशल प्राविजन बना रखा था। क्या हमारे शिक्षा मंत्री महोदय की यह मंशा है तथा सरकार की यह मंशा है कि देश के गरीब लोगों को तथा पिछड़े वर्गों को शिक्षा से वंचित रखा जाय या वह गरीब तबकों तथा पिछड़े वर्गों का भी उद्धार करना चाहती है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : मैं सभा का अधिक समय लेना नहीं चाहता हूं क्योंकि मैं समझता हूं प्रधान मंत्री इस सम्बन्ध में सरकार की स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। मैं वाद-विवाद के बीच उठाये गये कुछ प्रश्नों का उत्तर ही दूंगा। मैं ने माननीय सदस्यों के तर्कों को बड़ी सावधानी से सुना है और मैं बताना चाहता हूं कि कुछ तर्कों तथा आलोचनाओं से तो मैं स्तब्ध रह गया। मैं तो आशा कर रहा था कि जो विधेयक प्रस्तुत किया गया उस पर सभी बड़ी उदारता से विचार करेंगें क्योंकि इस का सम्बन्ध हमारे सब से भयानक विश्वविद्यालयों में से एक विश्वविद्यालय से है और हम प्रयत्न कर रहे हैं कि जिस स्थितियों में से वह विश्वविद्यालय इस समय गुजर रहा है उन को ठीक किया जाये ।

श्री त्रि० ना० सिंह ने पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रश्न उठाया जो कि उठाया जाना नहीं चाहिये था। प्रतिवेदन में जो सब से महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि कुछ विशेष वर्ग विश्वविद्यालय में अधिक काल तक रहे। मैं समझता हूं कि इस ओर हमें ध्यान नहीं देना चाहिये कि वह किस क्षेत्र के वासी थे। प्रयत्न किया जाना चाहिये था कि इस प्रकार की बात समिति में नहीं उठायी जाती। मुझे बताया गया कि उन क्षेत्रों में ऐसी विचारधारा है इसलिये ऐसा कहा गया।

इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में तो हमें यही विचार करना चाहिये था कि इस विश्वविद्यालय की क्या समस्यायें हैं। क्या प्रशासन के सम्बन्ध में कोई कठिनाई है श्री हो० ना० मुकर्जी ने बताया कि सरकार को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये थी। परन्तु यदि विश्वविद्यालय में हुई हड़तालों के आंकड़े मैं उन्हें बताऊं तो संभवतया वह सरकार के कार्य का समर्थन करने लगेंगे।

१९५७ में तीन हड़तालें हुईं। एक मार्च १९५७ में प्रौद्योगिकीय कालिज में हड़ताल हुई, दूसरी मार्च--अप्रैल, १९५७ में आयुर्वेद कालिज में हड़ताल हुई, तथा तीसरी जुलाई १९५७ में विश्व-विद्यालय में दाखिले के सम्बन्ध में हड़ताल हुई। हड़तालों के कारण बताने के लिये मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा। प्रौद्योगिकीय कालिज की हड़ताल के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय कार्यपालिका समिति ने इसकी जांच की और श्री जी० के० शिन्डे मध्य प्रदेश उच्चन्यायालय के निवृत्ति-प्राप्त न्याया-धीश को जांच के लिये नियुक्त किया। वह जांच कर रहे हैं। जैसा कि प्रतिवेदन में लिखा है कि यदि वह बातें सच निकलीं तो यह बात बड़ी ही खेद जनक होगी और इस से शिक्षा संस्थायें बहुत बदनाम हो जायेंगी ।

आयुर्वेद कालिज में हड़ताल इसलिये हुई थी क्योंकि विद्यार्थियों ने एक विशेष व्यक्ति को अपना प्रिंसिपल बनाना चाहा था विद्यार्थियों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहियें। क्या उन का यह काम है

---

†मूल अंग्रजी में

कि इस का निर्णय किया कि उन का प्रिंसिपल, कुलपति कौन हो । वह व्यक्ति हृदय तथा छाती का सर्वोत्तम सर्जन कहा जाता है और हिमाचल प्रदेश प्रशासन से उस की विमुक्ति के लिये बहुत दिनों से बातचीत होती रही । मुझे बताया गया कि आयुर्वेद कालिज के विद्यार्थियों ने आजकल भी हड़ताल की हुई है । और इस हड़ताल का कारण है कि वह मांग कर रहे हैं कि कालिज के प्रिंसिपल को हटा दिया जाये ।

मुझे एक पैम्फलेट मिला है जो विश्वविद्यालय में परिचालित किया गया । उस में लिखा है कि 'कालिज की कहानी बड़ी दर्दनाक है । अध्यापकों को लकड़ी की गुड़िया बताया गया जो प्रशासन चलाने में असफल हैं परन्तु दिखती बड़ी भयानक है । कर्मचारियों में रोज झगड़े होते हैं । नौकरों तथा कार्यालय के कर्मचारियों में लड़ाइयां होती हैं । इसलिये हम विद्यार्थियों ने असन्तोष दूर करने के लिये यही ठीक समझा कि ऐसे व्यक्ति को निकाल दिया जाये जो इन सब बातों के लिये जिम्मेदार है ।' इस प्रकार के पैम्फ्लेट छाप कर परिचालित हो जायें यह हमारे लिये बड़ी शर्म की बात है ।

जुलाई १९५७ में हड़ताल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इस निर्णय के कारण हुआ था कि विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के दाखिले छांट कर लिये जाने चाहियें । इस के विरोध में हड़ताल की गई १९५६ में विश्वविद्यालय विद्यार्थी संघ के उद्घाटन के पश्चात् छुट्टी के कारण हड़ताल हुई । बैठक में यह बताया गया कि छुट्टी नहीं है परन्तु ऐसा कहा जाता है कि घर जा कर विद्यार्थियों को प्रिंसिपल ने हड़ताल के लिये भड़काया और हड़ताल हो गई । ऐसी बातें सरकार के लिये बड़ी खेदजनक हैं । जुलाई १९५६ तथा जुलाई १९५७ में दाखिले के कारण हड़ताल हुई और सरकार को आशंका थी कि कहीं जुलाई १९५८ में भी हड़ताल न हो जाये इसलिये अध्यादेश जारी करना पड़ा क्योंकि हम अपने विश्वविद्यालयों को बरबाद करना नहीं चाहते हैं ।

मेरे मित्र प्रोफैसर मुकर्जी ने कहा कि यदि शिक्षा के सम्बन्ध में कोई आपत्ति आ गई तो वह हमारा साथ देने को तैयार हैं । मैं यही जानना चाहता हूं कि क्या अध्यापकों द्वारा कराई गई हड़ताल, विश्वविद्यालय में दाखिला न दिये जाने पर भूख हड़ताल तथा विद्यार्थियों द्वारा प्रिंसिपल का नाम सुझाना आदि क्या ऐसे काम नहीं हैं जिन पर गंभीरता से विचार किया जाये ।

मुझे इस का बड़ा खेद है कि प्रोफैसर मुकर्जी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभापति की आलोचना की । उन्हों ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभापति ने जल्दबाजी में विश्वविद्यालय का दौरा किया । हम सभी जानते हैं कि श्री देशमुख अपने काम में कितने दक्ष हैं । उन्होंने विश्वविद्यालयों के सुधार के लिये अपने को पूर्णतया लगा दिया है और हमें इस का गर्व होना चाहिये कि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभापति हैं । श्री देशमुख को बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की हालत देख कर बड़ा दुःख हुआ था और उन्हों ने प्रतिवेदन देख कर कहा था कि मुदालियर समिति द्वारा की गई सिफारिशों से वह पूरी तरह सहमत हैं ।

हम ने भूतपूर्व उपकुलपतियों से पूछा और उन्हों ने हमें बताया कि विश्वविद्यालय अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है क्योंकि विश्वविद्यालय में आपसी झगड़े बहुत हैं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभापति ने हमें बताया कि विश्वविद्यालय में कुछ गड़बड़ है जिस को ठीक किया जाना चाहिये । हम ने उच्चाधिकारयुक्त समिति नियुक्त की जिन्हों ने बताया कि विश्वविद्यालय पर संकट आ गया है और उस को समाप्त करने के लिये शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिये । जिन व्यक्तियों के चरित्र की जांच की जा रही है उन के द्वारा वितरित कुछ पैम्फलेट मेरे पास हैं ।

प्रोफैसर मुकर्जी ने यह भी कहा कि दिल्लीवासी उस विश्वविद्यालय के प्रति कुछ उदासीन हैं । में बताना चाहता हूं कि हम उस संस्था का बड़ा मान करते हैं । तथा हमारी यह इच्छा है कि वह हमारे राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में एक आदर्श विश्वविद्यालय बन जाये ।

[डा० का० ला० श्रीमाली]

मुझे श्री गोबिन्द मालवीय, जो इस विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उपकुलपति हैं से यह सुन कर कि यदि यह विधेयक पारित किया गया तो समस्त संस्था भड़क जायेगी और सरकार की कोई भी शक्ति इस को फिर ठीक नहीं कर पायेगी, बड़ा खेद हुआ।

क्या एक भूतपूर्व उपकुलपति को ऐसे शब्द कहने चाहियें। क्या वह जानते हैं कि उन के इस कथन का विश्वविद्यालय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मुझे खेद है कि उन्हों ने उपकुलपति के पद के सम्बन्ध में महात्मा गांधी का उद्धरण दिया। हमारी आदत हो गई है कि हम महात्मा गांधी के उद्धरण तो देते हैं परन्तु उन का परामर्श स्वीकार नहीं करते हैं। मैं भी महात्मा गांधी के एक पत्र का उद्धरण देता हूं। उन्हों ने श्रीरामपुर से डा० राधाकृष्णन् को एक पत्र लिखा था जो तेन्डुलेकर की पुस्तक के ग्रन्थ सात पृष्ठ ३४४ में दिया है। उस में पंडित गोबिन्द मालवीय के विश्वविद्यालय की राजनीति में घुसने के सम्बन्ध में लिखा है कि "ओमप्रकाश ने आपका पत्र मुझे कल दिया। आप के निर्णय पर मैं आपको बधाई देता हूं। मैं आप से यही आशा करता था। जब तक आप की वहां पर आवश्यकता होगी तब तक यह भार आप पर ही रहेगा। मुझे कभी भी आशा नहीं थी कि कोई भी भाई विश्वविद्यालय में कोई भाग लेगा और वहां पर सहायक उपकुलपति (प्रोवाइस चांसलर) का पद ग्रहण करेगा। उन को तो सेवक बनना चाहिये। संभवतया आप ने हरिजन में मेरे लेख को नहीं पढ़ा है।

डा० श्यामा प्रसाद एक आदर्श पुरुष हैं। मैं तो यही चाहता हूं कि जितने सुन्दर प्रशासक तथा विद्वान वह हैं, वह उतने ही गंभीर महासभा के सदस्य होते। आप मेरा यह पत्र उन्हें दिखा सकते हैं।"

गांधी जी ने यह परामर्ष दिया था उन का यह परामर्श यदि मान लिया गया होता तो जो कुछ वहां पर अब हो रहा है वह सब नहीं होता। यह सब बातें बताते हुए मुझे बड़ा दुःख होता है। क्योंकि वह मेरे भाई के समान हैं। परन्तु कर्तव्य तो पूरा करना ही है।

सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमन हैं कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की हालत बड़ी असन्तोषजनक है बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि हम जानते हैं कि विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है। परन्तु किसी ने भी सरकार के कार्य की आ लोचना करने के अतिरिक्त कोई सुन्दर सुझाव नहीं दिया है। इस सभा में कितनी ही बार सरकार की आलोचना की गई है कि हम स्तर नहीं सुधार रहे हैं। परन्तु जब सरकार कोई कार्यवाही करती है तो भी माननीय सदस्य सरकार की आलोचना करते हैं।

मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय एक राष्ट्रीय विश्व-विद्यालय है। देश का सामाजिक सुधार करने के लिये विश्वविद्यालय ही उपयुक्त है। यदि विश्वविद्यालय में कोई गड़बड़ है तो सरकार का कर्तव्य है कि हस्तक्षेप करे और विश्वविद्यालय को ठीक करें मैं विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का आदर करता हूं परन्तु स्वायत्तता की भी कोई सीमा है स्वतन्त्रता का दुरुपयोग बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में किया जा रहा है। मेरी यह ही इच्छा है कि यथासंभव शीघ्र विश्वविद्यालय में शांति बनाई जाये जिस से सत्य तथा ज्ञानवृद्धि सारायत होने लगे जिस से मैं पुनरीक्षित विधेयक सभा में शीघ्र प्रस्तुत कर सकूं। आपतकाल के कारण सरकार को यह कदम उठाना पड़ा।

श्री ब्रज राज सिंह (फिरोजाबाद) : मेरे प्रस्ताव पर जो बहस हुई है उसके लिय मैं सदन का बहुत आभारी हूं। लेकिन मुझ दुःख है कि सरकरा की तरफ से उन बातों का कोई उत्तर नहीं दिया गया है जो मैं ने इस आर्डिनेंस के प्रख्यापित किये जाने के सम्बंध में उठाई थीं।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इसके साथ ही साथ बहुत सी एसी बातें भी कही गई हैं जिन का कहा जाना ठीक भी मालूम नहीं पड़ता था ।

प्रधान मंत्री जी ने कह दिया है कि इस यूनिवर्स्टी को करीब ५५ लाख रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से मिलता है जब कि सन् १९४२–४३ में तीन लाख के करीब ही मिला था । लेकिन वह यह बतलाना भूल गये कि इस ५५ लाख या ५१ लाख में से कितना रुपया टैक्ननिकल शिक्षा के लिय तथा उसके नाम पर दिया जा रहा है और कितना दूसरी टाइप की एजुकेशन के नाम पर दिया जा रहा है । हिन्दुस्तान भर में दूसरी भी कई इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्हें सैंटर की तरफ से टैक्नीकल तथा दूसरी शिक्षा के लिय काफी रुपया दिया जा रहा है । इसलिय बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय को जो रुपया टैक्नीकल शिक्षा के विकास के लिये दिया जाता है उसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि केन्द्रीय सरकार वह रुपया केवल इसी विश्वविद्यालय को दे रही है तथा दूसरे विश्वविद्यालयों को नहीं दे रहीं है तथा जितना रुपया दे रही है उसके बल पर उसे कोई विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं ।

इसके साथ ही साथ एक और बात मैं बतलाना चाहता हूं । इस इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में जो टेबल दिया गया है उसमें बतलाया गया है कि १९४२–४३ में जहां पर खर्चा २६ लाख के करीब था वहां १९५६–५७ में वह दो करोड़ से भी ऊपर चला गया है । आप १९४२–४३ में केवल तीन लाख ही दे रहे थे और अब करीब ५१ लाख दिया जा रहा है जिसका मतलब यह हुआ कि आप १७ गुना ज्यादा दे रहे हैं । लेकिन अगर आप खर्चे को देखें तो वह भी करीब ८ गुना बढ़ा है । अब देखना यह है कि यह जो खर्चा बढ़ा है यह किस तरह बढ़ा है और इतना रुपया आया कहां से है । यह रुपया दूसरे सोर्सिस से विश्वविद्यालय को मिला है । आप टैक्निकल शिक्षा के नाम पर जो रुपया देते हैं उससे आपको यह अधिकार नहीं मिल जाता है कि आप यूनिवर्स्टी की स्वतंत्रता के मामले में, कोई दखल दें, उसकी स्वतंत्रता का अपहरण करें । अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आपके लिये उचित बात नहीं है ।

यहां पर यह भी कहा गया है कि सरकार के जो लोग हैं वे यूनिवर्स्टियों की आटोनोमी के बड़े भारी समर्थक हैं । लेकिन आटोनीमी के समर्थक होते हुए भी आप यह कदम इसलिय उठा रहे हैं कि इस तरह की स्थिति पैदा हो गई थी कि जिस में आम तौर से उसका प्रबन्ध ठीक ढंग से नहीं चल सकता था । मैं आपसे सवाल पूछता हूं । आपने, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने कहा है कि केवल तीन स्ट्राइक्स हुई थीं जिन में से एक हंगर स्ट्राइक थी और इस हंगर स्ट्राइक की बात कह कर उन्होंने कह दिया कि इस यूनिवर्स्टी की आटोनोमी का, इसकी स्वतंत्रता का अपहरण करने की आवश्यकता थी । क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि कितनी बार दूसरी जगहों पर हंगर स्ट्राइक्स हुई हैं और कितनी बार लाठी चार्ज किया गया है और कितनी बार गोलियां चलाई गई हैं । किन्तु हजारों लोग गोली से मारे गये क्या इस लिये इस सरकार का जो चुना हुआ कैरेक्टर है, यह मंत्रि-मंडल है, यह सदन है, इस का परित्याग कर देना चाहिये ? इस लिय मैं कहूंगा कि उन दलीलों का जो मैं ने दी थीं, सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया ।

मैं आखिर में एक बात पूछना चाहता हूं । आप इस आर्डिनेंस से तीन बातें करते हैं । एक तो आप स्क्रीनिंग कमेटी बनाते हैं, स्क्रीनिंग कमेटी के बारे में डा० श्रीमाली और प्रधान मंत्री दोनों ने कहा है कि उस में वाइस चासंलर नहीं रहेंग । वाइस चांसलर न भी असमर्थता प्रकट की है । पता नहीं उन्होंने असमर्थता कैसे प्रकट की जब कि पहले उन्होंने मंजूर कर लिया था । इस आर्डिनेंस के बनते ही असमर्थता प्रकट कर दी । स्क्रीनिंग कमेटी में कुल तीन मेम्बर रहेंगे । अब उस में इस तरह से केवल

[श्री ब्रज राज सिंह]

दो मम्बर रहेंगे जो कि काम नहीं कर सकेंगे। इस तरह से आर्डिनेंस ने जो तीन काम किये हैं, उन में से एक तो यों खत्म हो जाता है क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी वाली चीज तो बैकार हो गई वाइस चांसलर के न रहन से।

दूसरी चीज आप कोर्ट को सलाहकार परिषद् बनाते हैं। कोर्ट साल में एक बार बैठता है, दो बार नहीं बैठता। छः महीने बाद तक जो कोर्ट बना है उस की भी बैठक का सवाल नहीं है। इसलिये दूसरा काम भी जो आप इस आर्डिनेंस के जरिये से करना चाहते हैं। वह इतना आवश्यक नहीं कि उसे आर्डिनेंस के जरिये से किया जाये।

तीसरा काम जो आर्डिनेंस के जरिये किया गया है वह यह है कि २१ के बजाये ९ आदमी एग्जिक्यूटिव कौंसिल बनायेंगे। २१ मम्बरों की जो एग्जिक्यूटिव कौंसिल थी उस में नामिनेटेड मेम्बर १५ हुआ करते थे। नई एग्जिक्यूटिव कौंसिल में सिर्फ ९ नामिनेटेड मेम्बर होंगे। नये नामिनेटेड मेम्बर्स की लिस्ट देखने से पता चलेगा कि पहले १५ नामिनेटड आदमियों में से कई एसे हैं जो कि अब जो नई एग्जिक्यूटिव कौंसिल होगी उस में भी नामिनेट होंगे।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ इन तीन कामों के लिये आर्डिनेंस बनाने की कोई आवश्यकता नहीं हो सकती है। एक स्क्रनिंग कमेटी की, दूसरे एडवाइजरी बाडी की क्योंकि वह साल में मिलेगी ही नहीं, तीसरे एग्जिक्यूटिव कौंसिल के मेम्बर भी करीब करीब वही हैं जो पहले नामिनेट किये जाते थे। एसी अवस्था में आप यह आर्डिनेंस क्यों लाना चाहते हैं ?

प्रधान मंत्री और डा० श्रीमाली दोनों ने यह आश्वासन दिवा है कि यह बिल जो आज सरकार रख रही है आर्डिनेंस के बजाये वह सिर्फ अस्थायी तरीके का है, स्थायी तरीक का नहीं है और छः महीने, आठ महीने या साल भर के अन्दर सरकार ऐसा बिल लायेगी जो अच्छा होगा और जिस में हर तरह के परिवर्तन किये जा सकेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि इस कानून के अनुसार जब स्क्रीनिंग कमेटी काम नहीं कर सकेगी, जब कोर्ट का कोई काम होगा नहीं, जब एग्जिक्यूटिव कौंसिल में आप के वही पुराने नामिनटड मम्बर होंगे और उन से आप को कोई परेशानी नहीं पैदा होती है तो इस के लिये आप आर्डिनेंस क्यों रखना चाहते हैं और अपने ऊपर दोषारोपण कराना चाहते हैं कि आप ने युनिवर्सिटी की अटानमी का अपहरण किया है, उस की स्वतंत्रता का अपहरण किया है। मैं निवेदन करूंगा कि इस अन्तिम स्टेज पर भी सरकार को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल नहीं आने देना चाहिये। जिस तरह से स्क्रीनिंग कमेटी की अपनी गलती को मंजूर किया है उसी तरह से इस को भी मंजूर करे कि आर्डिनेंस प्रख्यापित करने की बात गलत थी। महात्मा गांधी के शिष्य होने के नाते आप को यह गलती मंजूर करनी चाहिये और कहना चाहिये कि हम इस गलती को मान लेते हैं और आर्डिनेंस को वापस लेते हैं, और जल्दी से जल्दी हम इस बात की कोशिश करेंगे कि एक अच्छा बिल बनाया जाय और यह टम्परैरी बिल जो है इस में भी १५ दिन या महीने में संशोधन कर के ठीक किया जाये ताकि उस से कार्रवाई चल सके। मेरा कहना है कि आर्डिनेंस के जरिये से जो शासन प्रबन्ध चलाने आप जा रहे हैं उस से आप के नाम पर धब्बा आता है, इस से आप की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती है। इस से मुल्क के अन्दर यह भावना फैलती है कि आप कानून का आदर करना भूल गये हैं। आप इस आर्डिनेंस को वापस लीजिये। साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि पहले तो आप ने जब सदन की मेज पर रिपोर्ट को रक्खा तो रिपोर्ट आने की तारीख अप्रैल में बताई। मंत्री महोदय ने कहा था कि अप्रैल में रिपोर्ट मिली है, अब कहते हैं कि

मई में मिली । लेकिन चूंकि यह कहा गया था कि १४ अप्रैल को मिली थी इसलिये डा० श्रीमाली ने कहा कि वह इस को चेकअप कर के बतायेंगे कि कब मिली । लेकिन वह बात अभी बताई नहीं गई है ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं ने अब देख लिया है कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९५८ को लागू करने की परिस्थितियां बताने वाले विवरण, जो सभा पटल पर रखा गया, की पहली कंडिका की अन्तिम पंक्ति में तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८ के उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण की पहली कंडिका की अन्तिम पंक्ति में (अप्रैल) शब्द गलती से रख दिया गया है । इसके स्थान पर मई शब्द होना चाहिये ।

मैं सभा से इसके लिये क्षमा प्रार्थी हूं । आवश्यक शुद्धिपत्र कार्यालय द्वारा निकाला जा रहा है ।

श्री ब्रज राज सिंह : किस तारीख को वह मिली, मैं यह जानना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : वही तारीख रही, बस अप्रैल की जगह मई पढ़ा जाये ।

श्री ब्रज राज सिंह : इन सूरतों में जो कि मैं ने सदन के सामने रखा इस आर्डिनेंस को रखने की कोई जरूरत नहीं थी, न रखा जाना चाहिये था । इसलिये मैं कहूंगा कि आर्डिनेंस को वापस लिया जाये । इसमें सरकार की प्रतिष्ठा का सवाल न लाया जाये । हां, यूनिवर्सिटी का कार्य जिस तरह से चल रहा है अगर उसमें सुधार करने की आवश्यकता हो तो उसमें सुधार किया जाये । इस सदन में कुछ इस तरह की बातें कही गई हैं कि वहां पर गुटबन्दी है इसलिये ऐसा किया जा रहा है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें गुट के सम्बन्धित होने का सवाल नहीं है । शिक्षा संस्थाओं में जो लोग गुटों से सम्बन्धित हों, उनको जिन तरीकों से भी सरकार ठीक समझे ठीक करें और उनमें गुटबन्दी को खत्म किया जाना चाहिये । लेकिन एक गुट को खत्म करने के लिये दूसरों को बढ़ावा दिया जाये यह शिक्षा के लिये अच्छा नहीं होगा ।

अन्त में, मेरा सदन से यही निवेदन होगा कि वह मेरे इस प्रस्ताव को पास करे और आर्डिनेंस को नामंजूर करे ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं सब से पहले श्री ब्रज राज सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर श्री गोविन्द मालवीय के संशोधन को मतदान के लिये रखता हूं ।

†**पंडित गोविन्द मालवीय** : मैं उस पर आग्रह नहीं करता ।

संशोधन, सभा की अनुमति से वापस लिया गया

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मूल संकल्प मतदान के लिये रखा गया

सभा में विभाजन हुआ—पक्ष में २८ विपक्ष में ११३ ।

संकल्प अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं विधेयक को प्रवर समिति को भेजने के प्रस्ताव को लेता हूं । क्या पंडित गोविन्द मालवीय अपने संशोधन पर आग्रह करते हैं ।

†**पंडित गोविन्द मालवीय** : जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा विधेयक को परिचालित करने के सम्बन्ध में श्री यादव का संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री वाजपेयी प्रवर समिति के सदस्य थे इसलिये उनका संशोधन नियम बाह्य है । अब मैं प्रस्ताव को मतदान क लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को सरदार हुक्म सिंह, श्री बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला, श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा, श्रीमती जयाबेन वजूभाई शाह, श्री राधाचरण शर्मा, श्री नरसिंहन्, श्री गोविन्द राज्लू नायडू, श्री नेसवी, श्री हीरालाल शास्त्री, श्री त्रि० ना० सिंह, श्री सिंह सन सिंह. पंडित गोविन्द मालवीय, पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय, श्री बीरबल सिंह, पडित कृ० च० शर्मा, श्री नरदेव स्नातक, श्री महावीर त्यागी, श्री रंगा, श्री न० रं० घाष, श्री निवारण चन्द्र लास्कर, श्री संगण्णा, श्री प्रकाश-वीर शास्त्री, श्री प्रभात कार, श्री नागी रेड्डी, श्री ब्रज राज सिंह, श्री मोहम्मद इमाम, श्री जयपाल सिंह, श्री फ्रेंक एन्थनी, श्री सुरेन्द्र महन्ती, श्री खाडिलकर, श्री दासप्पा, श्री खुशवन्त राय और श्री अ० कु० सेन की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये और इसे २२ अगस्त, १९५८ तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब सभा में गैर-सरकारी कार्य होगा ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

तेइसवां प्रतिवेदन

†**सरदार अ० सि० सहगल** (जंजगार) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के तेइसवें प्रतिवेदन से, जो १४ अगस्त, १९५८ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के तेइसवें प्रतिवेदन से, जो १४ अगस्त, १९५८ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कुछ उद्योगों में मजदूरनियों की कमी के बारे में संकल्प

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा में अब श्री रेणु चक्रवर्ती द्वारा ९ मई, १९५८ को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर और आगे चर्चा होगी ।

> "इस सभा की यह राय है कि कोयला, पटसन, वस्त्र तथा अन्य उद्योगों में मजदूरनियों की संख्या में शीघ्रता से होने वाली कमी की जांच करने के लिये, इसके कारणों का पता लगाने के लिये और इसके लिये प्रतिकारात्मक उपाय सुझाने के हेतु लोक सभा के सदस्यों की एक समिति बनाई जाये ।"

इस संकल्प पर चर्चा के लिये आवंटित दो घंटों में से ३६ मिनट लिये जा चुके हैं तथा एक घंटा २४ मिनट शेष हैं ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन (मुकन्दपुरम्)** : मैं संकल्प का समर्थन करते हुए यह बता रहा था कि आज उद्योगों में ऐसी भावना फैल रही है कि औरतों को नौकर न रखा जाये क्योंकि सरकार ने प्रसूति लाभ अधिनियम आदि कई विधान उनके लाभार्थ बना दिये हैं ।

१९५० के पश्चात् ऐसे आंकड़े एकत्रित नहीं किये गये हैं जिनसे पता लगे कि मजदूरनियों की संख्या उद्योगों में बढ़ रही है अथवा कम हो रही है । मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं जिनसे मैं सिद्ध कर सकता हूं कि वाणिज्यिक तथा औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में जानबूझ कर औरतों को नौकरियां नहीं दी गई हैं ।

मैं माननीय श्रम मंत्री का ध्यान पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री के १९-६-५८ के एक भाषण की ओर दिलाता हूं । उसमें उन्होंने कहा था कि जूट उद्योग में मजदूरनियों की संख्या कम होती जा रही है और कोई ऐसा विधान बनाया जायेगा जिससे जूट के काम में मजदूरनियों की संख्या कम न हो । इस आश्वासन के पश्चात् भी उनको निकाला जा रहा है । और इसका केवल यही कारण है कि जूट मिलों के मालिक मजदूरनियों को नौकर रखना नहीं चाहते हैं ।

वस्त्र उद्योग को लीजिये । कोटाम्बटूर में मिलों में औरतें काम करती थीं जो कि काम में दक्ष मानी जाती थीं । परन्तु अब मिल मालिक पुरुषों को नौकर रख कर औरतों से काम सिखवाते हैं और जब पुरुष काम सीख जाते हैं तब औरतों को निकाल दिया जाता है ।

चाय बागानों को ले लीजिये । उन में अब तक ऐसी प्रथा थी कि पुरुषों को नौकर रखते हुए उनकी पत्नियों को भी नौकर रखा जाता था । परन्तु अब वह काम जिसको औरतें अच्छी तरह से कर पाती थीं पुरुषों से ही कराया जाता है ।

वाणिज्यिक तथा अर्द्ध सरकारी संस्थाओं में औरतों को नौकर रखने पर एक और नियंत्रण लगाया गया है कि जब वह औरतें विवाह कर लेंगी तो उनको नौकरी से निकाल दिया जायेगा ।

मैं माननीय श्रम मंत्री का ध्यान बम्बई के एक मामले की ओर दिलाना चाहता हूं । बूट्स प्योर ड्रग कम्पनी में एक औरत पैकर के रूप में काम कर रही थी । विवाह के पश्चात् उसको नौकरी से निकाल दिया गया और इस औरत ने मामला औद्योगिक न्यायालय में भेज दिया । वहां पर यह फैसला दिया गया कि औरत को विवाह का अधिकार है तो मालिक को भी अधिक लाभ लेने का अधिकार है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि मालिक औरतों को नौकर क्यों नहीं रखते

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री नारायणन् कुट्टि मेनन]

हैं। वह नहीं चाहते कि प्रसूति लाभ अधिनियम के लाभ मजदूरनियों को न दिये जायें। क्योंकि इससे उन्हें पर्याप्त हानि होती है।

दूसरा उदाहरण बम्बई की पुरानी संस्था लीवर ब्रदर्स जो अब हिन्दुस्तान लीवर है, से सम्बन्धित है। इस संस्था में ९० प्रतिशत औरतें काम करती थीं। परन्तु अब समवाय ने जानबूझ कर औरतों की छंटनी करने की नीति का अवलंबन लेना प्रारम्भ कर दिया है। इनके स्थान पर पुरुष रखे जाने लगे हैं जबकि साबुन तथा सौंदर्य प्रसाधनों को बनाने के लिये मुलायम हाथ तथा उंगलियों की आवश्यकता रहती है। मैं मानता हूं कि औरतों को रसोई घर में बैठना चाहिये परन्तु जिन परिवारों में पुरुष केवल ३० अथवा ४० रुपये कमाता है उन में गृहस्थी की गाड़ी चलाने के लिये औरतों को भी काम करना पड़ता है। परन्तु अब उनकी नौकरियां खत्म की जा रही हैं। हिन्दुस्तान लीवर अपने लाभ के लिये विज्ञापनों में औरतों का प्रदर्शन तो करता है परन्तु वह नहीं चाहता कि छंटनी भत्ता तथा प्रतिकर उनको दे।

इसलिये सरकार को यह प्रदान करना चाहिये कि उन उद्योगों, जिन में औरतें बहुत समय से काम करती चली आ रही हैं, मैं औरतों को काम करने देने के लिये शीघ्र विधान बनाये जिससे उनको नौकरी से अलग न किया जा सके।

कोई भी रिक्त स्थान विज्ञापित होने पर औरतें उतनी ही संख्या में आवेदन पत्र भेजती हैं जिस संख्या में पुरुष भेजते हैं। इसके अतिरिक्त आज विवाह भी देर से होते हैं। मेरे राज्य में ४७.८ प्रतिशत स्त्रियां अविवाहित हैं तथा अभी अविवाहित ही रहेंगी। इसलिये इनके लिये ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे इनको नौकरियां मिलती रहें। मेरी माननीय श्रम मंत्री से अपील है कि यथा संभव शीघ्र औरतों की छंटनी न होने का विधान बनायें। मैंने सुना है कि वह ऐसा विधान बनाने जा रहे हैं जिसके अनुसार काम दिलाऊ दफ्तरों में से लोग गैर सरकारी संस्थाओं में अनिवार्यतः भेजे जाने लगेंगे। मैं आशा करता हूं कि स्थिति की गंभीरता देखते हुए वह इसमें शीघ्रता करेंगे।

†**श्री घोषाल** (उलुबेरिया) : कुछ वर्षों की संख्या को देखने पर पता लगता है कि उद्योगों में से मज़दूरनियों की संख्या कम होती जा रही है। १९५१ में भारत के कारखानों में लगभग २,८१,००० मज़दूरनियां अर्थात् कुल मज़दूरों का ११.४ प्रतिशत थीं। १९५८ में यद्यपि प्रमाणित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं परन्तु पता लगा है कि लगभग ५० प्रतिशत मज़दूरनियां कम हो गई हैं।

खान उद्योग में ९५२ में लगभग १,११,००० मज़दूरनियां थीं परन्तु १९५७ में इनकी संख्या ५०,००० हो गई है। बाग़ानों में कुल मज़दूरों का लगभग ५० प्रतिशत मज़दूरनियां होती थीं जिनकी संख्या १९५४ में कम होकर १,२३,४०० हो गई। जूट मिलों में अब उनको नौकर नहीं रखा जाता है।

हम जानते हैं कि मिल मालिकों ने औरतों को तभी तक नौकरियां दीं जब तक वह उनसे लाभ उठाते रहे। परन्तु प्रस्तुत लाभ अधिनियम अथवा कारखाना अधिनियम में संशोधन के पश्चात् तक तो औरतों को नौकर रखा जाता रहा। केवल तभी उनको नौकर रखने से इंकार करना प्रारम्भ हुआ जब उन्होंने पुरुषों के समान वेतन की मांग करनी शुरू की।

१९५३ में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा सर्वेक्षण किए जाने पर पता लगा कि मिलों में काम करने वाली औरतों में से ५० प्रतिशत विवाहित हैं। मैं श्री नारायणन् कुट्टि मेनन की इस बात से सर्वथा

---

†मूल अंग्रेजी में

सहमत हूं कि ये औरतें नौकरी केवल पुरुषों की आय को बढ़ाने के लिए करती हैं। परन्तु केवल लाभार्थ अधिनियमों से बचने के लिए मालिकों ने औरतों को नौकर रखना बन्द कर दिया है जिसके कारण उनके परिवारों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। इन शब्दों से मैं संकल्प का समर्थन करता हूं।

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : ऐसा मालूम होता है कि इस विषय पर से माननीय सदस्यों का ध्यान जल्दी ही हट गया। जिन व्यक्तियों ने इस विषय पर भाषण दिए वह गम्भीर थे क्योंकि यह समस्या बड़ी गम्भीर है। परन्तु उन्होंने इसके निराकरण के लिए जो सुझाव दिए हैं वह उपयुक्त नहीं हैं।

संकल्प के प्रस्तावक ने अपने विचार अधिकांशत: श्रम मन्त्रालय की पत्रिका 'दि इकोनोमिक एण्ड सोशल स्टेट्स आफ वीमेन वर्कर्स इन इण्डिया' पर आधारित रखे। इस पत्रिका में जो सांख्यकी दी गई हैं वह १९५० तक की हैं। हाल में ही हमने इस समस्या पर विचार किया और जांच कराई जिसके परिणाम एक पत्रिका के रूप में सभा पटल पर रख दिए गए हैं। मैं इसको पहले ही रख देना चाहता था परन्तु जांच कुछ दिन पूर्व ही समाप्त होने के कारण यह सम्भव नहीं हो सका कि इस सामग्री को माननीय सदस्यों तक पहले पहुंचाया जा सके। इस पत्रिका का शीर्षक 'वीमैन इन एम्प्लायमेंट—१९०१–१९५६' है तथा जिन माननीय सदस्यों ने यह कहा कि पूरे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं उन्हें अब यह पत्रिका देखना चाहिए। प्रस्तावक ने जिन उद्योगों का नाम लिया है उनके अतिरिक्त भी, सभी व्यवसायों के सम्बन्ध में आंकड़े इकट्ठे कर दिये गये हैं तथा उनका विश्लेषण कर लिया गया है। यदि माननीय सदस्य इस पत्रिका को देखें तो उन्हें अपने बहुत से प्रश्नों के उत्तर मिल जायेंगे।

संकल्प में कुछ उद्योगों में औरतों की नियुक्तियों को कम करने की ओर सभा का ध्यान दिलाया गया है। इस पत्रिका में सभी बातें स्पष्ट कर दी गई हैं जिनसे हम समस्या के सम्बन्ध में अनुमान लगा सकते हैं।

इस जांच से जो मुख्य परिणाम निकाले गये हैं वह पत्रिका के अन्त में दे दिए गए हैं। राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था में औरतों के काम के सम्बन्ध में यह बताया गया है कि १९०१–५१ के वर्षों में औरतें कृषि में भी पर्याप्त भाग लेने लगी हैं। परन्तु साथ ही साथ यह भी बता दिया है कृषि के अतिरिक्त अन्य कामों में उनकी संख्या घटती जा रही है। परिवहन में भी औरतें अधिक संख्या में नियुक्त हैं। इस अवधि में निम्नलिखित उद्योगों अर्थात् कोयले की खान, तम्बाकू, लोहा तथा इस्पात, तथा अलौह धातु उद्योग परिवहन यन्त्र, ईंट, टाइल, तथा मिट्टी के अन्य उत्पाद, मेज़, कुर्सी, कागज, छपाई, शिक्षा सेवायें, गवेषणा, नगरपालिकाएं, स्थानीय बोर्ड, होटल, रेस्टोरैन्ट, चाय घर तथा विधि कार्यों में औरतों की नियुक्तियां बढ़ गई हैं। औरतों की नियुक्तियां खाद्य उद्योग, अनाज तथा दालें, अधातु खनिज पदार्थ ईंधन, सफाई के काम तथा कपड़ा धुलाई उद्योग में कम हो गई हैं। यह आंकड़े १९०१ से १९५० तक के हैं। परन्तु हमने १९५० से १९५६ तक के वर्षों में औरतों की नियुक्ति के सम्बन्ध में भी आंकड़े इस पत्रिका में दिए हैं।

१९५० में कारखानों में काम करने वाली औरतों की संख्या २.८२ लाख थी जबकि १९४७ में यह संख्या २.६४ लाख थी। इसमें १९५६ में कुछ बढ़ोत्तरी हो गई अर्थात ३.०१ लाख हो गई। यह ठीक है कारखानों में लगे कुल मज़दूरों के अनुपात में यह कम थी परन्तु इन आंकड़ों के विभिन्न औद्योगिक वर्गों की यदि हम जांच करें तो पता लगता है कि यह कभी समान रूप से नहीं हुई है। तम्बाकू उद्योग तथा रासायनिक उत्पाद उद्योग में ये नियुक्तियां जब बढ़ी हैं तब लकड़ी, कागज,

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नन्दा]

वस्त्र उद्योगों में यह कम हो गई हैं। कृषि के साथ साथ लगे हुए उद्योगों में औरतों की नियुक्तियां पहले जैसी ही रही हैं।

विशेषतया ध्यान देने की बात यह है कि बीड़ी तथा दियासलाई उद्योग में नियुक्तियां बढ़ी हैं। बीड़ी उद्योग में मज़दूरनियों की संख्या लगभग १५,००० से २४,००० इन सात वर्षों में हो गई है तथा श्रम की प्रतिशतता २२.६ से ३४.१ हो गई है। दियासलाई उद्योग में १९५१ में आंकड़े ३,१७५ थे जो १९५६ में ९,४४७ हो गये जिनकी प्रतिशतता क्रमशः २२.१ तथा ४४.७ है।

वस्त्र उद्योग में औरतों की नियुक्ति में पर्याप्त कमी आ गई। संकल्प में इसी पर अधिक बल दिया गया है। कपास तथा जूट उद्योग में भी ऐसा ही है। कपास में औरतों की संख्या ५४,००० से ५०,००० अर्थात् ३७.५ प्रतिशत से २१.४ प्रतिशत हो गई है। हमें यह समझना चाहिए कि जूट उद्योग में पुरुष तथा औरत दोनों की कुल नियुक्ति में कमी आई है अर्थात् १९५० से १९५६ में ३.०३ लाख से २.७३ लाख हो गये हैं।

मैंगानीज तथा लौह अयस्क खानों में मज़दूरनियों की संख्या बढ़ गई है जबकि कोयले तथा अभ्रक की खानों में कम हो गई है। मैंगनीज में मज़दूरनियां १६,००० से ४४,००० हो गई हैं। लौह अयस्क में १३,३०० से २२,००० हो गई है। परन्तु कोयले में १९५० के ५७,४०० के आंकड़ों में ११,००० की बढ़ोत्तरी हो गई है। धातु खानों तथा कोयले की खानों में कुल २९,००० मज़दूरनियां बढ़ गई हैं।

बाग़ानों में नियुक्त औरतों की संख्या १९५०–५१ में २.४८ लाख थी जो घट कर १९५६-५७ में १.६६ हो गई है। परन्तु यह कमी कुल मजदूरों के अनुपात में ही है क्योंकि १९५०–५१ में यह ५.२० लाख थे जो अब १९५६–५७ में ३.४९ लाख हो गये हैं। मज़दूरनियों की संख्या इस क्षेत्र में ४६ तथा ४८ के बीच में है।

यह आंकड़े इस पत्रिका में दिए हुए हैं। यह सही है कि समान चित्र हमारे सामने यह प्रस्तुत नहीं करते हैं परन्तु फिर भी कुछ सन्तोषजनक आंकड़े ही हैं जबकि कुछ पर गम्भीरता से विचार करना पड़ता है। वस्त्र उद्योग के बारे में जो आंकड़े प्रस्तावक ने बताये हैं मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं।

अब प्रश्न यही उठता है कि हमें क्या करना चाहिए। परन्तु इस पर विचार करने से पूर्व हमें इस पर भी विचार करना है कि इसके लिये कौन जिम्मेदार है। इस जांच से हमें नियुक्तियों में कमी के कारणों का भी पता लगा है। वह दो हैं। पहला तो हमारे द्वारा औरतों के लिए बनाये गये विधान हैं। कुछ स्थानों पर तथा कुछ अवसरों पर औरतों को काम करने से रोका गया है। यह प्रतिबन्ध औरतों के हित में ही हैं। उद्योगों में रात्रि के काम करने के जितने शिफ्ट बनाये जायेंगे, औरतों के काम करने की उतनी ही सम्भावना कम हो जायेगी। औरतों का स्वास्थ्य ठीक रखने के लिये यह आवश्यक भी है। १९५२ के खान अधिनियम की धारा ४५ के अधीन औरतों को जमीन के नीचे काम करने पर प्रतिबन्ध है। उसी प्रकार औरतें ७ बजे शाम से सवेरे ६ बजे तक काम नहीं कर सकती हैं। इन बातों का कोई हल नहीं हैं।

एक और बात भी है जिसका सम्बन्ध इस समस्या से है। यह है उद्योग का यंत्रीकरण तथा वैज्ञानिकरण। यद्यपि उन व्यवसायों में औरतें नौकर रखी जाती रही हैं परन्तु यंत्रीकरण तथा नवीकरण के करण उनकी संख्या थोड़ी हो ही गई है। कभी कभी ऐसा होता है कि नवीन पद्धति निकाल ली जाती है अथवा नया यंत्र लगा लिया जाता है जिसके कारण इन व्यवसायों में कम औरतें भरती की जाती

हैं। जब उद्योग विशेष विकासशील होता है तो मशीनों के लगने के कारण उत्पन्न मज़दूरों की कमी से, रोज़गार की कुल स्थिति पर प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यह उन उद्योगों पर लागू नहीं होती जो प्रगति नहीं कर रहे हों; इसलिये उनमें रोज़गार कम मिलता है। इसके अलावा एक और कारण भी है। यह हमारे सामाजिक विधानों का परिणाम है। विभिन्न विधानों के उपबन्धों के अन्तर्गत काम करने वालों के स्वास्थ्य और कल्याण का अब पूरा ध्यान रखा जाता है। औरतों को भी प्रसूति इत्यादि के जो भी लाभ दिये जा सकते हैं उसके अन्तर्गत उसकी पूरी व्यवस्था है। इस कारण यह ठीक ही कहा गया है कि मज़दूरनियां महंगी रहती हैं। इसलिए स्वाभाविकता मालिकों के समक्ष लाभ का प्रश्न आ ही जाता है। इस अवस्था में मैं न्यायाधिकरणों की घोषणाओं और पंच फैसलों का उल्लेख कर मज़दूरनियों के निकाले जाने को ठीक सिद्ध करना नहीं चाहता। क्योंकि इससे मालिकों को कुछ अधिक लाभ प्राप्त हो जाता है। मामला विकट उस समय होता है जबकि उद्योग संकट की स्थिति से निकल रहा हों। लाभ कम हो रहा हो और उद्योग के अस्तित्व को कायम रखना कठिन हो रहा हो। मैं उन तथ्यों को ले रहा हूं जो कि हो रहे हैं, इसमें उचित और अनुचित का कोई प्रश्न नहीं है। यह साधारणतः उन हालात की बात है जो मंडियों में निर्माण हो जाते हैं। हमें सब बातों का सन्तुलन करके कारणों का पहले ही ध्यान रखना चाहिये। हमें इस प्रकार के कुछ विधान बनाते हुये यह ध्यान रखना चाहिये कि विशेष वर्ग के श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने से श्रम की कीमत बढ़ जायेगी। फिर एक यह भी हमारी मनोभावना बन गयी है कि हम यह कहते ही रहते हैं कि अमुक बात की रक्षा भी होनी चाहिए और यह बात कम नहीं होती। इस प्रकार के संविधानिक दायित्व मालिकों पर लागू करने के जो परिणाम होते हैं उसी पर हम अब चर्चा कर रहे हैं।

इस समस्या का एक व्यापक अंग भी है। एक तो यह कि औरतों को रोजगार देने का प्रश्न है और एक यह कि देश में रोजगार की व्यवस्था क्या है। और इस बात को देखने से ही समस्या हल होती हैं कि देश में रोजगार के अवसरों की अवस्था कैसी है। नर नारियों को अतिरिक्त रोजगार देने के सम्बन्ध में हम उत्तर दे रहे हैं। विकास योजनाओं द्वारा हम उन्हें काम पर लगा रहे हैं। यदि फिर भी स्थिति सन्तोषजनक नहीं तो यह अवसर है कि हम उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें।

यद्यपि प्रारम्भ में द्वितीय पंचवर्षीय योजना को बड़ी आशाओं से आरम्भ किया गया था। यद्यपि आरम्भ से ही हमें पता था कि इसमें सब नये व्यक्ति नहीं समा सकेंगे। काफी लोगों को ग्रामों में कृषि चालने का कार्य करना होगा, यद्यपि भूमि पर पहले ही काफी बोझ है। यदि योजना में कुछ काट छाट हुई तो इससे रोजगार पर भी प्रभाव पड़ेगा। और इसका प्रभाव सभी नर नारियों को सहन करना ही होगा। प्रश्न का महत्वपूर्ण अंग यह है कि प्रस्तावक और हम में स्थिति की वास्तविकता के सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं है। केवल इतना ही है कि मैंने व्यापक दृष्टिकोण से स्थिति को प्रस्तुत किया है और यह दिखाया है कि कारखानों और खानों में रोजगार बढ़ा है। कुछ उपक्रमों में काफी कमी भी हुई है और वह भी मैंने बताई है। जहां वृद्धि हुई है वह लोगों की संख्या को देखते हुए बहुत ही कम है। परन्तु प्रश्न तो यह है कि किया क्या जाय।

जो कुछ मेरे मन में है उसका उन कुछ समस्याओं से कोई सम्बन्ध नहीं जिनका कि यहां उल्लेख किया गया है। उदाहरणतः कि औरत का स्थान क्या है। क्या वह पाकशाला में है, बच्चों में है अथवा उसे व्यापक क्षेत्र में जाकर नौकरी का अधिकार है। फिर औरत और मर्द के हितों के टकराव की बात भी की गयी है। कहा गया है कि कई उद्योगों में आदमी घुस रहे हैं। मैं तो इस प्रकार के मामले लेना नहीं चाहता, मुझे तो ठोस आधार पर रख कर मामले की चर्चा करनी है।

[श्री नन्दा]

कपड़ा, पटसन तथा रुई सभी उद्योगों में एक समस्या है, प्रश्न यह है कि इसे कैसे हल किया जाये। इसके एक अंग से मुझे हाल ही में वास्ता पड़ा था। पटसन उद्योग में श्रमिकों की काफी कमी हो गयी थी। हाल ही में पटसन की औद्योगिक समिति की बैठक के लिए मैं कलकत्ता गया, तो कार्यावलि पर यह भी बात थी कि इस उद्योग में महिला श्रमिकों की कमी क्यों हो रही है। हमने उन सब हालात पर विचार करना था जिसके कारण कि स्थिति ने यह रूप धारण किया था। इसमें मतभेद भी था। मालिकों का कहना था कि यह कमी प्रसूति इत्यादि की वैधानिक सुविधा हो जाने के कारण नहीं हुई। और उन्होंने यह बात नहीं मानी कि कुछ सदस्यों के लालच से वे महिला श्रमिकों को निकाल रहे हैं। इस बात में उन्होंने अपने पक्ष का पूरा समर्थन किया। उनका कहना था कि इस कमी का कारण उद्योग में हुये प्रविधिक परिवर्तन हैं। हमने मामले पर विचार किया और समिति ने अपनी सिफारिश की कि पश्चिमी बंगाल सरकार तुरन्त एक समिति नियुक्त करे जो कि इस बात का पता लगाये कि पटसन उद्योग में हो रही महिला श्रमिकों की कमी का क्या कारण है और इस प्रकार की महिला श्रमिकों के हितों की रक्षा कैसे हो सकती है। और इस बीच पटसन उद्योग की महिला श्रमिकों की संख्या कम नहीं होनी चाहिए।

इस प्रकार जहां अन्य मामलों की तुलना में यह समस्या वास्तव में विकट थी, वहां इसके हल के लिए ये ठोस कदम उठाये गये हैं। कोई हवाई बात नहीं है। इसी प्रकार के कदम अन्य उद्योगों में भी उठाये जायेंगे। बताया गया कि बड़े अनुचित ढंग से औरतों को नौकरियों से निकाल दिया जाता है। और इसके लिये वे मर्दों को प्रशिक्षित करते हैं। मर्दों के लिए यह कोई अच्छी बात नहीं कि वह औरतों का स्थान लें। परन्तु इन इधर उधर की बातों से समस्या हल नहीं होती। प्रविधिक परिवर्तनों के कारण औद्योगिक नौकरियों के रूप में भी परिवर्तन आना चाहिए। सम्भव है कि कई एक दिशाओं में नौकरियां कम हो जायें। कुछ कदम तो हमें उठाना ही होगा। भर्ती और छंटनी के विधान तो बन चुके हैं और उनके आगे मर्द और औरत का कोई भेद नहीं। अन्य संरक्षण भी है, परन्तु यह सब कुछ श्रमिकों के अपने हाथ में है। कोई अच्छे ढंग का व्यवहार न करे, तो उसके लिए कार्मिक संघ है, वे अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। पटसन उद्योग में सरकार उनकी सहायता कर ही रही है। विभिन्न उद्योगों में भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से इस समस्या को हल किया जा सकता है। और यह इसे ठीक ढंग से सुलझाने का रास्ता है। काम का ढंग तो कई दिशाओं में बदल रहा है, और कई स्थानों में औरतों के पक्ष की बात हो रही है। इस समय केन्द्रीय सरकार में लगभग २०,००० औरतें काम कर रही हैं, जबकि इससे पूर्व यह संख्या बहुत ही थोड़ी थी। विभिन्न समाज कल्याण संस्थाओं, सामूहिक परियोजनाओं इत्यादि में उनकी संख्या बढ़ रही है। अध्यापिकाओं तथा स्वास्थ्य परिचारिकाओं की तो बहुत ही आवश्यकता है। दूसरी और तीसरी योजना में उनकी संख्या निस्सन्देह आगे से बहुत हो जायेगी। औद्योगिक विकास वृद्धि की से भी नये अवसर हाथ आते रहेंगे। आर्थिक विकास से भी कई क्षेत्रों में काफी गुंजाइश निकलेगी और काफी क्षेत्रों में औरतों को खपाने की सम्भावना हो जायेगी।

केवल स्वास्थ्य क्षेत्र में ही, द्वितीय योजना के आरम्भ में केवल २२,००० परिचरियायें थीं, योजना के अन्त तक यह संख्या १,६७,००० हो जाती है। इसी प्रकार तीसरी योजना के समय यह संख्या और बढ़ जायेगी। प्रथम योजना के आरम्भ में १,१७,००० शिक्षक थे, द्वितीय योजना के आरम्भ में यह संख्या १,८०,००० थी। ५३.८ प्रतिशत की वृद्धि हुई। तीसरी योजना के अन्त तक इसमें ४४.९६ प्रतिशत की वृद्धि और होगी और इनकी संख्या अन्तिम रूप में २,७८,००० हो जायेगी। मैं अपनी

बात पर प्रकाश डाल रहा हूं और ये दिशायें हैं जहां कि औरतों को नौकरी देने की गुंजाइश दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जायेगी ।

तथ्यों के सम्बन्ध में हम एक मत हैं । इस हालात के लिए कौन उत्तर दायी है, इस विषय पर खोज करके भी मतभेद इस सम्बन्ध में बहुत गम्भीर नहीं है । जहां तक इसके उपाय का सम्बन्ध है मैंने अपने सुझाव दिये ही हैं। समिति सब कुछ नहीं कर सकती । मैंने सारे हालात सविस्तार आपके समक्ष रखे हैं । यह भी बताया है कि हमें किस दिशा की ओर चलना है । पटसन उद्योग की भांति, त्रिपक्षीय संस्था द्वारा इसे लाना होगा। हमारी भारतीय श्रम सम्मेलन की स्थायी समिति इन बातों में पूरी रुचि प्रदर्शित करती है । इसकी अगली बैठक में इस समस्या को प्रस्तुत किया जायेगा । इस दिशा में कार्मिक संघों की भी जिम्मेदारी है । उन्हें देखना चाहिए कि महिलाओं के साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो । इसके लिए संसद् सदस्यों को किसी प्रकार का कष्ट देने की आवश्यकता नहीं, उनसे और लाभदायक सेवा ली जा सकती है । यह मेरे कुछ सुझाव हैं जो मैंने माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किये हैं ।

†**श्री दो० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : माननीय मन्त्री ने कहा है कि नौकरियों का रूप बदल रहा है । क्या हमारे देश की स्त्री श्रमिक प्राविधिक विकास के साथ साथ कदम नहीं रख रही हैं ? यदि नहीं, तो इसके लिए क्या किया जा रहा है ?

†**श्री नन्दा** : यह बड़ा उचित प्रश्न है । प्राविधिक प्रगति के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है । साधारणतः ही औरत शिक्षा क्षेत्र में पिछड़ी रही है और प्राविधिक क्षेत्र में तो यह समस्या है ही, परन्तु अब इन समस्याओं की ओर पूरा ध्यान दिया जा रहा है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : मेरे संकल्प के उत्तर में मंत्री महोदय ने जो प्रकाश डाला है उसके लिये मैं उनका आभार मानती हूं । औरतों को रोज़गार पर लगाने के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति पर उन्होंने अच्छी जानकारी प्रस्तुत की है । हम अवश्य किसी और समय इस पर चर्चा करेंगे । एक बात उन्होंने यह कही है कि नये उद्योगों में मज़दूरनियों की संख्या बड़ी है । और उसमें उन्होंने बीड़ी उद्योग का नाम लिया । यही बात हम कह रहे थे कि मालिक लोग औरतों को तब ही रोज़गार पर लगाते हैं, जब वे उन्हें सस्ती उपलब्ध हो जाती हैं । कार्मिक संघ तथा सरकारी विधानों द्वारा उपलब्ध सुविधायें उन्हें प्राप्त नहीं होतीं । बीड़ी के काम में औरतों को मर्दों के मुकाबले में आधा वेतन दिया जाता है और इस पर उनका शोषण किया जाता है ।

दूसरे इस सम्बन्ध में उन्होंने खान उद्योग का उल्लेख किया । इसमें मैंगानीज़ और लौह अयस्क उद्योग आते हैं । इनमें काफी मात्रा में औरतों को रोज़गार मिलता है । विशेषकर आदिवासी तथा पिछड़े वर्ग की महिलायें यहां अधिक संख्या में काम करती हैं । क्योंकि यह बड़ी सस्ती रहती हैं और जंगलों के आन्तरिक भागों में काम करती हैं । जब कार्मिक संघ इनके अधिकारों के लिये कोई आन्दोलन करता है तो ये लोग औरतों को निकालने लगते हैं ।

†**श्री नन्दा** : मेरा कहना है कि जिन बातों का मैं ने उल्लेख किया है उन पर हम समितियों में चर्चा कर चुके हैं । श्रम परामर्श समिति भी है, उसमें भी इन बातों पर विचार किया जा सकता है

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मेरा कहना है कि हमें मज़दूरनियों को स्वस्थ तथा उनके बच्चों के लालन पालन के लिये संरक्षण देना चाहिये । साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

कि आज की विकट आर्थिक अवस्था में कई एक अशिक्षित महिलायें काम करने पर मजबूर होती हैं। क्योंकि उनके लिये रास्ते बहुत कम हैं। अतः उनकी समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की इस दिशा में हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिये। एक यह कि महिला श्रमिकों को सभी प्रकार के श्रमिक विधानों का लाभ प्राप्त होना चाहिये और साथ ही उनके रोज़गार की भी गारन्टी दी जानी चाहिये। यंत्रीकरण के कारण महिलाओं को काम पर नहीं लगाया जाता यह भी निराधार युक्ति है। हमें यह स्वीकार नहीं है। आगामी श्रम सम्मेलन में इस समस्या पर चर्चा होगी इसकी तो मुझे प्रसन्नता है। यदि इस पर त्रिपक्षीय चर्चा हो जाय तो बहुत ही अच्छी बात है, जैसाकि माननीय मंत्री महोदय ने सुझाव दिया है। कोयला खानों, कपड़ा मिलों और पटसन उद्योग में यह समस्या अधिक है। मंत्री महोदय से जानकर आश्चर्य हुआ कि बागान में भी इसकी कुछ झलक दिखाई देती है। इन उद्योगों के अन्तर्गत इस समस्या पर विचार किया जाये और यह निर्णय कर दिया जाये कि आगे से कहीं भी मज़दूरनियों की छंटनी नहीं की जायेगी।

मज़दूरनियों की स्थिति के सम्बन्ध में जांच हो रही है, और श्रम मंत्रालय ने इसकी ज़िम्मेदारी ली है, पटसन त्रिपक्षीय सम्मेलन में जो कुछ किया गया है तथा मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में सुझाव दिये हैं कि इस प्रश्न को आगामी श्रम सम्मेलन में लिया जायेगा, इन बातों को ध्यान में रखते हुये मैं अपना संकल्प वापिस लेती हूं और इस बात की प्रतीक्षा करूंगी कि मामला ठीक दिशा में प्रगति करे।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** हमें इस बात के रक्षण की भी व्यवस्था करनी चाहिये कि विवाह होने पर महिला श्रमिकों के रोज़गार को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिये।

†**श्री नन्दा :** इस मामले की चर्चा करते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे।

संकल्प सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

एकाधिकार रखने वाले सार्थों के कार्य के बारे में संकल्प

†**श्री कुन्हन** (पालघाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :—

"इस सभा की यह राय है कि देश में एकाधिकार रखने वाले सार्थों के कार्यों की जांच करने तथा उनकी शक्तियों और गतिविधियों को, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिये हानिकर है, कम करने के उपयुक्त सुझाव देने के लिये संसद् सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जाये।"

इस संकल्प को प्रस्तुत करते समय मैं संविधान के अनुच्छेद ३९ के अन्तर्गत निर्धारित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों की ओर ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं जिनका कि अनुसरण किया जाना आवश्यक है। हमारी संसद् हमारे अधिकारों की रक्षक है, और यह हमारा कर्तव्य है कि हम संविधान के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये सरकार पर दबाव डालें। अतः आज हम एक बड़े महत्वपूर्ण वित्तीय कृत्य पर चर्चा करेंगे, जोकि सरकार द्वारा किया जाना चाहिये। पंचवर्षीय योजना हमने स्वीकार की है उसमें हमने आर्थिक विषमतायें दूर करने की बात कही है। और पिछड़े हुये लोगों को ऊपर उठाना इसका मुख्य उद्देश्य है। केवल इतना ही नहीं कि आय और धन की विषमताओं को मिटाया जाये परन्तु इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि समस्या और अधिक विकट न होने पाये।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

वास्तव में धन का संग्रह और आर्थिक असमानता, सम्पत्ति के स्वामीत्व तथा उत्पादन साधनों, भूमि, कारखानों, खानों और बैंकों इत्यादि की मलकियत से उत्पन्न होती है। ऐसी अवस्था में विकसित हो रही अर्थ व्यवस्था के कारण सब से पूर्व ध्यान कारखानों, बैंकों इत्यादि की ओर जाना चाहिये, क्योंकि भविष्य में इस दिशा में परिवर्तन होने की पूरी सम्भावना है।

आज प्रथम प्रश्न जो हमारे सामने आता है वह यह कि आज की हमारी अर्थ व्यवस्था में क्या एकाधिकार सम्भव है ? परन्तु अवस्था यह है कि आज सभी उद्योगों में एकाधिकार स्थापित हो रहा है। जनकल्याण और लोकतंत्रीय व्यवस्था में इसका कोई स्थान नहीं होता। अतः इस सदन के सदस्यों का परम कर्तव्य है कि वे और सरकार इस प्रकार के विधान बनायें ताकि एकाधिकार स्थापित करने वाले लोगों की गति विधियों को रोका जा सके। संविधान के अनुसार धन का एक स्थान पर एकत्रित हो जाना वर्जित है। इस बात के बावजूद कि सरकार समाजवादी समाज की बातें करती रही है, परन्तु वास्तव में वह संविधान के विरुद्ध कार्य करती रही है। यह बड़ा आवश्यक है कि सदन सारे मामले की छानबीन के लिये एक समिति नियुक्त करे जोकि यह बताये कि संविधान की इस मूलभूत बात को किस प्रकार कार्यान्वित किया जा सकता है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संकल्प प्रस्तुत हुआ।

†**श्री विमल घोष** (बैरकपुर) : प्रस्तावक महोदय न जो बातें संकल्प के सम्बन्ध में कही हैं उनसे स्पष्ट नहीं होता कि वे आर्थिकशक्ति और धन के केन्द्रीयकरण के सम्बन्ध में कहना चाहते हैं अथवा एकाधिकार समवायों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं। उद्योग या व्यापार में एकाधिकारिता उस अवस्था को कहते हैं जब कोई विशेष समवाय बाज़ार या किसी वस्तु के मूल्यों को अपनी इच्छानुसार घटा बढ़ा सके। मेरे विचार से भारत में ऐसे उद्योग बहुत कम हैं जिनका किसी विशेष उत्पादन पर एकाधिकार हो। निस्सदेह यह कहा जा सकता है कि वर्तमान परियोजनाओं के पूर्व लोहे और इस्पात उद्योग में टाटा का और सीमेंट में ए० सी० सी० का एकाधिकार था तथापि दोनों वस्तुओं के मूल्यों का नियंत्रण सरकार के आदेशानुसार एक विशेषज्ञ समिति करती थी जिससे देश के हित सुरक्षित रहते हैं। निस्संदेह अमेरिका, ब्रिटेन तथा अन्य यूरोपीय देशों में एकाधिकार पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये विभिन्न विधियां बनाई गई हैं। उनका कारण यह था कि कुछ एकाधिकारी उद्योग उपभोक्ताओं से या तो बहुत अधिक मूल्य लेते थे या घटिया प्रकार की वस्तु देते थे।

भारत में यह स्थिति नहीं है क्योंकि यहां सरकार को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन पर्याप्त शक्तियां प्राप्त हैं और वह एकाधिकार प्राप्त समवायों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है। यदि वह नहीं करती है तो हमें चाहिये कि हम सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करें।

तथापि यदि यह प्रश्न आर्थिक शक्ति और धन के एक स्थान पर केन्द्रीकरण का है तो निसंदेह इसका उपचार किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में पहला कदम भारतीय समवाय अधिनियम बना कर की गई थी जिससे प्रबन्ध ऐजेन्टों की शक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाया गया। तथापि अब भी कुछ थोड़े उपक्रम सारे देश के उद्योग और व्यापार का नियंत्रण करते हैं। जिसके फलस्वरूप छोटे उद्योगों का पनप सकना बहुत कठिन हो गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री विमल घोष]

[श्री मोहम्मद इमाम पीठासीन हुए]

तथापि जहां तक एकाधिकार का प्रश्न है । एकाधिकारिता स्वयं बुरी नहीं है। उदाहरणार्थ लोक-हित की समस्त सेवाओं में यथा गैस, बिजली, ट्रामवे इत्यादि में प्रतियोगिता की अनुमति नहीं दी जाती है । एकाधिकारिता की यह प्रवृत्ति होती है कि वह अधिक लाभ प्राप्त करने के लिये क़ीमतें बढ़ा देती हैं । ऐसी स्थिति पर उनका नियंत्रण करना अनिवार्य हो जाता है ।

जहां तक एकाधिकारिता का सम्बन्ध हमारे यहां एकाधिकारिता है ही नहीं यदि है तो उसके नियत्रंण के लिये अधिनियम मौजूद है । अत: मेरे विचार से यह संकल्प स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है ।

श्री स० म० बनर्जी (कानपुर) : श्री कुन्हन ने सदन के सामने जो अपना प्रस्ताव रक्खा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं समझता हूं कि आज यह प्रस्ताव जिस जनरैलाइज्ड वे में रक्खा गया है शायद आज देश की उस हद तक परिस्थिति न हो कि जिसमें हम यह साबित कर सकें कि देश में मोनोपोलिस्टक कनसर्नस् (एकाधिकारी समवाय) का बोलबाला है लेकिन अगर इस प्रस्ताव के एसेंस को देखें और उसके सब्सटैंस (आशय) को हम देखें तो इसमें कोशिश यह की गई है कि आज जो इस देश में मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज बढ़ रही हैं और इस देश में जो धन का समुचित रूप से बटवारा नहीं हो रहा है और धन कुछ खास लोगों के हाथों में ही पहुच रहा है तो इस बुराई को किस तरीके से खत्म किया जाये या उसकी जांच की जाये और इस चीज का उपाय किया जाये कि आज जो धन का बटवारा और सर्कुलेशन ठीक तरह से नहीं हो रहा है और वह कुछ लोगों के हाथ में कसेंट्रेट हो रहा है वह न हो कर धन का समुचित रीति से बटावारा और सर्कुलेशन हो ।

मेरे मित्र श्री कुन्हन ने अपने भाषण में यह समझाने की कोशिश की कि आज किस तरीके से कसेंट्रेशन आफ वेल्थ (धन का केन्द्रीयकरण) हो रहा है और मैनेजिंग एजेंसीज की बात भी उन्होंने रखी ।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान दूसरी पंचवर्षीय योजना की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसका कि समर्थन हमारे देश के लगभग सभी राजनैतिक दलों ने किया था और केवल राजनैतिक दलों ने ही नहीं बल्कि आम जनता ने भी उसका समर्थन किया था और उसका एक ही कारण था कि उसका मकसद यह था कि हमारे राष्ट्रीय उद्योगों का विकास हो । लोग यह समझते हैं कि राष्ट्रीय उद्योगों का विकास होने से देश की सम्पत्ति बढ़ेगी और सम्पत्ति का समुचित रूप से बटवारा होगा और देश का कल्याण होगा । यही वजह थी कि देश भर द्वारा इस दूसरी पंच वर्षीय योजना का समर्थन और स्वागत किया गया । और आज भी हो रहा है ।

इसके विपरीत आज अगर हम उन पूंजीपतियों की ओर देखते हैं तो हम क्या पाते हैं । उनका ध्येय क्या है ? आप सारे देश के इतिहास को देखें । केवल यही नहीं है कि ये लोग केवल इडस्ट्रियल कनसर्न्स को अपने हाथों में लेते हैं, बल्कि उनके अपने बैंक हैं, अपना इंश्योरेंस है, अपने प्रेस हैं । और इसी तरीके से ये कोशिश करते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर इनका काफी जोर हो, इतना जबरदस्त ग्रिप हो कि वह अपने टर्म्स को डिकटेट कर सकें अभी मेरे मुअज्जिज दोस्त विमल घोष साहब ने कहा कि शायद अभी हमारे देश में वह कंडीशन नहीं

हैं। हमारे देश में वह कंडीशन नहीं है बल्कि बहुत से दूसरे देशों में नहीं है। उन्होंने आयरन और स्टील की बात भी की कि उसके प्राइसेज भी फिग्ज होते हैं। लेकिन एक मिसाल मैं आपके सामने देना चाहता हूं यह दिखलाने के लिये कि आज इनका कितना जबरदस्त ग्रिप है हमारे देश की सत्ता के ऊपर। मुमकिन है कि एक ट्रेड यूनियनिस्ट की हैसियत से अगर मैं यह मिसाल दूं तो शायद लोग यह समझेंगे कि वही चीज मैं लाना चाहता हूं जो मैं दूसरे तरीके से लाना चाहता था। लेकिन आज उनका जो मोनोपलिस्टिक स्वरूप है उस का कितना ज्यादा असर आज की सरकार के ऊपर है। आप एक मामूली मिसाल लीजिये कि अभी कुछ दिन पहले वहां सिर्फ एक दिन की हड़ताल हुई और यह एक दिन की हड़ताल हुई क्यों? वह इस वजह से हुई कि यूनियन ने कोशिश की कि एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर की जांच होनी चाहिये। यूनियन ने सिर्फ यह कोशिश की कि जो मुनाफा टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी दिन व दिन करती जा रही है उसका कुछ हिस्सा महंगाई की शक्ल में हमको मिलना चाहिये।

श्री म० कु० घोष (जमशेदपुर) : जो स्ट्राइक हुआ वह इकानमिक डिमांड की वजह से हुआ या किसी और वजह से हुआ।

श्री स० म० बनर्जी : आप धीरज रखिये। मैं हिन्दी में बोल रहा हू। सब की समझ में आयेगा।

तो मैं कह रहा था कि उसमें डिमांड क्या थी। यूनियन के वजूद का सवाल था और दूसरा महंगाई का सवाल था और महंगाई की मांग इसलिये की गयी थी कि चाहे किसी और इंडस्ट्री में क्राइसिस हो, टैक्सटाइल में क्राइसिस है या नहीं इसकी जांच हो रही है, हो सकता है कि उसमें कुछ न कुछ क्राइसिस हो, लेकिन स्टील इंडस्ट्री एक्सपेंडिंग इंडस्ट्री है जिसमें क्राइसिस की बात नहीं है, इसलिये वहां के मजदूरों ने मांग की उनको महंगाई ज्यादा मिलनी चाहिये। उस डिमांड को मनवाने के लिये यह एक दिन की हड़ताल की गयी। आप देखें कि इस तरह की हड़ताल को सप्रेस करने के लिये एक मोनोपलिस्ट, एक कैपीटलिस्ट, जिसका सत्ता के ऊपर हाथ हो वह आर्मी तक बुलवा सकता है। आप आज भी टाटानगर की हालत को देखें। टाटा आयरन एड स्टील के मालिकों को यह अच्छी तरह से मालूम है कि चाहे वह प्रान्तीय सरकार हो या चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी की इतनी जुरत नहीं है कि वह वर्कर्स के सप्रेशन (दमन) में दखल दे सके क्योंकि आज उनके पास वह बैलेंशीट मौजूद है जिसमें दस लाख रुपया चुनाव फंड में दिया गया है।

केवल यही नहीं है कि वे अर्थ व्यवस्था में अपना हाथ रखते हैं बल्कि वे यह कोशिश भी करते हैं कि जो यह सरकार का झुकाव सोशलिज्म की तरफ है, या जो सरकार का झुकाव समाजवाद और इशतराकीयत की तरफ है, वह झुकाव वापस आये। और फिर कैपीटलिज्म की तरफ हो जाये। वह इस कोशिश में हैं। सिर्फ इतना की नहीं। जो फिगर्स अभी मेरे भाई ने दिये हैं उनको अगर आप अच्छी तरह से देखें तो आपको मालूम होगा कि ये मानोपली की तरफ जा रही हैं। आप जूट इंडस्ट्री को लीजिये, रबर इंडस्ट्री को लीजिये, मैच इडस्ट्री को लीजिये, अगर इनको इसी तरीके से पनपने दिया गया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज भले ही एपेरेंटली वह मानोपलिस्टिक न मालूम हों या मानोपली रिंग की हालत में न हों, लेकिन आखिर में वह नतीजा जरूर आयेगा कि वे एक मानोपली रिंग की हैसियत से देश की सत्ता के ऊपर जोर डालने की कोशिश करेंगी या हमारी नेशनल इकानमी पर हमला करने की कोशिश करेंगी और उसके ऊपर अपना पूरा ग्रिप हो यह कोशिश करेंगी।

[श्री स० म० बनर्जी]

सदन में जो यह प्रस्ताव पेश किया गया है ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ महत्व न हो। माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे और यह समझाने की कोशिश करेंगे हम लोगों को, कि ऐसी देश की अवस्था नहीं है, देश में मानोपली नहीं है। अगर आप डिक्शनरी के मानी के मुताबिक इसको देखें तो यह हो सकता है कि अभी मानोपली न हो, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था के ऊपर आज नौ या दस आदमियों का एक जबरदस्त हाथ है। क्या यह सच नहीं है कि ये लोग अक्सर हमारी राजनीति पर कुठाराघात किया करते हैं, क्या यह सच नहीं है कि आज कुछ लोगों ने मिल कर देश के हितों और देश की नीति के खिलाफ ऐसी चीजें की हैं कि जिनसे देश का नुकसान हो रहा है। टैक्सटाइल इंडस्ट्री आपके सामने है। आप कहेंगे कि यह मानोपली कहां है। आप कहेंगे कि कुछ मिलें किसी सरमायेदार की हैं, कुछ दूसरे सरमायेदार की हैं। इसलिये यह मानोपली कहां है। तो यह तो सही है कि एक ही फैमिली सारे हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था को कट्रोल नहीं करती ऐसा तो अमरीका में भी नहीं है। वहां भी आठ नौ फैमिलीज हैं जो कि वहां की अर्थ-व्यवस्था को कंट्रोल करती हैं। और साथ ही हिन्दुस्तान में इन लोगों के बैंक हैं, इंश्योरेंस हैं। अभी हाल में इन्श्योरेंस का नेशनलाइजेशन हुआ है। आप देखें कि जब से नेशनलाइजेशन हुआ है ये मानोपलिस्ट लोग कहते हैं कि नेशनलाइजे-शन गलत है और जो यह नेशनलाइजेशन की भावना है उसके खिलाफ काफी प्रचार करने की कोशिश करते हैं। आप देखें कि ईस्टर्न इकानामिस्ट में आर्टिकिल के बाद आर्टिकिल इसी विषय पर निकल रहे हैं। आप पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि ईस्टर्न इकानामिस्ट ने नेहरूजी के बारे में कहा है। मिस्र में भी लोगों ने बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर खड़ा किया था और उन्होंने पिरामिड बनाये थे। लेकिन पिरामिड बनने के बाद जब काम खत्म हो गया तो फिर बेकारी फैल गयी। आप देखें कि हम और आप तो बराबर दूसरी पंचवर्षीय योजना की कामयाबी का नारा लगाते हैं और कुछ लोग यह कहते हैं कि ये पिरामिड बनाने जा रहे हैं और इस तरह से कम्पेरीजन करते हैं। और कहते हैं कि अभी तो मिलियन्स को काम मिल जायेगा लेकिन फिर बेकारी हो जायेगी। इस तरह के आर्टिकिल्स ईस्टर्न इकानामिस्ट के हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि यह अच्छा होगा अगर इस सदन की तरफ से एक कमेटी बनायी जाये जो इस बात की जांच करे कि वाकै इस देश में इंडस्ट्री कितना रुपया मुनाफे के तौर पर कमा रही है। आज देश को पैसे की जरूरत है। आज हम देश में विदेशों से रुपया लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे खतरा होता है कि यह जो विदेशी पूंजी देश में आ रही है यह कहीं एक नई ईस्ट इडिया कम्पनी की शक्ल में न आ जाये। एक ईस्ट इंडिया कम्पनी की करतूत तो हम देख चुके हैं। यह जो बाहर से रुपये की शक्ल में या सामान की शक्ल में मदद आ रही है यह देश की आजादी को फिर गुलामी की जंजीरों में जकड़ने की कोशिश कर सकती है। तो जो दौलत देश में आ रही है कहीं ऐसा न हो कि उस से हमारी आजादी को या हमारी आर्थिक स्थिति को खतरा पैदा हो जाये। इसलिये मेरा निवेदन है कि आज इस प्रस्ताव के इसेंस को हम देखें। यह ठीक है कि अगर आप उसको बिल्कुल टैकनिकल तरीके से दे देंगे तो उसका महत्व जाता रहेगा। मेरी दरखास्त है कि आप इसका सारांश क्या है यह देखें। मैं कहता हूं कि हमारी एक कमेटी बनने की जरूरत है। आज देश में दूसरी पंचवर्षीय योजना की कामयाबी के लिये पैसे की जरूरत है। मुझे बताया जाये कि जिन लोगों ने अरबों रुपया मुनाफे में कमाया है, उन्होंने पंचवर्षीय योजना के लिये क्या दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने एक नारा दिया कि डेवेलपमेंट लोन के लिये रुपया दीजिये लेकिन आप देखें कि चैम्बर्स आव कामर्स के अध्यक्ष ने कहा कि आप डेवेलपमेंट लोन लें लेकिन दूसरी तरफ हमारा भी काम करें, हमारी भी टैक्सटाइल इंडस्ट्री को चलाइये, टैक्सटाइल पर ड्यूटी कम होनी चाहिये, इस इंडस्ट्री में नेशनलाइजेशन होना चाहिये और कह दिया कि आप

डेवेलपमेंट करें लेकिन नाट एट अवर कास्ट। मैं कहता हूं कि इस तरह की डिमांड चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के सामने करना एक एंटी नेशनल चीज है। आज देश में कपड़े की जरूरत है, आज देश में गल्ले की जरूरत है, लेकिन आप देखें कि आज कौन हैं होर्डिंग करने वाले या मिलों को बन्द करने वाले। क्या उन्होंने कभी यह सोचा है कि आज जब कि देश में कपडे के अधिक उत्पादद की जरूरत है, अठाईस कपड़ा मिलें बन्द पड़ी हुई हैं और जूट मिलें बन्द पड़ी हुई हैं, इसका कारण क्या है? कौन ज़िम्मेदार है इस का? इस अवस्था में यह कहां तक उचित है कि हम ऐसे लोगों के तरफ की बातें करें और उन्हीं को स्पोर्ट करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस के बारे में पूरी जांच होनी चाहिये और यह इस लिए होनी चाहिए, ताकि इसका फ़रदर ग्रोअथ न हो और इस को चैक किया जा सके। हम लोग तो सिर्फ यह चाहते हैं कि जो मुनाफा कमाया जा रहा है, वह देश के कामों में लगे। हम जानते हैं कि नैशनलाइज्ड इंडस्ट्रीज का पैसा देश में ही लगता है। मानोपलिस्ट्स द्वारा कमाया हुआ पैसा उन्हीं के पास जायगा और वह कभी भी देश में नहीं जायगा। लिहाजा यह कमेटी बननी चाहिए और मैं आशा करता हूं कि यह सदन इस प्रस्ताव को पास करेगा।

चौ० रणबीर सिंह (रोहतक) : जहां तक इस प्रस्ताव के आशय का ताल्लुक है, कोई इस से बहुत ज्यादा मत-भेद नहीं कर सकता है, लेकिन आया कोई कमेटी एपायंट करने की आवश्यकता है या नहीं, इस में दो रायें हो सकती हैं। अगर हम स्ट्रिक्टली मानोपली (एकाधिकारिता) शब्द को इस्तेमाल न करें और प्राईवेट कैपिटलिज्म (गैर-सरकारी पूंजीवाद) के नुक्ता-ए-निगाह से देखें, तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि पिछले ग्यारह सालों में हम काफ़ी समाजवाद की तरफ़ चले हैं। जहां तक ज़मीन के समाजवाद का ताल्लुक है, हम ने बहुत हद तक उस को पूरा कर लिया है और कई जगह पूरा करने वाले हैं। इसी तरह से जहां तक इंडस्टरी का ताल्लुक है, हमारे देश में सब से बड़ा बैंक इम्पीरियल बैंक था, वह आज एक सरकारी बैंक है। इसी तरह से जितनी बड़ी बड़ी बीमा कम्पनियां थीं, वे सब आज सरकार लाइफ़ इन्शोरेंस कार्पोरेशन के हिस्से हैं और उन के मालिक भी उन्हीं नौ दस खान्दानों में से हैं, जिन का कि अभी आनरेबिल मेम्बर ने ज़िक्र किया है। अगर वे लोग आज तक इस सदन के ऊपर कोई असर न रख सके, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी अगर कोई शख्स, चाहे वह हिन्दुस्तान का कितना ही बड़ा सरमायादार क्यों न हो, अपने दिमाग़ में यह ख्याल लायेगा कि वह हिन्दुस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में कोई असर डाल सकेगा, तो शायद वह ग़लतफ़हमी में रहेगा और इस का सबूत हम ने कई दफ़ा देखा है। पिछले दो इलैक्शन्ज़ हुए। उन में कई एक सरमायादारों ने कांग्रेस और दूसरी पोलीटिकल पार्टियों से टक्कर ले कर, जोकि समाजवाद की तरफ जाना चाहती थीं, इस हाउस में और दूसरे लैजिस्लेचर्ज़ में जाना चाहा, लेकिन वे न जा सके।

श्री स० म० बनर्जी : श्री बाबूभाई चिनाय आ गये हैं।

चौ० रणबीर सिंह : मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर पांच सौ के हाउस में तीन चार आ भी जाते हैं, तो कोई बात असर-अंदाज़ नहीं हो सकती है। मेरे दोस्त ने जितना हौवा दिखाना चाहा है, वह हकीकत नहीं है।

श्री पाणिग्रही (पुरी) : वे बाहर से असर डालते हैं।

चौ० रणबीर सिंह : अगर बाहर से उन का असर होता, तो यहां पर बीमा कम्पनियां नेशनलाइज़ न हो सकतीं।

[चौ० रणवीर सिंह]

जहां तक लोहे के बड़े बड़े कारख़ानों का ताल्लुक है, इस मुल्क के अन्दर सौ फ़ीसदी लोहे का कारोबार कुछ आदमियों के हाथ में था । सैकेंड फ़ाइव यीअर प्लान के बाद तकरीबन ७५ फ़ीसदी कारोबार सरकारी हाथों होगा, चाहे किसी कारखाने को सरकारी कारखाना न बनाया गया हो । इसी तरह से दूसरा बड़ा कारोबार कपड़े का है । मैं समझता हूं कि अगर अम्बर चर्खा कामयाब हो गया और नये कोयम्बेटूर चर्खे को मौका दिया गया, तो जिस तरह से जापान का आदमी यहां के बड़े बड़े कारखानेदारों का मुकाबला कर सकता है, उसी तरह से हिन्दुस्तान के देहात में बैठा हुआ कोई आदमी अम्बर चर्खे और कोयम्बेटूर चर्खे से सूत कात कर और जिन देहात में बिजली जाती है, वहां लूम लगा कर यहां के बड़े बड़े कारख़ानों का मुकाबला कर सकेगा और मुझे दिखाई देता है कि हिन्दुस्तान के बड़े बड़े कारखानों के मालिकों के कुछ ही दिन रह गये हैं ।

एक और बड़ा सैक्टर शूगर फ़ैक्टरीज़ का है । उन्होंने देश में काफ़ी पैसा कमाया है । जिस तरह से माननीय सदस्य के दिल में जोश है कि उस पैसे को लोगों की भलाई के लिये सरकार को लेना चाहिये, उसी तरह से मुझे भी जोश है । इस बारे में मुझे ज़रा भी शक नहीं मालूम देता कि आने वाले कुछ सालों में हम अपनी पालिसी के ज़रिये अपने मकसद में कामयाब होंगे । माननीय सदस्य उस सरकार और उस लोक-सभा पर शक करते हैं, जिन्होंने यह प्रस्ताव पास किया है कि आने वाले हिन्दुस्तान में समाजवादी ढंग का एक निज़ाम हम कायम करना चाहते हैं । लेकिन वह निज़ाम हम अहिंसा के तरीक़े से कायम करना चाहते हैं, किसी को मार कर, लूट कर या बरबाद कर के कायम नहीं करना चाहते हैं—देश की तबाही कर के नहीं, बल्कि शान्ति और अमन से हम अपने मकसद को हासिल करना चाहते हैं । मज़दूर भी इस देश का हिस्सा हैं और इस अरसे में उन की भी तरक्क़ी हुई है । अभी इस से पहले प्रस्ताव पर बोलते हुए माननीय सदस्य के साथी श्री टी०सी०एन० मेनन ने कहा कि वह मानते हैं कि मज़दूरों के लिये अच्छे कानून बनाये गये हैं, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर उन से पूरा फ़ायदा नहीं उठाया जा सका है । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि डेमोक्रेटिक संस्थाओं और हकूमत के डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक कमज़ोरी होती है कि ग़रीब के लिये जो कायदे-कानून बनाये जाते हैं, उन पर अमल के दौरान में ताकत वाले और आर्थिक शक्ति रखने वाले लोग उन को हुडविंक कर सकते हैं, लेकिन उस की भी एक हद है और उस में भी कोई ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता है ।

ज़हां तक आंकड़े इकट्ठे करने का सवाल है, वे तो सरकार के पास होंगे और सरकार को वे रखने चाहियें, ताकि हमें मालूम हो कि थर्ड फ़ाइव यीअर प्लान को पूरा करने के सिलसिले में कौन हमारे दोस्त हैं, किन से हम को मदद और शक्ति मिल सकेगी, वगैरह । पिछले ग्यारह साल में सरकारी कैपिटल भी बहुत काफ़ी बढ़ा—सैकंड फ़ाइव यीअर प्लान में वह तकरीबन ३५०० करोड़ रुपया होगा, जबकि पहली फ़ाइव यीअर प्लान में वह १५०० करोड़ रुपये था । प्राईवेट सैक्टर में भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट डबल हुई । यह मैं मानता हूं । उस की एक वजह यह भी होगी कि इस हाउस ने कई रियायतें दी हैं । वे रियायतें कम करनी चाहियें, यह मैं मानता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं—चाहे कांग्रेस पार्टी हो या कम्यूनिस्ट पार्टी हो या सोशलिस्ट पार्टी हो—हमें इस बात के लिये कोई वजह नहीं मालूम होती कि हम उन की इन्टेग्रिटी पर शक करें और इस बात से डरें कि कोई सरमायादार उन को देश के हितों के खिलाफ असर-अंदाज़ कर सकेगा ।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता-पूर्व) : मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ है कि श्री विमल घोष ने इस संकल्प का पूर्ण रूपेण समर्थन नहीं किया है । विशेषत: इसलिये कि वे ऐसे दल से सम्बन्ध रखते हैं जो हमारी तरह ही जनता में समाजवाद लाने के पक्ष में है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

उन्होंने यह प्रश्न उठाया कि हमारे देश में एकाधिकारिता है या नहीं। निःसन्देह एकाधिकारिता की जो परिभाषा मार्शल, पीगू इत्यादि अर्थशास्त्रियों ने दी है वह हमारे देश में लागू नहीं होती है। हमारा तात्पर्य केवल इतने से ही है कि हमारी अर्थव्यवस्था के एक बहुत बड़े अंश पर कुछ थोड़े से व्यक्तियों का नियंत्रण है उदाहरणार्थ जूट उद्योग, कोयला उद्योग, चाय उद्योग, कपड़ा उद्योग, इत्यादि में कुछ गिने चुने व्यक्तियों का आधिपत्य है। यदि ये लोग अपनी इच्छानुसार मूल्यों में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं तो वे अन्य प्रकार से मूल्यों को प्रभावित कर सकते हैं। वे बड़ी बड़ी रकमें सरकार को चन्दे में देकर मूल्यों को प्रभावित कर सकते हैं। प्रश्न यह है कि क्या इस प्रकार धन और आर्थिक शक्ति को एक स्थान पर केन्द्रित होने दिया जाय। वस्तुतः मेरे प्रस्तावक मित्र ने यह बात बहुत स्पष्ट रूप से कह दी थी। मैं इस संकल्प का हार्दिक समर्थन करता हूं।

अतः देश के इन गिने चुने एकाधिकार प्राप्त परिवारों के कार्यों की जांच की जानी चाहिये। यह जांच एक ऐसी समिति द्वारा हो जिस में सभा के सभी पक्षों के सदस्य शामिल हों। वे इस जांच के परिणामस्वरूप ऐसा मापदंड निश्चित करें जो सारे देश पर लागू हो सके तथा ऐसी विधियां बनाये जिन से देश की समस्त अर्थ-व्यवस्था कुछ थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में सीमित होने से बच सके।

भले ही देश में एकाधिकारिता अधिक न हो तथापि यह स्पष्ट है कि एकाधिकारिता की प्रवृत्ति बढ़ रही है और सामान्य व्यक्ति के लिये व्यापार में पांव जमाना बहुत कठिन हो रहा है। इसलिये यदि एकाधिकारिता की यह प्रवृत्ति बढ़ती गई तो देश की समस्त अर्थव्यवस्था में थोड़े लोगों का नियंत्रण हो जायेगा और उस से देश के हितों पर भयंकर आघात होगा। वस्तुतः यह विशेष दल का प्रश्न नहीं है। कांग्रेस सरकार समाजवादी ढांचे का समाज लाने की प्रतिज्ञा कर चुकी है। अतः एकाधिकारिता की इस कुप्रवृत्ति को नष्ट करने के लिये तत्काल जांच करवाना और उस के परिणाम स्वरूप यथोचित कार्यवाही करना बहुत आवश्यक है।

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी) : मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं और सभा का ध्यान अपने राज्य में प्रचलित एकाधिकार पृथा की ओर दिलाना चाहता हूं।

उड़ीसा सरकार ने केंडू पत्ता नियंत्रण आदेश जारी किया है। इस के अनुसार राज्य के समस्त किसान अपनी भूमि पर पैदा होने वाले केंडू के पत्ते, जिन में बीड़ी बनाई जाती है, अपनी इच्छानुसार ग्राहक को नहीं बेच सकते हैं। उन्होंने अपना उत्पादन उस व्यक्ति को बेचना होता है जिसे सरकार द्वारा उन पत्तों को खरीदने का एकाधिकार प्राप्त हुआ है। इस एकाधिकार की प्रति तीसरे वर्ष नीलामी की जाती है। फलस्वरूप बीड़ी बनाने वाले मजदूर इस अकेले व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर रहते हैं और यह व्यक्ति उन का शोषण करता है।

बन जांच समिति के एक सदस्य के रूप में हम ने इस बात की खोज की थी कि प्रति बीड़ी मजदूर को कितनी मजदूरी मिलती है। यह केवल ४ आने प्रति दिन है। समाज वादी ढांचे का समाज लाने वाली कांग्रेसी सरकार इस प्रकार के एकाधिकारों का समर्थन कर रही है।

इमली, महुवा और आंवले के पेड़ों के सम्बन्ध में भी उक्त प्रकार की एकाधिकार पूर्ण नीति अपनाई जाती है। एकाधिकार की शक्ति कभी नीलाम द्वारा और कभी टेंडरों द्वारा दी जाती है वस्तुतः इस सम्बन्ध में खूब पक्षपात किया जाता है और ये एकाधिकार अधिक चन्दा देने वालों को या विशेष कृपा पात्र व्यक्तियों को दिया जाता है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री प्र० के० देव]

यद्यपि विन्ध्य प्रदेश के न्याय आयुक्त ने इसे शक्तिपरस्तात् घोषित कर दिया है तथापि अभी तक इसे रद्द नहीं किया गया है। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि यह प्रणाली समाप्त कर दी जाय।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मुझ से पहिले भाषणकर्ता ने एकाधिकार शब्द की बहुत व्यापक व्याख्या की है मेरे विचार से इस की व्याख्या आज के युग में यह है कि जब किसी व्यक्ति को किसी विशेष वस्तु के उत्पादन तथा वितरण पर निर्बाध अधिकार प्राप्त होता है तो उसे एकाधिकार कहते हैं। ऐसी दशा में समस्त प्रतियोगियों को किसी न किसी रूप से बाहर रखा जाता है। भारत में इस प्रकार का एकाधिकार कहीं भी नहीं है। कांग्रेस ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से ही एकाधिकारिता के विरुद्ध जिहाद छेड़ दिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् विशेषतः भारतीय समवाय अधिनियम बना कर हम ने प्रबन्धक-अभिकर्ता पद्धति, जो एकाधिकार की प्रवृत्ति रखता था समाप्त कर दी। अतः अब एकाधिकार की बात करना ठीक नहीं है। वस्तुतः मूल्य संघ, प्रन्यास व एकाधिकार प्राप्त समवाय सभी का रूप बदल रहा है।

जहां तक कुछ व्यक्तियों के हाथों में धन के केन्द्रीयकरण का सम्बन्ध है यह भी ठीक नहीं है। वस्तुतः धन का केन्द्रीयकरण ऐसे लोगों के हाथों में है जो अपनी बचत या उपार्जित धन का उचित विनियोजन कर सकते हैं। देश की आर्थिक व्यवस्था की गति भी इस के विरोध में है। आज धन का विकेन्द्रीकरण हो रहा है। कांग्रेस सरकार इस के लिये १९३१ से प्रयत्न कर रही है समाजवादी ढांचे के समाज का प्रादुर्भाव और हमारी उद्योग वाणिज्यक इत्यादि नीतियों में उक्त सिद्धान्त के अनुसार परिवर्तन इस का पर्याप्त प्रमाण है।

सभा ने धन कर विधेयक, उपहार विधेयक, सम्पदा विधेयक, इत्यादि विधेयक पारित किये हैं। उक्त विधेयकों का स्पष्ट उद्देश्य एकाधिकारिता की जड़ों पर कुल्हाड़ी मारना है। हमारी दोनों योजनायें इसी बात का प्रयत्न कर रही हैं स्वयं प्रधान मंत्री इस बात को कई बार दुहरा चुके हैं कि हम सम वितरण के पक्ष में हैं तब यह कहना कि इस सम्बन्ध में जांच की जाय बिल्कुल अनुचित बात है। वस्तुतः जांच तो जारी है वह तो हर समय हो रही है। सभा में इतनी समितियां हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं यह सब क्या है। अतः मेरे विचार से ऐसी बात करना गलत है। मेरे विचार से संकल्प में जिस समस्या का जिक्र किया गया है उस पर सरकार कड़ी नजर रखती है अतः जांच करने की आवश्यकता नहीं है।

†**सभापति महोदय** : इस संकल्प पर चर्चा अगले दिन जारी रहेगी।

इसके पश्चात् लोक सभा की बैठक सोमवार १८ अगस्त, १९५८ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हुई।

:———

†मूल अंग्रेजी में

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		५०९—५३३
तारांकित प्रश्न संख्या		
१४८	लकड़ी के स्लीपर	५०९—५११
१४९	अन्तर्राष्ट्रीय प्रशासनिक तार व टेलीफोन सम्मेलन	५११–५१२
१५०	खण्डवा हिंगोली रेल लाइन	५१२
१५४	काठमाण्डू के निकट विमान दुर्घटना	५१२—५१४
१५५	मैसूर में सुपारी विक्रय समितियां	५१४–५१५
१५६	पत्तन और गोदी कर्मचारियों की हड़ताल	५१५—५१८
१५८	जमुना बाजार में रहन वालों के लिये कोलोनी	५१८—५२०
१५९	हीराकुड बांध परियोजना	५२०–५२१
१६०	परिवार नियोजन	५२१—५२३
१६१	दिल्ली से गेहूं का चोरी छिपे ले जाना	५२३—५२५
१६२	हुगली के पानी का खारीपन	५२५—५२७
१६३	ब्रिटिश शिपयार्ड मिशन की रिपोर्ट	५२७—५३०
१६४	अमरीका से खाद्यान्न	५३०–५३१
१६५	चेचक और हैजा	५३१—५३३
प्रश्नों के लिखित उत्तर		५३४—५८०
तारांकित प्रश्न संख्या		
१५१	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था	५३४
१५२	चित्तरंजन का रेलवे इंजन का कारखाना	५३४
१५३	लम्बी यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधायें	५३४–५३५
१५७	केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग का विभाजन	५३५
१६६	सम्बलपुर-तीतलागढ़ रेलवे लाइन	५३५–५३६
१६७	कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन	५३६
१६८	भारत-ब्रिटेन दूरसंचार सेवा	५३६
१६९	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था	५३६–५३७
१७०	दिल्ली रेलवे डाक सेवा कर्मचारी	५३७
१७१	विदेशों से खाद्यान्न	५३७–५३८
१७२	भारत-मलाया स्टीमर सेवा	५३८

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१७३	सैलम-बंगलौर रेलवे लाइन	५३८–५३९
१७४	नई दिल्ली के बड़े डाक-घर में चोरी	५३९
१७५	हीराकुड परियोजना	५३९
१७६	डम डम पर विमान दुर्घटना	५३९–५४०
१७७	डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये वर्दी	५४०
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३५३	हैजा और चेचक	५४०
३५४	डाक और तार निर्देशिका	५४१
३५५	इंजन	५४१–४२
३५६	लखनऊ में रेलवे क्वार्टर	५४२
३५७	पाकिस्तान में सेवा के लिये विकल्प देने वाले रेलवे कर्मचारी	५४२–४३
३५८	सिंचाई वाली भूमि का क्षेत्रफल	५४३
३५९	भूमि	५४३–४४
३६०	भालाबानी में एक इंजन और पांच माल डिब्बों का पटरी से नीचे उतर जाना	५४४–४५
३६१	उत्तर प्रदेश में खाद्य की उचित मूल्य वाली दूकानें	५४५
३६२	बम्बई राज्य में ग्राम्य जल संभरण योजनायें	५४५
३६३	तार भेजने की सुविधा	५४५
३६४	विदेशी पर्यटक	५४६
३६५	राष्ट्रीय जल संभरण तथा स्वच्छता योजनायें	५४६
३६६	रिवाड़ी स्टेशन पर प्लेटफार्म	५४६–४७
३६७	राज्यों में सड़क विकास योजनायें	५४७
३६८	दिल्ली और नई दिल्ली में अस्पतालों में पलंग	५४७
३६९	स्लीपरों की खरीद	५४८
३७०	राजस्थान में पीने के पानी का संभरण	५४८–४९
३७१	विदेशों से आये तारों और पत्रों का वितरण न किया जाना	५४९
३७२	रेलवे सप्ताह पर व्यय	५४९–५०
३७३	रेलवे में संकेतन और दूरसंचार का सुधार	५५०–५१
३७४	नजफगढ़ झील में पम्पिग स्टेशन	५५१
३७५	कांडला पत्तन	५५१–५२
३७६	आयोजित परियोजनाओं सम्बन्धी अध्ययन दल	५५२
३७७	पंजाब में पम्पिग सेट	५६२–५३
३७८	हिमाचल प्रदेश का आलू नियंत्रण आदेश	५५३
३७९	खराब रेलवे माल डिब्बे	५५३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमश :)

अतारांकित प्रश्न संख्या

३८०	पूर्वी रेलवे में चोरी	५५३–५५४
३८१	हीराकुड परियोजना	५५४–५५५
३८२	डाक सुविधायें	५५५
३८३	दिल्ली में खाद्य अपमिश्रण	५५५–५५६
३८४	अन्तर्राज्यीय परिवहन	५५६
३८५	राज्यों में पौधा संरक्षण केन्द्र	५५६–५५७
३८६	पंजाब में बीज पैदा करने वाले फार्म	५५८
३८७	जहाज़ों की दुर्घटनायें	५५८
३८८	पंजाब में फालतू चावल	५५८–५५९
३८९	बिजली लगे हुए रेलवे स्टेशन	५५९
३९०	ट्रंक काल	५५९
३९१	त्रिपुरा में परिवहन	५६०
३९२	गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आयोग	५६०
३९३	कोरोनेशन पिलर और तिलक नगर के निकट मल-शोधन संयंत्र	५६०
३९४	दिल्ली में जल संभरण का रुक जाना	५६१
३९५	रेलवे सवारी गाड़ी के डिब्बों को अपन आप धोने वाली मशीन	५६१–५६२
३९६	खाद्य की कमी	५६२
३९७	भारतीय कृषकों की विदेश यात्रा	५६२–५६३
३९८	भुवनेश्वर में मुर्गीपालन फार्म	५६३
३९९	उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न के मूल्य में वृद्धि	५६३–५६४
४००	रेलवे लाइन को दोहरा करना	५६४
४०१	रूरकेला डाकघर	५६४
४०२	चीन की सहकारिता प्रणाली	५६४–५६५
४०३	यमुना के ऊपर सड़क का पुल	५६५
४०४	रेलगाड़ियों का देर से चलना	५६५–५६६
४०५	इम्फाल में जल संभरण	५६६
४०६	हिमाचल प्रदेश में सड़कें	५६६
४०७	पूर्वोत्तर रेलवे में ढलानों की मरम्मत	५६६–५६७
४०८	डाक तथा डाक कर्मचारियों के लिये कल्याण बोर्ड	५६७–५६८
४०९	डाक घर बचत बैंक लेखे	५६८
४१०	सूखा	५६८
४११	दुग्ध उत्पादन का अध्ययन	५६९
४१२	अखिल भारतीय आलू बोर्ड	५६९
४१३	बिजली का दुरुपयोग	५६९
४१४	पेराम्बूर का रेल डिब्बा बनाने वाला कारखाना	५७०
४१५	पत्तन और गोदी श्रमिकों की हड़ताल	५७०

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
४१६	"कुदजू" पौदा	५७१
४१७	मलेरिया उन्मूलन	५७२
४१८	बंगलौर नगर के लिये जल सम्भरण और नालियों की व्यवस्था .	५७१–५७२
४१९	चावल समिति की बैठक . . .	५७२
४२०	उत्तर भारत उड्डयन क्लब . .	५७२
४२१	अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन . .	५७३
४२२	राज्य विद्युत् बोर्ड	५७३
४२३	भू सर्वेक्षण	५७३–५७४
४२४	कोणार्क के लिये सभी मौसमों में काम आने वाली सड़क .	५७४
४२५	अल्प सिंचाई योजना . . .	५७४
४२६	जूट की खेती	५७४
४२७	लाख की खेती	५७४–५७५
४२८	सूखा	५७५–५७६
४२९	सिगनल के खम्भों का आयात . . .	५७६
४३०	पांडु और अमीनगांव के बीच ब्रह्मपुत्र पुल .	५७७
४३१	पुरना और हिंगोली के बीच रेल मार्ग .	५७७
४३२	पर्यटक विकास परिषद् . . .	५७७
४३३	अधिक अन्न उपजाओ योजना . . .	५७७
४३४	झांसी–मानिकपुर सेक्शन पर महोबा स्टेशन . .	५७८
४३५	पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे प्रशासन . .	५७८
४३६	हसन–मंगलौर रेलवे लाइन सर्वेक्षण रिपोर्ट . .	५७९
४३७	उत्तर रेलवे का सादुलपुर, हनुमानगढ़ सेक्शन . .	५७९
४३८	रेलवे मंत्रालय के संलग्न कार्यालय . . .	५७९
४३९	सहकारी कार्य	५८०
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		५८०—५८३

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :—

(१) खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम, १९५४ की धारा २४ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १२ जुलाई, १९५८ की हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या एम०–१–१६/५५–२ में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश खाद्य अपमिश्रण नियम, १९५८ की एक प्रति ।

(२) अखिल भारतीय चिकित्सा-विज्ञान संस्था अधिनियम, १९५६ की धारा २८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २६ जुलाई, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६३३ की एक प्रति ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

(३) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत सूती वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २८ जनवरी, १९५८ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १९१ की एक प्रति ।

(४) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित तैंतीस अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) बम्बई चावल (निर्यात नियंत्रण) आदेश, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक १० मई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ३४४ ।

(दो) उड़ीसा चावल (निर्यात निषेध) आदेश, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक १० मई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ३४५ ।

(तीन) अन्तर्क्षेत्रीय गेहूं यातायात नियंत्रण आदेश, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक १० मई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ३४६ ।

(चार) चावल (दक्षिणी क्षेत्र) यातायात नियंत्रण आदेश, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाला १० मई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ३४७ ।

(पांच) गेहूं के आटे की मिलें (लाइसेंस देना और नियंत्रण) आदेश, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक १० मई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ३४८ ।

(छः) पंजाब चावल (यातायात नियंत्रण) आदेश, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक १० मई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ३४९ ।

(सात) अमृतसर और गुरदासपुर जिले चावल (निर्यात नियंत्रण) आदेश, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक १० मई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ३५० ।

(आठ) उत्तर प्रदेश चावल (निर्यात नियंत्रण) आदेश, १९५७ में कुछ संशोधन करने वाला १० मई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ३५१ ।

(नौ) बिहार अनाज (निर्यात नियंत्रण) आदेश, १९५७ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक १० मई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ३५२ ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र--(क्रमशः)

(दस) मध्य प्रदेश चावल (निर्यात नियंत्रण) आदेश, १९५७ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक १० मई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ३५३ ।

(ग्यारह) दिल्ली चावल (निर्यात नियंत्रण) आदेश, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक १० मई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ३५४ ।

(बारह) पश्चिम बंगाल चावल (यातायात नियंत्रण) आदेश, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक १० मई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ३५५ ।

(तेरह) चावल (रेल से बुकिंग पर प्रतिबन्ध) आदेश, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक १० मई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ३५६ ।

(चौदह) दक्षिणी क्षेत्र चावल (रेल से बुकिंग पर प्रतिबन्ध) आदेश, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक १० मई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ३५७ ।

(पंद्रह) दिनांक ८ मई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ३९६ ।

(सोलह) अमृतसर और गुरदासपुर जिले चावल (निर्यात नियंत्रण) आदेश, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक १६ मई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ३९५ ।

(सत्रह) उड़ीसा चावल (निर्यात निषेध) आदेश, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक २४ मई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ४१६ ।

(अट्ठारह) दिनांक २४ मई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ४१७ जिस में राजस्थान चना (निर्यात निषेध) आदेश, १९५७ दिया हुआ है ।

(उन्नीस) दिनांक ७ जून, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ४६० ।

(बीस) दिनांक ७ जून, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ४६१ ।

(इक्कीस) दिनांक ४ जून, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ४६५ ।

(बाईस) दिनांक ७ जून, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ४६८ ।

(तेईस) दिनांक १२ जून, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ४८४ जिसमें चना (राजस्थान) मूल्य नियंत्रण आदेश, १९५८ दिया हुआ है ।

(चौबीस) त्रिपुरा खाद्यान्न (यातायात) नियंत्रण आदेश, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक १७ जून, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ४८६-क ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रख गय पत्र--(क्रमशः)

(पच्चीस) दिनांक २१ जून, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ४९७।

(छब्बीस) चावल (दक्षिणी क्षेत्र) यातायात नियंत्रण आदेश, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक १९ जून, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ५०९।

(सत्ताईस) दिनांक २५ जून, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ५२६ जिस में आन्ध्र प्रदेश, चावल (सूचना जांच और ज़प्ती) आदेश, १९५८ दिया हुआ है।

(अट्ठाईस) चावल (गेहूं से बनने वाली चीजों में प्रयोग पर रोक) आदेश, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक ५ जूलाई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ५५८।

(उनतीस) दिनांक ३ जुलाई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ५६७ जिसमें धान (पंजाब) मूल्य नियंत्रण आदेश, १९५८ दिया हुआ है।

(तीस) राजस्थान चना (निर्यात पर नियंत्रण) आदेश १९५८ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक १२ जुलाई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ५९१।

(इकत्तीस) चावल और धान (पश्चिम बंगाल) दूसरा मूल्य नियंत्रण आदेश, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक ११ जुलाई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ६०५।

(बत्तीस) अन्तर्क्षेत्रीय गेहूं नियंत्रण आदेश, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक १२ जुलाई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ६०९।

(तैंतीस) दिनांक १९ जुलाई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ६२५।

(५) लेबर ब्यूरो, शिमला तथा योजना आयोग के श्रम और रोजगार डिवीज़न द्वारा तैयार किये गये "विमेन इन इम्प्लायमेन्ट, (१९०१-१९५६)" नामक पत्र की एक प्रति।

लोक-लेखा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . . ५८३

लोक-लेखा समिति का सातवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करने का समय बढ़ाया जाना . ५८४

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक, सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करने के लिये नियत समय १० सितम्बर, १९५८ तक बढ़ा दिया गया।

विषय	पृष्ठ
विधेयक पारित	५८४
रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) ने प्रस्ताव किया कि विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक १९५८ पर विचार किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार विचार करने के पश्चात् विधेयक पारित हुआ।	
संविहित संकल्प अस्वीकृत . . .	५८५--६०५
१४ जून, १९५८ को प्रस्तुत बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश सम्बन्धी संविहित संकल्प तथा उस पर प्रस्तुत किये गये संशोधन पर अग्रेतर चर्चा जारी रही। चर्चा के पश्चात् सभा में मत विभाजन हुआ; पक्ष में २८ और विपक्ष में ११३। संकल्प तदनुसार अस्वीकृत हुआ।	
विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव स्वीकृत . . .	६०५--६०६
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के १४ अगस्त, १९५८ को प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव और तत्सम्बन्धी संशोधनों पर और संविहित संकल्प तथा संशोधन (दोनों अस्वीकृत हुए) पर एक साथ चर्चा समाप्त हुई और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत	६०६
तेइसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ	
गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प--वापस ले लिया गया . .	६०७--६१४
कुछ उद्योगों में मजदूनियां की कमी के बारे में संकल्प पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई। लोक-सभा की अनुमति से संकल्प वापस ले लिया गया।	
गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प--विचाराधीन	६१४--६२२
श्री कुन्हन ने एकाधिकार रखने वाले सार्थों के कार्यों के सम्बन्ध में संकल्प प्रस्तुत किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।	
सोमवार, १८ अगस्त के लिये कार्यावलि--	
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, सशस्त्र बल (आसाम और मनीपुर) विशेष शक्तियां विधेयक और श्रमजीवी पत्रकार (मजूरी की दरों का निर्धारण) विधेयक पर विचार और उनका पारित किया जाना।	